



रोजना

जनवरी 2021

विकास को समर्पित मासिक

₹ 30

भारत का अमृत महोत्सव

इंडिया@75

स्वतंत्रता के 75 वर्ष
एम वेंकैया नायडु

भारतीय लोकतंत्र, राजनीति और शासन
डॉ नजमा हेपतुल्ला

उद्योग@75
सुरेश प्रभु

अंतरिक्ष में भारत की सफल उड़ान
डॉ के सिवन

नवा भारत

शिक्षा
डॉ रमेश पोखरियाल 'निशंक'

खेल
मिल्खा सिंह

सिनेमा
जाहनु बरुआ





राष्ट्रपति
भारत गणतंत्र
PRESIDENT
REPUBLIC OF INDIA

संदेश

प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार को, 'योजना' पत्रिका के विशेष अंक के प्रकाशन के लिए मैं बधाई देता हूँ। 'भारत@75' की विषय-वस्तु के साथ जनवरी 2021 में प्रकाशित होने वाला यह विशेषांक खास तौर पर प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि इस अंक में विभिन्न समकालीन मुद्राओं पर गंभीर विमर्श शामिल रहेगा।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि 1957 से प्रकाशित होती आ रही मासिक पत्रिका 'योजना' का दायरा धीरे-धीरे बढ़ता ही गया है और अब इसका प्रकाशन 13 भाषाओं में हो रहा है। विषय-वस्तु आधारित इस पत्रिका में वर्तमान समय के सामाजिक-आर्थिक विषयों का गहन विश्लेषण शामिल रहता है और इस कारण यह पत्रिका शोधार्थियों, योजनाकारों और नीति-निर्माताओं के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। इस पत्रिका का उद्देश्य भी यही है कि विभिन्न क्षेत्रों और देश के लोगों के योगदान को रेखांकित करते हुए 'भारत की भाव-भूमि' की सम्यक् समझ प्रस्तुत की जाए। यह देखकर हर्ष होता है कि पत्रिका में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शहरी अवसंरचना, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और इसी प्रकार के अन्य विषयों से जुड़े लेखों के माध्यम से सभी प्रकार के मुद्राओं पर भिन्न-भिन्न प्रकार की राय और विचार उपलब्ध कराए जाते हैं। मुझे आशा है कि 'योजना' का यह संग्रहणीय अंक, सभी अभिदाताओं और पाठकों के लिए अत्यंत मूल्यवान सिद्ध होगा।

मैं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत प्रकाशन प्रभाग की पूरी टीम को बधाई देता हूँ और 'योजना' पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

रामनाथ कोविन्द
(राम नाथ कोविन्द)

नई दिल्ली

21 अक्टूबर, 2020



प्रधान संपादक : शुभा गुप्ता

वरिष्ठ संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल

संपादक : डॉ ममता रानी

संपादकीय कार्यालय

648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003

उत्पादन अधिकारी : के रामलिंगम

आवरण : गजानन पी धोपे

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने और व्यक्तिगत हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संस्थानों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि साकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना लेखकों द्वारा आलेखों के साथ अपने विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र कर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/तालिकाओं/इन्फोग्राफिक्स के संबंध में उत्तरदायी नहीं है।

योजना भर मानने, शुल्क में छूट के साथ दरों व प्लान की विस्तृत जानकारी के लिए पृष्ठ-73 पर देखें।

योजना की सदस्यता का शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही योजना प्राप्त न होने की शिकायत करें।

योजना न मिलने की शिकायत या पुराने अंक मानने के लिए नीचे दिए गए ई-मेल पर लिखें -

pdjucir@gmail.com

या संपर्क करें-

दूरभाष: 011-24367453

(सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर
प्रातः 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)

योजना की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें-

गौरव शर्मा, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,

सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003

इस अंक में

भारत के राष्ट्रपति का संदेश.....कवर-2

प्रमुख आलेख

स्वतंत्रता के 75 वर्ष

एम वेंकैया नायडु 6



फोकस

भारतीय लोकतंत्र, राजनीति और शासन
डॉ नजमा हेपतुल्ला 10

विशेष आलेख

उद्योग@75

सुरेश प्रभु 14

नये भारत की शिक्षा

डॉ रमेश पोखरियाल 'निशंक' 18



प्रकाशन विभाग के देश भर में स्थित विक्रय केन्द्रों की सूची के लिए वेब्से पृष्ठ. 13

हिन्दी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओडिया,
पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित।

अंतरिक्ष में भारत की सफल उड़ान

डॉ के सिवन 22



भारतीय संघवाद की व्यवस्था

अमिताभ कांत 28

जन स्वास्थ्य में नए प्रयोग

डॉ बलराम भार्गव 34

'न्यू इंडिया' के निर्माण में खेलों की भूमिका
मिल्डा सिंह 38

नए भारत के लिए सिनेमा

जाहनु बरुआ 42

कृषि : आगे का रास्ता

डॉ सी डी मायी, भगीरथ चौधरी 46

भारतीय कला और संस्कृति

सुप्रीति 50

सूचना प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता से भी आगे
बालेन्दु शर्मा दाधीच 54विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत
डॉ रहीस सिंह 58

साक्षात्कार

बच्चों की सोच का दायरा बढ़ाना जरूरी
रंजीत सिंह डिसले 64

योजना - सही विकल्प 74

नियमित स्तंभ

विकास पथ

संसद के नए भवन का शिलान्यास 63


क्या आप जानते हैं?

पेरिस समझौता 68

पुस्तक चर्चा : भारत के नारी रत्न 70

आपकी राय

yojanahindi@gmail.com



भारत@75 पर प्रकाशित 'योजना' पत्रिका के अंक की सफलता के लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

- रतन एन. टाटा, टाटा समूह



भारत@75 पर योजना के अंक की सफलता हेतु मेरी शुभकामनाएं।

- नारायण मूर्ति
इंफोसिस लिमिटेड के संस्थापक



आपको और योजना टीम को मेरी शुभकामनाएं।

- आनंद महिन्द्रा
महिन्द्रा समूह के अध्यक्ष

कोविड के बाद भारत की तैयारी

पत्रिका नवम्बर 2020 अंक में प्रकाशित आलेख 'कोविड के बाद भारत की तैयारी' ने विशेष आकर्षित किया। विश्व में जिस तरह से कोविड-19 का भय विकराल रूप लेता गया, उस परिस्थिति में भी भारत ने कोविड-19 महामारी का सामना कुशलता पूर्वक किया। कोविड महामारी से स्वास्थ्य और आर्थिक, दोनों ही तरह के चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। इस अंक में अर्थव्यवस्था की स्थिति मजबूत करने के विभिन्न मौद्रिक उपायों की चर्चा की गई है। आगे की राह पर मजबूती के साथ कदम बढ़ाने के लिए जनता को सरकार का पूरा सहयोग देना होगा।

- अशोक कुमार ठाकुर

मालीटोल, अदलपुर, दरभंगा, बिहार

भारतीय समाज

भारतीय समाज पर आधारित दिसंबर 2020 अंक मेरे हाथों में है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री श्री थावरचंद गेहलौत के आलेख में उनके मंत्रालय द्वारा समाज के वर्चित वर्गों

के लिए चलाई जा रही योजनाओं की सटीक जानकारी प्राप्त हुई। वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजनों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं ने विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया। 'अक्षमता से समर्थता' में डॉ धारिणी मिश्र ने ऐसे दिव्यांगजनों का उल्लेख किया है जो मेरे लिए भी नई और रोचक जानकारी थी। उनका सुझाव कि सरकार और समाज को मिलकर सजग रूप से ऐसे प्रयास करने चाहिए ताकि किसी भी तरह की अक्षमता वाले व्यक्तियों और बच्चों को समाज में अधिक से अधिक समावेशित किया जाए, अच्छा लगा। अन्य आलेख भी जानकारी से परिपूर्ण हैं।

- आदेश कुमार जैन

मेरठ, उत्तर प्रदेश

साहित्य और समाज

साहित्य समाज का दर्पण है, समाज का मार्गदर्शक एवं समाज का लेखा-जोखा है। किसी भी राष्ट्र या सभ्यता की जानकारी उसके साहित्य से प्राप्त होती है। साहित्य लोकजीवन का अभिन्न अंग

है। किसी भी काल के साहित्य से उस समय की परिस्थितियों, रहन-सहन व अन्य गतिविधियों का पता चलता है। साहित्य समाज रूपी शरीर की आत्मा है। समाज नष्ट हो सकता है, राष्ट्र नष्ट हो सकता है लेकिन साहित्य अजर-अमर है। मुख्यतः साहित्य का अर्थ कल्याणकारी भाव है। इस संदर्भ में आदिकाल से ही साहित्य का मूल उद्देश्य समाज का चित्रण करना रहा है। साहित्य समाज की आधारशिला है क्योंकि समाज, राष्ट्र एवं विश्व की उन्नति में साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। समाज में जो घटता है उसी, को ही साहित्यकार अपने साहित्य में वर्णित करता है। साहित्य के बिना राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति अपूर्ण है। साथ ही एक विकसित राष्ट्र विकसित साहित्य से और अधिक विकसित बनता है। इसलिए साहित्यकार को हमेशा ऐसे साहित्य का सृजन करना चाहिए जो राष्ट्रीय एकता, मानवीय प्रेम, सौहार्द, भाईचारे को बढ़ावा दे न कि विवाद को। साहित्य प्राकृतिक सौंदर्य, स्वास्थ्य, हास परिहास, ओजस्व को समेटे हो। गंदी राजनीति, धार्मिक संकीर्णता, अश्लीलता का समावेश न हो। एक कहावत है जैसा खाओगे अब वैसा होगा मन। इसी प्रकार जैसा साहित्य हम पढ़ते हैं लिखते हैं, वैसे ही हमारे विचार हो जाते हैं। यही विचार जब हमारे व्यक्तित्व में शामिल होते हैं तो वैसा ही हमारा व्यवहार होता है और हम समाज में इसी व्यवहार की वजह से अच्छे या बुरे की श्रेणी में आंके जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि साहित्य समाज की आधारशिला है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम कैसा साहित्य पढ़े?

- सरिता गुप्ता
पोरसा (मुरैना) मध्यप्रदेश

योजना, जनवरी 2021



भारत@75

भारत का अस्तित्व उसके 1.3 अरब नागरिकों की आशाओं, अपेक्षाओं और सपनों पर टिका है। नीतिगत पहल, नियोजन और कारगर कार्यान्वयन के जरिये देशवासियों को नई रहें और अवसर प्रदान किया जाना 'न्यू इंडिया' के निर्माण को बल दे सकता है। राष्ट्र का यह नव-निर्माण आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और ऐसे ही अनेक स्तंभों पर टिका होगा।

हमारी आजादी हजारों स्वतंत्रता-सेनानियों के प्रयासों और बलिदानों से मिली है। हम महात्मा गांधी, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल और ऐसे ही अनेक स्वप्नदृष्टा महापुरुषों के आभारी हैं जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।

इस अंक में 75 वर्षों की राष्ट्र की यात्रा के संघर्षों और प्रयासों की चर्चा की गई है और एक मज़बूत बुनियादी ढांचे के साथ 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से आगे बढ़ती आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत की यात्रा का भी उल्लेख है।

इस गौरवमयी यात्रा के जयगान के रूप में, भारत के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए 75 सप्ताह का आयोजन इस वर्ष प्रारम्भ हो रहा है। योजना का यह अंक जीवन के हर क्षेत्र में 'भारत के स्पंदन' के प्रति एक पुष्पांजलि है। इस अंक में पिछले 75 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों और लोगों के योगदान को स्मरण किया गया है।

हमने इस अंक को संग्रहणीय बनाने के पूरे प्रयास किए हैं और अपनी दृष्टि तथा विचारों से इस अंक को समृद्ध बनाने वाले प्रतिष्ठित लेखकों के हम आभारी हैं। संभवतः पहली बार माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, वर्तमान और पूर्व-केंद्रीय मंत्रियों, 'इसरो' के प्रमुख और फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, फिल्मकार जाहनु बरुआ जैसी अनेक जानी-मानी हस्तियों तथा विविध क्षेत्रों के श्रेष्ठ विद्वानों और प्रतिभाओं ने किसी पत्रिका के एक ही अंक में इन सभी श्रेष्ठ व्यक्तित्वों और प्रतिभाओं के 'नए भारत' के दृष्टिकोण को एकसूत्र में पिरोने का सुअवसर मिला है।

विश्व ने एक नए दशक में प्रवेश किया है। आशा है कि पिछले वर्ष की महामारी के घाव इस वर्ष भर सकेंगे और यह वर्ष भारत को सही अवसर प्रदान करेगा कि वह वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर नई नीतियों और संकेतों का नेतृत्व करे। हम आशा करते हैं कि यह वर्ष हमें - मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों तथा व्यापार में सुगमता और बेहतर बुनियादी सुविधाओं के जरिये - 'ब्रांड इंडिया' को शानदार बनाने में मदद करे। हम अपने स्थानीय उत्पादों और कौशल का प्रचार-प्रसार कर, साथ ही भारत की आध्यात्मिक-सांस्कृतिक धरोहरों, योग, सांस्कृतिक पर्यटन और सिनेमा को विश्व-पटल पर स्थापित कर 'वोकल फॉर लोकल' अभियान को आगे बढ़ा सकें।

किसी भी प्रयास की सफलता के लिए जन-भागीदारी अनिवार्य है। 'स्वच्छ भारत अभियान' इसका ज्वलातंतु उदाहरण है कि कैसे एक सरकारी पहल विशाल जन-आंदोलन का रूप ले सकती है।

निश्चय ही हमारी भावी पीढ़ियों का भारत आज के भारत से भिन्न होगा। हमारा दायित्व है कि हम उन्हें ऐसा भारत सौंपें जिस पर वे गर्व कर सकें - ऐसा भारत जिसमें आधुनिकता और परंपरा, बुनियादी साधनों और सेवाओं, प्रगति और अवसरों, विकास और टिकाऊपन, आत्म-निर्भरता और वैश्विकता तथा श्रेष्ठ भावबोध और बौद्धिक विवेक का सुंदर समावेश हो।

ऋग्वेद से उद्भृत हमारी यह वैदिक प्रार्थना सफल हो, साकार हो - आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। अर्थात् सभी दिशाओं से सद्विचार हमारे पास आएं। ■

स्वतंत्रता के 75 वर्ष

एम वेंकैया नायडु

भारत एक व्यापक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। हमारा लक्ष्य ऐसा माहौल बनाने का है जिसमें प्रत्येक देशवासी अपनी क्षमताओं का पूरा लाभ उठा सके और भरापूरा तथा उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सके। हमारे युवाओं को भ्रष्टाचार, जातिवाद, साम्प्रदायिकता और स्त्री-पुरुष भेद-भाव जैसी सामाजिक बुराइयों से संघर्ष में आगे रहना चाहिए। उन्हें आज देश में हो रहे आमूल परिवर्तन में भी अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए भारत को अधिक तेज़ रफ़्तार से विकास करने की आवश्यकता है।




व

र्ष 2021 बेहद खास साल होने जा रहा है क्योंकि इस साल हम अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। हमारे गणतंत्र की यात्रा में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और अतीत की अपनी उपलब्धियों तथा भविष्य की चुनौतियों पर सोच-विचार और अंतर्मन्थन करने का यह एक अच्छा अवसर है।

सदियों की पराधीनता और संघर्ष के बाद जब 15 अगस्त, 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की तो देशवासियों के सामने बेहतर भविष्य के बादों और उम्मीदों से भरा नया सवेरा था। लेकिन हमारे

सामने गरीबी, निरक्षरता और कुपोषण जैसी अनगिनत चुनौतियां भी थीं तथा औद्योगिक और वैज्ञानिक दृष्टि से मजबूत आधार का अभाव था। अभाव और कमी के उन दिनों के बाद से अब तक हम लंबा सफर तय कर चुके हैं। आज भारत की गिनती दुनिया की उभरती विश्व शक्तियों में होती है। क्रय शक्ति की दृष्टि से हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था है। वह दिन दूर नहीं जब हम अपना वह प्राचीन गौरव फिर से हासिल करेंगे जब भारत को विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था और पतंजलि तथा शंकराचार्य जैसे महान दार्शनिक,





चरक और सुश्रुत जैसे चिकित्सक, आर्य भट्ट और वराहामिहिर जैसे गणितज्ञ यहां पैदा हुए। इस महान विरासत का जिक्र करते हुए सरदार वल्लभभाई पटेल ने कहा था, “यहां की मिट्टी में ऐसा कुछ अनोखा है जो इतनी कठिनाइयों के बावजूद यह महान विभूतियों की धरती रही है।”

हमारा स्वतंत्रता संग्राम महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर जैसी महान हस्तियों के नेतृत्व में लड़ा गया। आज जब हम भारत को विकसित और खुशहाल राष्ट्र में बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो उनका जीवन और उनके विचार हमें प्रेरणा देते रहते हैं।

उम्र के लिहाज से औसतन 30 साल से कम वय वाले भारत को ‘वृद्धावस्था’ की ओर बढ़ रहे विश्व’ का एक नौजवान देश कहा जा सकता है। देश की इस युवा ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण के

रचनात्मक कार्य में लगाना जरूरी है। अगर हमारे नौजवानों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिले और आवश्यक कौशल संपन्न बना दिया जाए तो वे समाज में युग प्रवर्तन के संवाहक बन सकते हैं। मैं उन्हें स्वामी विवेकानन्द के प्रेरक वचनों का स्मरण दिलाना चाहूंगा जिन्होंने कहा था :

“वे कहते हैं, इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। लेकिन मैं कहता हूं, सबसे पहले अपने आप पर भरोसा करो। दुनिया का इतिहास चंद ऐसे लोगों का इतिहास है जिन्होंने खुद पर विश्वास किया।”

युवाओं को भ्रष्टाचार, जातिवाद, साम्प्रदायिकता और स्त्री-पुरुष भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों से संघर्ष का नेतृत्व करना चाहिए। आज उन्हें राष्ट्र में आमूल-चूल परिवर्तन लाने के अभियान का नेतृत्व करना है।



भारत आज एक व्यापक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। हमारा लक्ष्य एक ऐसी प्रणाली का विकास करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर सके और परिपूर्ण तथा उद्देश्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके।

कोविड-19 महामारी के प्रकोप ने जीवन के सामान्य प्रवाह को बाधित कर दिया है और हमारे जीवन पर जबरदस्त तनाव उत्पन्न कर दिया है। लेकिन अच्छी बात यह हूँड है कि इस महामारी से निपटने के लिए हमने अपनी सामूहिक जवाबी कार्रवाई को बड़ी सूझ-बूझ से तैयार किया है। हमारे संकल्प और लचीलेपन ने नकारात्मक प्रभावों को सहन करने की शक्ति दी है और चुनौतियों से निपटने की अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करने को प्रेरित किया है। आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होकर हम इस खतरे को अपने लिए एक अवसर में भी बदल रहे हैं।

हलकी सी किरण नजर आने लगी है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम फिर से सामान्य दिनचर्या वाला जीवन जीने लगेंगे।

जीवं संसदीय लोकतंत्र वाला भारत, आज विश्व मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। वह विकास के अपने पथ पर और अधिक आत्मविश्वास, दक्षता और वचनबद्धता के साथ अग्रसर हो रहा है। 'भारत@75' पर इस विशेषांक के प्रकाशन के लिए 'योजना' और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को मेरी शुभकामनाएं। ■

देशवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भारत को तेज रफ्तार से विकास करना होगा। लेकिन यह विकास सर्वसमावेशी होना चाहिए। हमारा विकास पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल और चिरस्थायी होना चाहिए। हमारा यह कर्तव्य है कि अपनी भावी पीढ़ियों को ऐसी पृथक्षी देकर जाएं जो रहने योग्य हो। हमारी प्राचीन सभ्यता हमें प्रकृति और अन्य जीवों के साथ तादात्म्य स्थापित कर रहना सिखाती है। मैंने अक्सर कहा है कि हमें अपनी संस्कृति को सहेज कर रखना चाहिए और अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए।

विकास का हमारा मॉडल संतुलित होना चाहिए। हमें उन विषमताओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए जो आज भी हमारे देशवासियों, समुदायों या धर्मों में विद्यमान हैं। हमें ग्रामीण और शहरी के अंतर को पाठने के साथ-साथ नयी उभरती डिजिटल खाई को भी पाठना चाहिए।

यह बात सच है कि सरकार अकेले ये सब कार्य नहीं कर सकती। निजी क्षेत्र को भी इसमें हाथ बंटाना होगा। भारत के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी साझेदारी ही आगे का रास्ता है।

विकास कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता ने यह बात अच्छी तरह साबित कर दी है कि सरकारी कार्यक्रमों को जनांदोलन बनाया जाना चाहिए और इनका नियंत्रण और नेतृत्व जनता के हाथों में होना चाहिए।





भारतीय लोकतंत्र, राजनीति और शासन

डॉ नजमा हेपतुल्ला

लोकतांत्रिक आदर्श 'लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों की सरकार' के विशद् विचार विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। उनमें राजनीतिक विशिष्टताएं शामिल हैं जिन्हें लोकतांत्रिक सामाजिक जीवन के उद्देश्य के संदर्भ में मूलभूत रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने जीवन को संचालित करने वाले कारकों को तय करने में लोगों की भागीदारी, नेताओं की सार्वजनिक जवाबदेही और सत्ता का समान वितरण।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम वास्तव में इस पर गर्व महसूस करते हैं। अंग्रेजों की अधीनता से भारत को मुक्ति दिलाने के लिए हमारे नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों ने अनेक संघर्ष, क्रांतिकारी गतिविधियां और अर्थक आंदोलन छेड़े। देशवासियों के बलिदान की बदौलत भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। गहन चर्चा और बहस के बाद हमारे पूर्वजों और दिग्गज विद्वानों ने संघवाद के रूप और शैली में एक संविधान

का मसौदा तैयार किया जिसमें केंद्र और प्रांतीय सरकारों का प्रावधान था (राज्य विधानसभाएं या संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाएं)। अनेक पेचीदगियों, बहुलतावादी विविधताओं, मतभेदों और टकरावों के बीच गहन विचार-विमर्श के बाद हमने अंततः 26 नवंबर, 1949 को भारत का एक संविधान अपनाया जिसमें प्रस्तावना, "संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य" के साथ सरकार के संघीय रूप का चयन किया गया था। इसकी प्रस्तावना

में हमारा संविधान व्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को समर्पित एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की आकांक्षा रखता है।

लगभग सत्तर वर्षों से हम सफल चुनावों के संचालन, लोट्र और राज्यों में सरकारों के शास्तिपूर्ण बदलाव के साथी हैं और साथ ही देशवासी अभिव्यक्ति, गतिविधियों और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। परन्तु दुर्भाग्य से देशवासी कई बार व्यापक असमानताओं, अन्याय या भारतीय संविधान में आश्वासित सामाजिक अपेक्षाओं की पूर्ति के ना होने का अनुभव करते हैं।

निहित स्वार्थों के परोक्ष अभिप्रायों को पूरा करने के लिए इसके दुरुपयोग के कारण 'लोकतंत्र' शब्द की मूल अवधारणा, जन धारणा और दर्शन की प्रतिष्ठा घटी है।

शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र को एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिक से अधिक लोगों और विचारों को व्यापक प्रतिनिधित्व और समावेश देना चाहिए। लोकतंत्र की परिभाषा तब तक अधूरी है जब तक इसे सामाजिक और व्यक्तिगत संदर्भों में परिभाषित नहीं किया जाता। फिर भी हमारे देश में हाल के वर्षों में यह देखा गया है कि राजनेताओं और निर्वाचित व्यक्तियों के रवैये और व्यवहार तथा राजनीतिक दलों के कार्यों, उनके कामकाज के तरीके, संगठन



अनेक पेंचीदगियों, बहुलतावादी विविधताओं, मतभेदों और टकरावों के बीच गहन विचार-विमर्श के बावजूद हमने अंततः 26 नवंबर, 1949 को भारत का एक संविधान अपनाया जिसमें प्रस्तावना, "संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य" के साथ सरकार के संघीय रूप का चयन किया गया था।

और अधियानों के तरीके 'लोकतंत्र' की अवधारणा और दर्शन को कमज़ोर करते हैं। हमने बाहुबल, धन शक्ति और व्यर्थ प्रचार की खबरों को उनके साधन और तरीकों के रूप में प्रचारित करते हुए देखा और अनुभव किया है। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा बड़े पैमाने पर झूठे वादे भी उनके चुनावी रैलियों और घोषणापत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान चुनावों के बाद भी अनावश्यक और अनुचित दल बदली की घटनाओं में वृद्धि देखी गयी है।

लोकतांत्रिक आदर्श 'लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों की सरकार' के विशद् विचार विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। उनमें राजनीतिक विशिष्टाएं शामिल हैं जिन्हें लोकतांत्रिक सामाजिक जीवन के उद्देश्य के संदर्भ में मूलभूत रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने जीवन को संचालित करने वाले कारकों को तय करने में लोगों की भागीदारी, नेताओं की सार्वजनिक जवाबदेही और सत्ता का समान वितरण। इसलिए, जब हम भारतीय लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमारा मतलब केवल यह नहीं है कि इसकी राजनीतिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं लोकतांत्रिक हैं, बल्कि यह भी है कि भारतीय समाज और प्रत्येक भारतीय नागरिक लोकतांत्रिक है जो सामाजिक क्षेत्र और व्यक्तिगत व्यवहार में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता



भारत@75 : कालजयी चित्र



और न्याय के बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाता है।

लोकतांत्रिक शासन एक ऐसी स्थिति है जिसमें संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता और समानता के वादे को एक लोकतांत्रिक राजनीतिक ढांचे में अनुभव किया जाता है जहां सरकार लोगों की पहचान, आकांक्षाओं और जरूरतों के प्रति संवेदनशील है और जहां लोग सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करते हैं। तभी लोकतांत्रिक शासन के अर्थ को प्रतिष्ठा मिलेगी।

आज भारत में हमारे लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती और खतरा सर्वत्र व्याप्त भ्रष्टाचार है। नियंत्रण/जांच के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना के बावजूद भारतीय लोकतंत्र का सबसे गरिमापूर्ण प्रतीक अब कमजोर हो गया है। आज भारत में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार एक प्रमुख चिंता का विषय है। भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तीनों स्तरों - राजनीतिक, नौकरशाही और कॉर्पोरेट क्षेत्र में मौजूद है। राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों और उद्योगपतियों के बीच सांठगांठ को देखा जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार और भ्रष्ट आचरण हुए हैं। भारत में व्यापक स्तर पर फैले भ्रष्टाचार को शासन की गुणवत्ता में सुधार में एक बड़ी बाधा के रूप में माना जाता है। वास्तव में भ्रष्टाचार राजनीतिक अस्थिरता और संस्थागत क्षय का

संकेत है जो शासन की वैधता और उपयुक्तता को चुनौती देता है।

बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के अलावा अपराधीकरण ने भी वर्तमान स्थिति में भारतीय चुनावी राजनीति की छवि को धूमिल किया है। स्पष्ट उदाहरण यह है कि राजनीति के अपराधीकरण का अर्थ अनैतिक लाभ के लिए राजनीति या राजनीतिक शक्ति का उपयोग करना है। इसलिए, राजनीति का अपराधीकरण लोकतांत्रिक

मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसका कोई स्थान नहीं है। यहां हमारे मतदाता, राजनीतिक दल और देश के किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था सभी इसके लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। सार्वजनिक नीति निर्धारण और शासन पर प्रभाव डालने के लिए पिछले कुछ वर्षों के दौरान राजनेताओं, जन प्रशासकों और व्यावसायिक घरानों के बीच सांठगांठ का होना काफी पीड़ादायक है। भारत में शासन का संकट बहुत बार उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यह लोकतांत्रिक संस्थानों में विकार उत्पन्न होने और अयोग्य, भ्रष्ट जन प्रशासकों और वोट के भूखे राजनेताओं के बीच एक सांठगांठ का परिणाम है। सुशासन की स्थापना संयोग से नहीं होती है। यह जिम्मेदार राजनीतिक नेतृत्व, प्रबुद्ध नीति-निर्माण और एक पेशेवर नैतिकता के ज़िबे वाली जन सेवा से जुड़ा हुआ है। सुशासन एक व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक प्रयास है।



शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र को एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिक से अधिक लोगों और विचारों को व्यापक प्रतिनिधित्व और समावेश देना चाहिए।

इस महत्वपूर्ण समय में हर क्षेत्र से समर्पित और ईमानदार जन नेताओं के दल का होना अपरिहार्य है। ऐसे सुशासन के लिए पूर्व-शर्त है एक सशक्त नागरिक समाज जिसमें स्वतंत्र प्रेस और स्वतंत्र न्यायपालिका शामिल हो। नागरिकों द्वारा इसकी मांग की जानी चाहिए और इसे राष्ट्र-राज्य द्वारा स्पष्ट और सचेत रूप से पोषित किया जाना चाहिए।

सुशासन से संबंधित उपरोक्त बिंदुओं के अलावा भारतीय लोकतंत्र और राजनीति के लिए सबसे बड़ा खतरा आज देश के विभिन्न समुदायों के बीच एकता का अभाव है। किसी एक समयकाल में एकता या अनबन हमेशा एक मुद्दा रहा है। यह एक तथ्य है कि स्वतंत्रता पूर्व काल के दौरान भारत के हिंदू और मुस्लिम समुदायों में काफी एकजुटता थी। यदि यथास्थिति को फिर से बनाए रखा जाता है तो यह भारतीय लोकतंत्र, राजनीति और शासन के लिए सार्थक होगा। इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम भारतवासियों को वास्तविक लोकतंत्र, राजनीति और सुशासन को देखने के लिए समर्पित, निस्वार्थ और ईमानदार शासकों/प्रशासकों की आवश्यकता है। हमारे देश के सभी नागरिकों को सदैव स्मरण



रखना चाहिए कि भारत 'अनेकता में एकता' का देश है। हम सभी को हमेशा 'लोकतंत्र, राजनीति और शासन' के आदर्श को मिलकर बनाए रखना चाहिए। ■

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नवी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बैंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामगंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नेप्चून टॉवर, चौथी मंजिल, नेहरू ब्रिज कॉर्नर, आश्रम रोड	380009	079-26588669

उद्योग@75

सुरेश प्रभु



**विश्व के सबसे बड़े
लोकतंत्र भारत ने हाल के
वर्षों में तेज परिवर्तन देखा
है। हम दुनिया के सबसे
नये लोकतंत्रों में से एक
होने के बावजूद सर्वाधिक
गति से विकसित हो रहे
राष्ट्रों में शामिल हैं। भारत
ने एक दशक के अंदर
अपने सकल घरेलू उत्पाद
को दोगुना कर उसे लगभग
30 खरब डॉलर तक पहुंचा
दिया है। मौजूदा समय में
वह दुनिया की छठी सबसे
बड़ी अर्थव्यवस्था है। आने
वाले वर्षों में इसके
50 खरब यानी 5 ट्रिलियन
डॉलर तक पहुंच जाने की
संभावना है। भारत की
अर्थव्यवस्था एशिया के
प्रमुख आर्थिक इंजन के तौर
पर विकसित हो रही है।**

प्र

धानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 10 दिसंबर, 2020 को नये संसद भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि यह भवन आत्मनिर्भर भारत के सृजन का गवाह होगा। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ 2022 में है। हम उस वर्ष तक एक नये और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। श्री मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत शासन और परिवर्तन की एक ऐसी नयी ऊंचाई को छू रहा है जिसे देश के समूचे इतिहास में कभी नहीं देखा गया था। प्रधानमंत्री सहकारी संघवाद के सिद्धांत के साथ ही 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के मॉडल को अपनाते हुए कोविड 19 समेत विभिन्न चुनौतियों के बीच भारत का नयी ऊंचाइयों की ओर नेतृत्व कर रहे हैं।

भारत में औद्योगिक विकास आसान नहीं रहा है। यह बीते वर्षों में विकास के विभिन्न चरणों से गुजरा है। भारत में अंग्रेजी औपनिवेश

शासन के आगमन के बाद भारतीय हस्तशिल्प उद्योग तबाह हो गया। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद मशीन से बने सामान भारतीय बाजारों में छा गये। ब्रिटिश नीति ने ब्रिटेन से तैयार सामान के आयात और भारत से कच्चे माल के निर्यात को प्रोत्साहित किया। लेकिन आजादी के तुरंत बाद स्थितियों में बदलाव आना शुरू हो गया। सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के जरिये औद्योगीकरण पर ध्यान केन्द्रित किया। पहली योजना में निजी और सार्वजनिक, दोनों ही क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया गया। महलनवीस मॉडल पर तैयार दूसरी योजना में औद्योगीकरण को प्राथमिकता दी गयी। शुरुआती तीन योजनाओं ने भारत में पूँजीगत सामान उद्योग के निर्माण में मदद की। लेकिन इन तीनों योजनाओं में उपभोक्ता सामान उद्योग को नजरंदाज किये जाने के कारण 1965 और 1980 के बीच औद्योगिक विकास में गिरावट दर्ज की गयी। इसके बाद 1980 और 1991 के बीच भारतीय उद्योगों



लेखक सांसद (राज्य सभा), जी-20 में भारत के शेरपा और भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं।
ईमेल : g20sherpaoffice@mea.gov.in



की उत्पादकता में इजाफे तथा विनिर्माण (मैनुफैक्चरिंग) और पूँजीगत सामान क्षेत्र में सुधार की बदौलत उद्योग इस गिरावट से उबर गये। वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के बाद अनेक सुधार किये गये जिन्होंने भारतीय उद्योगों के भविष्य को संवारने में सहायता की।

विश्व बैंक की व्यवसाय सुगमता रिपोर्ट, 2020 में भारत का स्थान 190 देशों के बीच 63वां है। उसने 2014 और 2019 के बीच इस रैंकिंग में 79 पायदानों की छलांग लगायी है। भारत का 2014 की इस रिपोर्ट में 142वां स्थान था। रैंकिंग के 10 मापदंडों में से कुछ में तो भारत ने जबर्दस्त प्रगति की है। निर्माण के लिये अनुमति जारी करने में भारत की रैंकिंग 2014 में 184वीं से सुधर कर 2019 में 27वीं हो गयी। इसी तरह बिजली प्राप्त करने में सुगमता के लिहाज से भारत 2014 में 137वें से 2019 में 22वें स्थान पर पहुंच गया है।

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) का अंतर्वाह अप्रैल, 2014 और सितंबर, 2019 के बीच 319 अरब डॉलर का रहा। यह पिछले 20 वर्षों में कुल एफडीआई अंतर्वाह का लगभग 50 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2020-21 में अब तक एफडीआई का अंतर्वाह 35.73 अरब डॉलर का रहा। यह किसी भी वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों के लिये रिकॉर्ड है। सरकार ने हाल ही में कोयला खनन और अनुबंध मैनुफैक्चरिंग में बिना पूर्व मंजूरी के 100 प्रतिशत एफडीआई की इजाजत दी है। इसी तरह रक्षा क्षेत्र में बिना पूर्व मंजूरी के 74 प्रतिशत तक एफडीआई की इजाजत दी गयी है। भारत में एफडीआई का अंतर्वाह 2022 तक प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान है। इससे हमारी स्वदेशी मैनुफैक्चरिंग मजबूत होगी तथा रोज़गार सृजन में भी मदद मिलेगी।

भारत में स्टार्टअप संस्कृति का जबर्दस्त विकास हुआ है। उद्योग और आंतरिक व्यापार

योजना, जनवरी 2021

संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने 2016 में शुरू की गयी स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत दिसंबर, 2020 तक 40 हजार से ज्यादा स्टार्टअप को मान्यता दी। हजारों नौजवान की आकांक्षा युवा उद्यमी बनने की है। स्टार्टअप इंडिया के जरिये बूट कैप, हैकाथॉन और ऑनलाइन प्रतियोगिताओं समेत बड़ी संख्या में कार्यक्रम नियमित तौर पर आयोजित किये जा रहे हैं। अटल नवाचार मिशन जैसी सरकार की प्रमुख पहलकदमियां वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 2015 में 81वें से 2020 में 48वें तक पहुंचाने में मददगार सावित हुई है। इस पहलकदमी के जरिये समूचे देश में स्कूली शिक्षा के समय से ही नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिये 660 से ज्यादा जिलों में लगभग 25 लाख छात्रों के बास्ते 4870 से अधिक क्रियाशील अटल टिंकिंग प्रयोगशालाओं का गठन किया गया है।

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग) नीतिगत सलाह देकर देश के सामने पौजूद विकास की चुनौतियों से निपटने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। देश भर में 115 आकांक्षापूर्ण जिलों की पहचान की गयी है। उनकी स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास तथा बुनियादी अवसंरचना के पांच क्षेत्रों में 49 संकेतकों में प्रगति के आधार पर रैंकिंग की जा रही है। नीति आयोग ने दिसंबर, 2019 में संवहनीय विकास लक्ष्य (एसडीजी)

भारत में स्टार्टअप संस्कृति का जबर्दस्त विकास हुआ है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने 2016 में शुरू की गयी स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत दिसंबर, 2020 तक 40 हजार से ज्यादा स्टार्टअप को मान्यता दी।

भारत सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया। इसी के साथ 100 राष्ट्रीय संकेतकों पर सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 17 संवहनीय विकास लक्ष्यों में प्रगति का पता लगाने के लिये ऑनलाइन डैशबोर्ड भी जारी किया गया। भारत ने खास तौर से एसडीजी 6 (स्वच्छ जल और साफ-सफाई) के मामले में काफी प्रगति की है। वर्ष 2014 में शुरू किये गये स्वच्छ भारत अभियान के जरिये 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कर भारत पांच वर्षों में खुले में शौच की समस्या से मुक्त हो गया है। इस अभियान के लिये श्री मोदी को विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ पर 2019 में ग्लोबल गोलकीपर के पुरस्कार से सम्मानित किया।

2015 में शुरू किये गये डिजिटल इंडिया अभियान ने डिजिटली तौर पर सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के गठन को सुनिश्चित किया है। ब्रॉडबैंड हाइबे के विकास, सबके लिये मोबाइल संपर्क, सार्वजनिक इंटरनेट कार्यक्रम और ई-शासन में काफी प्रगति हुई है। आधार, स्मार्ट सिटीज मिशन, भीम यूपीआई, रूपे, जीएसटी पहचान संख्या, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस और डिजिलॉकर भी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के दायरे में आते हैं। भारत नेट विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है। इसके जरिये 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इनमें से लगभग 1.48 लाख कनेक्शन अब तक लगाये जा चुके हैं। भारत का 'आधार' विश्व का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डाटाबेस बन गया है। अब तक लगभग 125 करोड़ आधार कार्ड जारी किये जा चुके हैं। आधार संख्या को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना से जोड़ दिये जाने से सरकारी धन का दुरुपयोग रोकने में काफी मदद मिली है। सरकार ने 2014 में जन धन योजना शुरू की थी। इसके 41.38 करोड़ लाभार्थियों के खातों में कुल 130932.33 करोड़ रुपये जमा



हैं। बिल गेट्स ने हाल ही में भारत की समावेशन की नीतियों की सराहना की है। उन्होंने यूपीआई और आधार को असाधारण प्रणाली बताया है जिनसे गरीबों के बीच धन के वितरण की लागत में काफी कमी आयी है। वर्ष 2019 के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार 2006 और 2016 के बीच भारत में 27.1 करोड़ नागरिक गरीबी से बाहर निकले हैं। मुद्रा ऋण योजना की शुरुआत 2015 में की गयी जिसके तहत गैरकृषि और गैरकॉर्पोरेट सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाता है। इस योजना ने निचले स्तर पर ऋणदाताओं को देश में हर तरह के व्यवसायों को कर्ज देने में सक्षम बनने में मदद की है। वर्ष 2019 में शुरू की गयी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसानों को न्यूनतम आय समर्थन के रूप में सालाना 6000 रुपये दिये जाते हैं। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिये हाल में जो विधेयक पारित किये गये हैं उनसे किसानों को नये बाजार और प्रौद्योगिकी का लाभ मिलेगा। इनसे कृषि क्षेत्र में निवेश लाने और 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने में सहायता मिलेगी।

वैश्विक स्तर पर भारत की साख में बहुत इजाफा हुआ है। देश को मई, 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। भारत को जून 2020 में दो साल के कार्यकाल के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य

निर्वाचित किया गया। देश एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। वह 2023 में जी 20 की मेजबानी करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने जून, 2020 में प्रधानमंत्री को जी-7 की बैठक में हिस्सा लेने और इसका सदस्य बनने के लिये आमंत्रित किया। वह जी-सात का विस्तार कर इसमें 10-11 सदस्यों को शामिल करना चाहते थे। इस समूह का सदस्य बनने से भारत को अपनी अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार करने का मौका मिलेगा।

2015 में शुरू किये गये डिजिटल इंडिया अभियान ने डिजिटली तौर पर सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के गठन को सुनिश्चित किया है। ब्रॉडबैंड हाइपे के विकास, सबके लिये मोबाइल संपर्क, सार्वजनिक इंटरनेट कार्यक्रम और ई-शासन में काफी प्रगति हुई है। आधार, स्मार्ट सिटीज मिशन, भीम यूपीआई, रूपे, जीएसटी पहचान संख्या, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस और डिजिलॉकर भी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के दायरे में आते हैं।

होता है। कोविड 19 के टीकों के निर्माण के लिये भी भारत सबसे पसंदीदा जगह है। दुनिया में टीकों का सबसे बड़ा वितरक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में ही है। इस साल सरकार ने वैश्विक महामारी से निपटने के लिये 20 लाख करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर भारत आर्थिक उत्प्रेरक राहत पैकेज जारी किया। यह रकम सकल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ व्यक्तियों को नवंबर, 2020 तक मुफ्त खाद्यान्न दिया गया। बीस करोड़ महिला जन धन खाता धारकों को तीन महीनों के लिये प्रति माह 500 रुपये दिये गये। मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी को बढ़ा कर प्रति व्यक्ति 202 रुपये किया गया जिसका लाभ 13.62 करोड़ परिवारों को मिल रहा है। नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 से भारत ज्ञान का वैश्विक सुपर पॉवर बनेगा। कृत्रिम मेधा, मशीन ज्ञानार्जन और बिग डाटा भविष्य के लिये मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और इस मामले में भारत भी बहुत दूर नहीं है। 'स्वयं' पोर्टल से वे छात्र लाभान्वित हो रहे हैं जिनकी डिजिटल क्रांति तक पहुंच सीमित है और जो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल होने में नाकाम रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत जीडीपी में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के योगदान को मौजूदा 30 प्रतिशत से बढ़ा कर 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य है जिससे अगले पांच वर्षों में पांच करोड़ रोज़गार पैदा होंगे।

मैंने केन्द्रीय मंत्री के तौर पर विभिन्न विभागों का पदभार संभालते हुए प्रधानमंत्री के सक्रिय समर्थन से कई बदलाव किये हैं।

2017 और 2019 के बीच वाणिज्य और उद्योग मंत्री के तौर पर मैंने जो परिवर्तन किये उनमें प्रमुख हैं -

- नयी औद्योगिक नीति : इस नीति का प्रस्ताव किया और विभिन्न हितधारकों के साथ राष्ट्रव्यापी विचार-विमर्श के जरिये इसे अंतिम रूप दिया।
- 50 खरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हसिल करने के लिये जिला स्तर पर स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा दिया।
- व्यापार संवर्द्धन : व्यापार संवर्द्धन में ज्यादा केन्द्रित नजरिया अपनाने की दिशा में कदम उठाये।

वैश्विक स्तर पर भारत की साख में बहुत इजाफा हुआ है। देश को मई, 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। भारत को जून 2020 में दो साल के कार्यकाल के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य निर्वाचित किया गया। देश एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है।

- निवेश संवर्द्धन के लिये कदम उठाये।
- प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिये प्रयास किये।
- स्टार्टअप पारिस्थितिकी को बढ़ावा दिया।
- नीति-निर्माण को भविष्योन्मुख बनाया गया।

2017 और 2019 के बीच केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रहते हुए मैंने निम्नलिखित बदलाव किये -

- नीति निर्माण : भारत की पहली हवाई माल वहन नीति, रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल नीति, राष्ट्रीय हरित उड्डयन नीति और ड्रोन नीति जारी की।
- उड्डयन उद्योग का संवर्द्धन : क्षेत्रीय संपर्क योजना 'उड़ान' को लागू किया। इस योजना के तहत 31 जनवरी, 2019 तक 12 लाख से ज्यादा यात्री विमान यात्रा कर चुके थे। उड़ान के 28 महीनों में 69 हवाई अड्डे, 31 हेलीकॉप्टर और और छह जल ड्रोन मंजूर किये गये। देश के पांच राज्यों में जल हवाई अड्डों के गठन में सहयोग किया।

2014 और 2017 के बीच रेल मंत्री के तौर पर निम्नलिखित कार्य किये -

- ग्राहक पर ध्यान : रेलवे के बारे में ऐतिहासिक तौर पर माना जाता था कि वह ग्राहकों का कम ख्याल रखता है। मैंने इस दृष्टिकोण को बदला और रेलवे में उपयोगकर्ताओं को यात्री के बजाय ग्राहक माना जाने लगा।
- योजना निर्माण और निवेश : रेलवे परियोजनाओं के लिये वित्त व्यवस्था के

तौरतीकों में परिवर्तन किया। विभिन्न नवाचारी उपायों के साथ ही बजट के बाहर से भी संग्राहन जुटाये गये।

- आधारभूत संरचना का सुजन : बुनियादी संरचनाओं के सृजन पर खर्च और कनेक्टिविटी में सुधार में काफी इजाफा हुआ।
- संवहनीयता : संवहनीयता को रेलवे की रणनीति का अभिन्न अंग बनाया गया।
- प्रशासन और पारदर्शिता : मैं पारदर्शिता का कट्टर पक्षधर रहा हूं। रेलवे के प्रशासन में सुधार लाने के लिये प्रौद्योगिकी और कामकाज के विभाजन का सहारा लिया गया।

मैं मौजूदा समय में जी-7 और जी-20 में प्रधानमंत्री के शेरपा के रूप में इन दोनों समूहों के शिखर सम्मेलनों के लिये महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत सरकार के आधिकारिक एजेंडे को तैयार करने में लगा हूं। मैंने थोड़े से समय में ही वैश्विक नेताओं और विचारकों से बातचीत करने के अलावा दुनिया भर में प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया है। मैंने हाल ही में ऋषिहुड़ विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलाधिपति का पद संभाला और सहकारिता विकास मंच की शुरुआत भी की है। इस मंच में सात प्रमुख सहकारिता नेता शामिल हैं। वे देश में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये काम करेंगे। इसके अलावा भारतीय बांस मंच का गठन किया गया है जिसमें बांस क्षेत्र से 55 प्रतिबद्ध नेता शामिल किये गये हैं। वे उद्यमिता, अनुसंधान और उच्च गुणवत्ता वाले बांस उत्पादों के संवहनीय ढंग से व्यापार को बढ़ावा देने के मकसद से काम करेंगे।

श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास की रफ्तार को देख कर मैं उम्मीद करता हूं कि हम देश के सामने मौजूद सभी चुनौतियों को पार करने में सफल होंगे। हम 2022 तक नये भारत का निर्माण करेंगे और इस परिवर्तन में उद्योग क्षेत्र एक बड़ी भूमिका निभायेगा। ■

संदर्भ

1. <https://www.makeinindia.com/eodb>
2. <https://www.investindia.gov.in/foreign-direct-investment>
3. <https://www.startupindia.gov.in/>
4. <https://niti.gov.in/aim>



नये भारत की शिक्षा

डा रमेश पोखरियाल 'निशंक'

शिक्षा अन्य बातों के अलावा सांस्कृतिक जागरूकता और सहानुभूति, दृढ़ता और धैर्य, टीम वर्क, नेतृत्व, संवाद सहित ज्ञान संबंधी सामाजिक और व्यवहारिक कौशल विकसित करती है। इस प्रकार, 2022 तक, नया भारत एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के लिए मजबूत आधार प्रदान करेगा जो आसानी से सुलभ, निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण, किफायती और जवाबदेही के सिद्धांतों पर आधारित होगी। नये भारत की शिक्षा विद्यार्थियों को लाभकारी और संतोषप्रद रोज़गार के लिए तैयार कर चरित्र-निर्माण को बढ़ावा देने में सक्षम बनाएगी।

प्रा

चीन काल से, हमारी शिक्षा प्रणाली में ज्ञान, प्रज्ञ और सत्य को सर्वोच्च मानव लक्ष्य के रूप में रखा गया है। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी जैसे संस्थानों ने 'घर पर अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देते हुए' बहु-विषयक शिक्षण और अनुसंधान के उच्चतम मानक निर्धारित किए थे। भारत को चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य जैसे असाधारण विद्वानों की भूमि के रूप में सम्मानित



लेखक भारत सरकार के शिक्षा मंत्री हैं। ई-मेल: minister.hrd@gov.in

किया गया है। विश्व ज्ञान प्रणाली के लिए समृद्ध विरासतों को आगे ले जाते हुए उनके योगदान को दुनिया भर में सराहा और महत्व दिया गया है।

हालांकि, दुख की बात है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली के मूल तत्व को बाद के युगों में कुचला गया। धर्मपाल जी ने अपनी पुस्तक, "द बूटीफुल ट्री - इंडीजिनस इंडियन एजुकेशन इन द एटीन्थ संचुरी" में अंग्रेजों के अधीन शिक्षा प्रणाली का





मौलिक रूप से मूल्यांकन किया है। उन्होंने जिक्र किया है कि भारत में अंग्रेजों के आने के साथ; 19 वीं शताब्दी के अंत तक स्वदेशी संस्थान विलुप्त हो गए थे। ब्रिटिश स्कूल थोड़ी सी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते थे, मद्रास प्रेसीडेंसी के लिए सार्वजनिक निर्देश के निदेशक की 1879-80 की रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षण संस्थानों की कुल संख्या 10,553 थी। शिक्षा मुख्य रूप से पढ़ने पर केंद्रित है, यहां तक कि लेखन और अंकगणित का कौशल भी कुछ में ही पैदा किया गया था। लॉर्ड मैकाले की इच्छा के अनुसार यह प्रणाली पूरी तरह से विदेशी और जड़विहीन थी। शिक्षा प्रणाली की अप्रासंगिकता ने आजादी के बाद की शिक्षा पर भी बोझ डाला। दयनीय भाव से, हमने शिक्षा के अपेक्षाकृत निचले स्तर को हासिल कर आजाद भारत की यात्रा शुरू की। हमारे पास केवल 17 विश्वविद्यालय और 636 कॉलेज और 1,90,441 स्कूल थे। शिक्षा का स्तर असंतोषजनक था जिसमें अंग्रेजी पर बहुत अधिक जोर दिया जाता था और भारतीय ज्ञान प्रणाली से अलग भारतीय भाषाओं पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। इस स्थिति ने देश की प्रगति के लिए शिक्षा के आमूल परिवर्तन वाले पुनर्निर्माण का आह्वान किया।

इन चिंताओं को अनेक आयोगों और समितियों जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968), राष्ट्रीय शिक्षक आयोग (1983-85), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), जिसमें 1992

एम्प्लॉयबिलिटी (वैतनिक कार्य के लिए उपयुक्त) रैंकिंग 2020 में भी, भारत ने अपनी रैंकिंग को 2020 में सुधार कर 15 कर लिया है जो 2010 में 23 पर थी, यहां तक कि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे विकसित देशों के विश्वविद्यालयों में भी गिरावट देखी गई।

में संशोधन किया गया (एनपीई 1986/92) और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (2005) में उठाया गया। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 बनने के बाद महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला। स्वतंत्रता के समय जो साक्षरता दर केवल 14 प्रतिशत थी वर्तमान में 74.04 प्रतिशत हो गई है। वर्तमान शिक्षा में 15,50,006 स्कूल, 9,416,895 शिक्षक और 24,78,53,688 स्कूल स्तर पर छात्र हैं, जबकि एआईएसएचई रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार 993 विश्वविद्यालय,

39,931 कॉलेज और 10,725 अकेले चल सकने योग्य संस्थान हैं; जिसने भारत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली बना दिया है। यह प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में, उच्च शिक्षा संस्थान दुनिया भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम हुए हैं।

क्वाक्कारेली साइमंड्स (क्यूएस) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के नवीनतम संस्करण के अनुसार, 2019 में 21 संस्थानों की तुलना में नवीनतम संस्करण में 26 भारतीय विभाग अपने विषयों की शीर्ष- 100 की सूची में प्रवेश कर रहे हैं। इसके अलावा, क्यू एस ने वैश्विक शीर्ष 50 के बीच भारतीय कार्यक्रमों की रैंकिंग की संख्या में भी वृद्धि देखी है। इसके अलावा, पहली बार भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 48वें रैंक के साथ 50 देशों में शामिल है, भारत वर्ष 2015 में 81वें स्थान पर रहा था। एम्प्लॉयबिलिटी (वैतनिक कार्य के लिए उपयुक्त) रैंकिंग 2020 में भी, भारत ने अपनी रैंकिंग को 2020 में सुधार कर 15 कर





लिया है जो 2010 में 23 पर थी, यहां तक कि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे विकसित देशों के विश्वविद्यालयों में भी गिरावट देखी गई।

एक कदम आगे बढ़ते हुए, पिछले वर्षों में हासिल की गई प्रगति को बढ़ाते हुए, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पेश की है। अंतिम शिक्षा नीति के बाद पिछले तीन दशकों में हुए परिवर्तनों के जवाब में इस नीति को पेश किया गया है। इसका उद्देश्य एक ओर हमारे देश की बढ़ती अनेक विकासवादी अनिवार्यताओं को पूरा करना है, जबकि दूसरी ओर एक न्यायसंगत और निष्पक्ष समाज का निर्माण करना है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है, “हम आधुनिक विचारधारा वाली सभ्यता और एक जीवंत लोकतंत्र हैं जो एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए अन्य देशों के साथ बातचीत करता है।” यह नीति इस दृष्टिकोण पर खड़ी उत्तरती है और इस प्रकार शिक्षा संरचना के सभी पहलुओं में संशोधन और उनमें नयापन लाने का प्रस्ताव करती है, जिसमें इसका नियंत्रण और संचालन शामिल हैं, ताकि एक नई प्रणाली बनाई जा सके जो 21वीं सदी की शिक्षा के वैश्विक आकांक्षात्मक लक्ष्यों के साथ जुड़ी है, जबकि भारत की परम्पराओं और मूल्यों की प्रणाली के अनुरूप है। इसमें वैश्विक मानसिकता के साथ प्रत्येक व्यक्ति की समृद्ध और जटिल रचनात्मक क्षमता के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें दुनिया के लिए विश्वसनीय आधार बनाने हुए आत्मनिर्भर भारत बनाने की शक्ति है।

एनईपी (नई शिक्षा नीति) विद्यार्थियों को विवेचनात्मक प्रश्ने पूछने, समस्या के समाधान और रचनात्मकता की भावना के साथ ‘ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा’ की ओर बढ़ने में सक्षम करेगी।

एनईपी (नई शिक्षा नीति)

विद्यार्थियों को विवेचनात्मक प्रश्ने पूछने, समस्या के समाधान और रचनात्मकता की भावना के साथ ‘ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा’ की ओर बढ़ने में सक्षम करेगी। विद्यार्थियों को बहु-विषयक शिक्षा और नवाचार की संस्कृति में खुद को विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा। विज्ञान और गणित के साथ-साथ पाठ्यक्रम और व्यवसाय में कला, शिल्प, मानविकी, गेम्स, खेल-कूद, भाषा, साहित्य, संस्कृति और मूल्य शामिल होंगे। इससे छात्रों को आत्म-बोध और विमुक्ति के समग्र विकास में मदद मिलेगी। नवे भारत की शिक्षा विद्यार्थियों को लाभकारी और संतोषप्रद रोज़गार के लिए तैयार कर चरित्र-निर्माण को बढ़ावा देने में सक्षम बनाएगी। शिक्षा दोनों को विकसित करेगी- ज्ञान संबंधी सामाजिक और

व्यवहारिक गंभीर कौशल विकसित करेगी- जिसमें अन्य बातों के अलावा सांस्कृतिक जागरूकता और सहानुभूति, दृढ़ता और धैर्य, टीम वर्क, नेतृत्व, संवाद शामिल हैं, जिसे ‘व्यवहारिक कौशल’ भी कहा जाता है। इस प्रकार, 2022 तक, नया भारत शिक्षा प्रणाली के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा जो आसानी से सुलभ, निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण, किफायती और जवाबदेही के सिद्धांतों पर आधारित होगी।

निश्चित रूप से देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा प्रणाली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। मुझे यकीन है कि हम 2022 में भारत के विश्व गुरु बनने की ओर पहला मुकाम हासिल करने में सक्षम होंगे जबकि हम भारत की आज़ादी की 75 वीं वर्षगांठ मनाएंगे। उनकी गूढ़ और प्रेरणादायक दृष्टि का प्रताप जो हमेशा से राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परिकल्पना के निरूपण और उसके कार्यान्वयन की ताकत रहा है।

शिक्षार्थियों के समग्र विकास पर फोकस

चरित्र और संज्ञानात्मक कौशल समेत 21वीं शताब्दी के प्रमुख कौशल से लैस सर्वांगीण विकास वाले व्यक्तित्व का निर्माण

ज्ञान की अभिव्यक्ति जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का खजाना है

रटने सीखने की संस्कृति से दूर वास्तविक समझ की ओर पहल

शिक्षार्थियों का एक अच्छे, सफल, अभिनव, हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम और उत्पादक व्यक्तित्व में विकास

www.mhrd.gov.in/shikshakparv

प्रकाशित - 5 नवंबर, 2020

अंतरिक्ष में भारत की सफल उड़ान

डॉ के सिवन

इसरो के भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने समग्र विकास और प्रौद्योगिक प्रगति को सुविधाजनक बनाने के अलावा, अंतरिक्ष अनुसंधान के विभिन्न अग्रणी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में देश को सक्षम बनाया है। इसरो आज अपने विशाल प्रक्षेपण केंद्रों, ट्रैकिंग केंद्रों, अनुसंधान तथा विकास सुविधाओं, विनिर्माण और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयों के साथ पूरे देश में फैला हुआ है। ये इकाइयां सभी अत्यधिक परिष्कृत और जटिल प्रौद्योगिकीय गतिविधियों में संलग्न हैं।

भा

रातीय अंतरिक्ष कार्यक्रम अपनी स्थापना के बाद 57 वर्षों में एक लंबा रास्ता तय कर चुका है। तिरुअनंतपुरम के पास थुम्बा में 1960 के दशक की शुरुआत में स्थापित साउंडिंग रॉकेट लॉन्च सुविधा से, यह एक विशाल विश्व-स्तरीय अंतरिक्ष शक्ति के रूप में परिपक्व हुआ है। इसरो आज अपने विशाल प्रक्षेपण केंद्रों, ट्रैकिंग केंद्रों, अनुसंधान तथा विकास सुविधाओं, विनिर्माण और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयों के साथ पूरे देश में फैला हुआ है, जो सभी अत्यधिक परिष्कृत और जटिल प्रौद्योगिकीय गतिविधियों में लगी हुई हैं।

अंतरिक्ष युग की शुरुआत करने वाले पृथ्वी के पहले कृत्रिम उपग्रह स्पूतनिक-1 के प्रक्षेपण के बमुशिक्ल पांच साल बाद, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान पर भारतीय राष्ट्रीय समिति के गठन के साथ 1962 में एक मामूली तरीके से शुरू हुए, अंतरिक्ष कार्यक्रम से भारत ने, आज अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले देशों में अपनी जगह बनाई है। स्पूतनिक-1 के प्रक्षेपण के महत्वपूर्ण दूरदर्शी निर्णय और बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले लोगों के मजबूत इरादे ने भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में महारत हासिल करने में मदद की।

लेखक अंतरिक्ष विभाग में सचिव और इसरो के अध्यक्ष हैं। ईमेल : o_director@vssc.gov.in

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत, 21 नवंबर, 1963 को केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम (तब त्रिवेंद्रम) के निकट मत्स्य स्थल थुम्बा से नाइक-अपाचे साउंडिंग रॉकेट के प्रक्षेपण से मानी जा सकती है। बाद में, थुम्बा एक

अंतर्राष्ट्रीय साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग स्थल बन गया और भू-चुंबकीय और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए कई देशों के ऐसे रॉकेट भेजे गए।

यह ऐसा समय था जब भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के वास्तुकार डॉ विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए आवश्यक



प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए थुम्बा में एक अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की। इसरो के नाम से मशहूर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969 में की गई। आज, 18,000 से अधिक के कार्यबल के साथ, इसरो के प्रतिष्ठान देश के कई हिस्सों में कार्य कर रहे हैं, जिनमें प्रत्येक एक विशिष्ट क्षेत्र पर केंद्रित है। हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र के उद्योग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा, शैक्षणिक संस्थानों ने भी भारतीय अंतरिक्ष कार्यों में अपना योगदान दिया है।

70 का दशक सीखने का चरण था, इस दौरान कई प्रयोगात्मक उपग्रह बनाए गए थे, जिनमें भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट भी शामिल था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के एक प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। आर्यभट्ट ने बाद के बेहद सफल भारतीय उपग्रह कार्यक्रम की मजबूत नींव रखी। दो प्रायोगिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों - भास्कर 1 और 2, ने अच्छा खासा अनुभव प्रदान किया और जटिल परिचालन सुदूर संवेदी उपग्रहों के निर्माण



भारत@75 : कालजयी चित्र

का आत्मविश्वास पैदा किया। आज, भारत उपग्रह आधारित सुदूर संवेदन क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है।

इसके अतिरिक्त, भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल, भारत में विकसित रॉकेट मोटर की मदद से जून 1981 में अपनी अंतिम भू-तुल्यकालिक कक्षीय गृह में पहुंचा, हालांकि इसे यूरोपीय एरियन रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। आर्यभट्ट के भास्कर 1 तथा 2 और साथ ही एप्पल को बिना किसी लागत के प्रक्षेपित किया गया था जो भारत की सफल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग नीति को दर्शाता है। हाल में, भारत न केवल भारतीय अंतरिक्ष यान पर विदेशी वैज्ञानिक उपकरणों को लेकर गया है, बल्कि उनका प्रक्षेपण भी किया है।

एप्पल उपग्रह

उपग्रहों के क्षेत्र में एक और छलांग लगाने के अलावा, इसरो ने 70 के दशक में दो महत्वपूर्ण प्रयोग- साइट और स्टैप किए, ताकि टेलीविजन प्रसारण और दूरसंचार के लिए उपग्रहों के उपयोग का अनुभव प्राप्त किया जा सके। इस दशक में इसरो ने अपना पहला उपग्रह - एसएलवी -3 विकसित किया, जिसने 18 जुलाई, 1980 को सफल प्रक्षेपण किया, जिससे भारत, स्वयं के उपग्रह प्रक्षेपित करने की क्षमता वाले छह चुनिदा देशों में शामिल हो गया था।

1980 के दशक में प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया गया और एसएलवी-3 की तुलना में अधिक सक्षम एसएलवी को विकसित करने की देश की क्षमता को प्रदर्शित करने का प्रयास किया


गया। इसी अवधि के दौरान, 1983 में भारत का पहला बहुदेशीय ऑपरेशनल उपग्रह इन्सैट-आई बी का प्रक्षेपण किया गया। इसने भारत के दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण और मौसम पूर्वानुमान क्षेत्रों में तीव्र और बड़ी क्रांति लाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। आज, संचार उपग्रह हमारे आर्थिक बुनियादी ढांचे का एक अभिन्न अंग है।

1988 में जब भारत में निर्मित पहले परिचालन उपग्रह आईआरएस-1ए ने कक्षा से पृथ्वी की तस्वीरें भेजना शुरू किया तो यह एक जटिल दूरसंवेदी उपग्रह को डिजाइन करने, बनाने और इसके रखरखाव की भारत की क्षमता का संकेत था। इस उपग्रह द्वारा 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर ध्रुवीय कक्षा से पृथ्वी की परिक्रमा करके भेजे गए चित्रों का उपयोग कृषि, भूजल पूर्वक्षण, खनिज सर्वेक्षण, वानिकी जैसे विविध क्षेत्रों में किया गया।

1990 के दशक के दौरान, इसरो ने बहुउद्देशीय उपग्रहों की इन्सैट-2 श्रृंखला का निर्माण स्वदेश में शुरू किया। इसी समय, फसल उपज अनुमान, भूजल तथा खनिज पूर्वक्षण, वन सर्वेक्षण, शहरी फैलाव निगरानी तथा बंजर भूमि वर्गीकरण और मत्स्य विकास जैसे कार्यों के लिए हमारे सुदूर संवेदन उपग्रहों से भेजी गई तस्वीरों का व्यवस्थित उपयोग शुरू हुआ।

आज, भारत में उन्नत दूरसंवेदी उपग्रहों का एक बड़ा है, जो मानचित्रण, संसाधन सर्वेक्षण और महासागर तथा वायुमंडलीय अनुप्रयोगों के विषयों के लिए समर्पित उच्च रिजॉल्यूशन तथा मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरों से लैस है। इन ध्रुवीय कक्षा-आधारित अवलोकन उपग्रहों के अलावा, 36,000 कि.मी. उच्च भू-समकालिक कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे, मौसम पर नजर रखने वाले उपग्रह इन्सैट-3डी और इन्सैट-3डीआर मौसम की भविष्यवाणी के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर रहे हैं। इन उपग्रहों के अलावा, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट) प्रणाली आज एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है। सी-बैंड, विस्तारित सी-बैंड, केयू-बैंड कोए/केयू-बैंड तथा एस-बैंड में 300 से अधिक ट्रांसपोर्डर के साथ इन्सैट प्रणाली, दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण, रेडियो नेटवर्किंग, उपग्रह





समाचार संकलन, सामाजिक अनुप्रयोग, मौसम पूर्वानुमान, आपदा चेतावनी और खोज तथा बचाव अभियान के लिए सेवाएं प्रदान करती है। जीसैट-11, जीसैट-29 और जीसैट-19 जैसे उपग्रह, देश में ग्रामीण क्षेत्रों और दुर्गम ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देकर डिजिटल इंडिया अभियान में सहायता कर रहे हैं। इन उपग्रहों पर ट्रांसपोर्डर जम्मू-कश्मीर और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं के डिजिटल अंतर को पाट सकते हैं।

प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी में तरक्की करना एक बेहद कठिन और चुनौती-पूर्ण काम है। यही कारण है कि केवल कुछ ही देश यह क्षमता हासिल कर पाए हैं। अब तक इसरो ने पांच प्रक्षेपण यान (एसएलवी-3, एसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी और एलवीएम-3 के रूप में भी मशहूर जीएसएलवी एमके-4 विकसित किया है और ठोस, तरल तथा क्रायोजेनिक प्रणोदकों का उपयोग करने वाले रॉकेटों की प्रौद्योगिकी में महारत हासिल की है।

भारत ने 70 के दशक में अपना पहला प्रक्षेपण यान एसएलवी-3 विकसित किया और 80 तथा 90 के दशक के शुरुआती दिनों में अपनी दूसरी पीढ़ी के प्रक्षेपण यान एसएलवी को पूर्ण करने के लिए दृढ़ रहा। वड़े उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम भारत

के पहले प्रक्षेपण यान पीएसएलवी ने 1994 में अपनी पहली सफल उड़ान भरी थी।

ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) भारत का तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। पिछले कुछ वर्षों में 49 सफल उड़ानों के साथ, पीएसएलवी भारत के विश्वसनीय और बहुमुखी वर्कहोर्स प्रक्षेपण यान के रूप में उभरा है। वास्तव में, इसने 7 नवंबर, 2020 तक 328 विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है और वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। 15 फरवरी, 2017 को, पीएसएलवी ने एक एकल प्रक्षेपण के दौरान 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। संग्या की दृष्टि से यह निस्संदेह एक रिकॉर्ड था, लेकिन इसका वास्तविक महत्व इसरो की क्षमता में अमेरिका सहित कई देशों द्वारा दोहराया गया अपार आत्मविश्वास है। यह सफलता इसरो द्वारा अभियान की सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना और इसके निर्बाध निष्पादन का परिणाम थी।

पीएसएलवी-सी37 द्वारा 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण

जियोसिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्क-2 (जीएसएलवी एमके-2) चौथी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। इसकी क्रायोजेनिक तकनीक में बहुत कम तापमान पर तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का भंडारण

शामिल है। बहुत कम तापमान पर काम करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री, द्रुतशीतन प्रक्रिया, इंजन मापदंडों की परस्पर क्रिया, क्रायोजेनिक चरण के विकास को बहुत ही चुनौतीपूर्ण और जटिल कार्य बनाती है। इसरो ने 5 जनवरी 2014 को जीएसएलवी-डी-5 उड़ान में स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक अपर स्टेज (सीयूएस) की सफल योग्यता के साथ, क्रायोजेनिक रॉकेट प्रणोदन की अपनी महारत का प्रदर्शन किया। जनवरी 2014 से, यान ने लगातार छह सफलताएं हासिल की हैं।

भारत के पांचवीं पीढ़ी के उपग्रह प्रक्षेपण यान जीएसएलवी एमके-3 में दो ठोस स्ट्रैप-ऑन, एक कोर तरल बूस्टर और एक क्रायोजेनिक ऊपरी चरण है। यान का, एस-4 टन वर्ग के उपग्रहों को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (जीटीओ) में या लगभग 10 टन वर्ग के उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट (एलईओ) में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। जीएसएलवी एमके-3 की पहली प्रयोगात्मक उप-कक्षीय उड़ान एलवीएम-3-X/क्रू मॉड्यूल वायुमंडलीय पुनः प्रवेश (केयर) मिशन दिसंबर, 2014 में हुआ और इसी महीने में क्रू मॉड्यूल वायुमंडलीय पुनः प्रवेश (केयर) प्रयोग किया गया। केयर मॉड्यूल ने अपनी वापसी की यात्रा शुरू की और थोड़ी देर बाद, फिर से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। इसके प्रक्षेपण के लगभग 20 मिनट बाद बंगाल की खाड़ी के ऊपर इसे सफलतापूर्वक बहाल कर दिया गया। इसके बाद, दो सफल विकासात्मक उड़ानों के बाद और जुलाई 2019 में चंद्रयान-2 की पृथ्वी पार्किंग कक्षा में सफल प्रवेश के साथ, जीएसएलवी एमके-3 ने सफलतापूर्वक अपने परिचालन चरण में प्रवेश किया।

इनके अलावा, भारत का पुनः उपयोग योग्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शक (आरएलवी टीडी) का मई 2016 में सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया और कई महत्वपूर्ण तकनीकों को सफलतापूर्वक मजबूत किया गया। इसरो के सुपरसेनिक कॉम्बसशन रैमजेट (एससीआरएमजेर्डीटी) इंजन का पहला प्रायोगिक मिशन प्रणोदन प्रणाली के लिए अगस्त 2016 में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। इसके साथ ही भारत सुपरसेनिक कॉम्बसशन

रैमजेट (एससीआरएमजेईटी) इंजन का उड़ान परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया।

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने हमेशा देश के समग्र विकास को प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के विकास और उपयोग की ओर ध्यान केंद्रित किया है। अनुप्रयोगों पर जोर देने के बावजूद, इसरो ने अंतरिक्ष की सार्थक खोज के लिए कई अंतरिक्ष विज्ञान परियोजनाओं का गंभीरता पूर्वक अनुसरण किया है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट एक वैज्ञानिक उपग्रह था।

आर्यभट्ट के बाद, इसरो ने एक अद्वितीय अभियान- स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपरिमेंट-1 (एसआरई-1) के साथ फिर से विज्ञान अभियानों के दायरे में प्रवेश किया, जिसने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था। जनवरी 2007 में पीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित किये गये, एसआरई-1 ने अपने वैज्ञानिक प्रयोगों के साथ 12 दिनों के लिए पृथक्की की परिक्रमा की और बंगाल की खाड़ी के ऊपर सफलतापूर्वक डीआर्बिट और रिकवर कर लिया गया। इसने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान और मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए आवश्यक कई प्रौद्योगिकियों को प्रमाणित किया है।

भारत के अंतरिक्ष विज्ञान अभियान-चंद्रयान-1, मंगल ग्रह कृत्रिम उपग्रह

मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (एचएसएफसी) का गठन किया गया। इसे गगनयान कार्यक्रम को लागू करने और निरंतर तथा किफायती मानव अंतरिक्ष यान उड़ान गतिविधियों के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

अभियान, एस्ट्रोसैट और चंद्रयान -2 ने लाखों भारतीयों और साथ ही बाहरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है।

पीएसएलवी द्वारा 22 अक्टूबर, 2008 को प्रक्षेपित किया गया, 1380 किलोग्राम का चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान तीन हफ्तों में सफलतापूर्वक चंद्रमा पर पहुंचा दिया गया और उसे चंद्रमा के आसपास की कक्षा में स्थापित कर दिया गया। 14 नवंबर, 2008 को, जब एक टीवी सेट के आकार का मून इम्पैक्ट प्रोब, चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान से अलग हुआ और चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक पहुंचा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और जापान के बाद चंद्रमा की सतह पर प्रोब भेजने वाला

भारत चौथा देश बन गया। बाद में, जब चंद्रयान-1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज की, तो इसे व्यापक रूप से एक पथ-प्रदर्शक खोज के रूप में देखा गया।

चंद्रयान-1 की सफलता से उत्साहित, इसरो ने मंगल ग्रह पर भेजने के लिए मानवरहित अंतरिक्ष यान बनाने, प्रक्षेपित करने और नेविगेट करने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए मंगल ऑर्बिटर मिशन को संपादित करने का प्रयास किया। 5 नवंबर, 2013 को पीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित किया गया, 1340 किलोग्राम का मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचा। इसके साथ ही इसरो सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजने वाली चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई है। पहले अभियान में ही सफलता हासिल करना इसरो की एक और उपलब्धि है।

पीएसएलवी द्वारा सितंबर 2015 में प्रक्षेपित किया गया एस्ट्रोसैट पहला समर्पित भारतीय खगोल विज्ञान अभियान है जिसका उद्देश्य एक्स-रे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में आकाशीय स्रोतों का एक साथ अध्ययन करना है। एस्ट्रोसैट ने हाल ही में अल्ट्रा-परावैगनी प्रकाश में, आकाशगंगाओं में से एक की खोज करके एक बड़ी सफलता हासिल की।

एसएलवी-3



एएसएलवी



जीएसएलवी एमके 2



जीएसएलवी एमके 3



ठंडाई	22.7 मी.
उड़ान भरते वजन	17 टन
प्रणोदन	समचा ठोस
भार द्रव्यमान	40 कि.ग्रा.
कक्षा	पृथकी की निवली कक्षा

ठंडाई	23.5 मी.
उड़ान भरते वजन	39 टन
प्रणोदन	समचा ठोस
भार द्रव्यमान	150 कि.ग्रा.
कक्षा	पृथकी की निवली कक्षा

ठंडाई	44 मी.
उड़ान भरते वजन	320 टन
प्रणोदन	ठोस और तरल
भार द्रव्यमान	1860 कि.ग्रा.
कक्षा	475 कि.ग्रा. सूर्य तुल्यकाली ध्रुवीय कक्षा (जीओसिन्क्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 1300 कि.ग्रा.)

ठंडाई	49 मी.
उड़ान भरते वजन	414 टन
प्रणोदन	ठोस, तरल और कार्योवानिक
भार द्रव्यमान	2200 कि.ग्रा.
कक्षा	जीओसिन्क्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट कक्षा

ठंडाई	43.43 मी.
उड़ान भरते वजन	640 टन
प्रणोदन	ठोस, तरल और कार्योवानिक
भार द्रव्यमान	4000 कि.ग्रा.
कक्षा	जीओसिन्क्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट



चंद्रयान-2 मिशन, भारत का दूसरा चंद्र अभियान है, जिसे 22 जुलाई, 2019 को सफलतापूर्वक किया गया था। चंद्रयान-2 ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान को उसकी निर्धारित कक्ष में स्थापित किया गया था। ऑर्बिटर पर आठ उपकरण लगातार उपयोगी विज्ञान डेटा प्रदान कर रहे हैं जो चंद्रमा के विकास और ध्रुवीय क्षेत्रों में खनिजों और पानी के अणुओं के मानचित्रण की हमारी जानकारी को समृद्ध करेंगे।

कई संचार, मौसम विज्ञान (मौसम निगरानी), सुदूर संवेदन और वैज्ञानिक उपग्रहों के सफलतापूर्वक निर्माण करने के बाद, इसरो ने भारतीय तारामंडल के साथ नेविगेशन (नेव आई सी) को सफलतापूर्वक स्थापित और संचालित किया है जो भारत और इसके आसपास के उपयोगकर्ताओं को अत्यधिक सटीक स्थिति, नेविगेशन और समय की जानकारी प्रदान करता है। मोबाइल टेलीफोनी के लिए प्रोटोकॉल विकसित करने वाले वैश्विक मानक निकाय तीसरी पीढ़ी भागीदारी परियोजना (3 जीपीपी) ने नेव आई सी को मंजूरी दी है। क्वॉलकॉम, मीडियाटेक, ब्रॉडकॉम, एलस्टार जैसे प्रमुख मोबाइल चिपसेट निर्माताओं ने अपनी रिलीज में नेव आई सी को शामिल किया है। इन चिपसेटों का उपयोग करते हुए, शाओमी और वनप्लस ने पहले से ही नेव आई सी सिग्नल प्राप्त करने में सक्षम प्रोसेसर के साथ मोबाइल हैंडसेट जारी किए हैं।

इसके अलावा, जीपीएस एडिड जीओ ऑगमेंटेड नेविगेशन (गगन) के माध्यम से,

इसरो नागरिक उड़यन अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक सटीकता और अखंडता के साथ सैटेलाइट-आधारित नेविगेशन और भारतीय एयरस्पेस पर बेहतर हवाई यातायात प्रबंधन सेवाएं प्रदान कर रहा है।

इसरो ने विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपग्रहों के निर्माण/प्रक्षेपण में विद्यार्थियों को भी सुविधा प्रदान की है। इसरो द्वारा अब तक विद्यार्थियों के 10 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं।

2018 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 'गगनयान कार्यक्रम', भारत की अंतरिक्ष यात्रा की विकास गाथा में विभक्ति का एक बिंदु है, जो मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के नए युग में एक सशक्त प्रयास को चिह्नित करता है। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को लागू करने के लिए जनवरी, 2019 में इसरो में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (एचएसएफसी) का गठन किया गया। इसे गगनयान कार्यक्रम को लागू करने और निरंतर तथा किफायती मानव अंतरिक्ष यान उड़ान गतिविधियों के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। गगनयान परियोजना का उद्देश्य कक्ष में 5-7 दिनों के लिए चालक दल के 3 सदस्यों के साथ निम्न पृथ्वी कक्ष (एलईओ) के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को प्रदर्शित करना है और मिशन के बाद उन्हें सुरक्षित रूप से बहाल करना है।

इसरो ने जुलाई 2018 में सफलतापूर्वक मानव अंतरिक्ष यान का एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तत्व- पैड एबॉर्ट टेस्ट (पीएटी)

को सिद्ध किया जो क्रू एस्केप सिस्टम (सीईएस) की अर्हता प्राप्त करने के लिए परीक्षण की शृंखला में पहला है। पैड एबॉर्ट टेस्ट उड़ान, लॉन्च पैड में आकस्मिकता के मामले में चालक दल को निकालने के लिए सीईएस की क्षमता का प्रदर्शन था। इसके साथ, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद इस महत्वपूर्ण तकनीक को हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है।

मानव संसाधनों में क्षमता निर्माण की दिशा में और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए, एक डीम्ड विश्वविद्यालय, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, 2007 में तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया था। यह संस्थान, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार में विशेषज्ञता के साथ स्नातक डिग्री और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है।

हाल में, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के गठन के द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए, निजी उपक्रमों और स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने, अधिकृत करने, नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोला गया था। यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रसार को बढ़ाएगा और देश के भीतर अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के सामने कई चुनौतियां हैं। इसकी योजना भारी तथा अधिक सक्षम और कुशल उपग्रहों के निर्माण की है। सौर मंडल का आगे और पता लगाने के लिए चंद्रयान-3, आदित्य-एल1, शुक्र ग्रह अभियान जैसे अंतरिक्ष विज्ञान अभियान प्रगति पर हैं। छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान, वायु श्वस्न रॉकेट प्रणोदन और पुनः प्रयोग योग्य रॉकेट प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन से संबंधित अनुसंधान और विकास गतिविधियां भी जारी हैं।

इस प्रकार, इसरो द्वारा कार्यान्वित भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने देश के समग्र विकास और तकनीकी प्रगति को सुविधाजनक बनाने के अलावा अंतरिक्ष अनुसंधान के विभिन्न अग्रणी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में सक्षम योगदान किया है। ■

भारतीय संघवाद की व्यवस्था

अमिताभ कांत

लगातार बदलती आर्थिक स्थितियों में नई तकनीकों के विकास और प्रशासन की नई व्यवस्था के उदय के कारण सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली में केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर नए सुधारों की आवश्यकता है। भारत में आज दिखने वाला राजकोषीय संघवाद आज़ादी से पहले के भारत में आरंभ हुए ऐतिहासिक विकास का नतीजा है। भारत में किसी समय केंद्र सरकार के असीमित विवेकाधीन अधिकारों वाली कठोर एकल व्यवस्था थी मगर समय के साथ विभिन्न आयोगों, समितियों एवं संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की मदद से यह संविधान से नियंत्रित संघीय व्यवस्था में बदल गया।

राजकोषीय संघवाद का क्रमिक विकास
 'राजकोषीय संघवाद' का आशय देश की केंद्र सरकार तथा सरकार की अन्य इकाइयों के बीच वित्तीय संबंधों से है। यह दर्शाता है कि व्यय और राजस्व को सरकारी प्रशासन के विभिन्न स्तरों में किस तरह आवंटित किया जाता है। राजकोषीय संघवाद लोगों को सबसे अधिक पसंद आने वाली जन सेवाएं बड़े स्तर पर देकर लागत कम रखने में सरकार की मदद करता है। राजकोषीय संघवाद का क्रमिक विकास 18वीं शताब्दी में आरंभ हुआ, जब अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने 1780 के दशक के लिखे अपने संघवादी पत्रों में कहा कि बहुस्तरीय (संघीय) सरकार में विभिन्न कार्य अलग-अलग स्तरों द्वारा संभाले जाते हैं, जिससे सरकार की कार्यक्षमता बढ़ जाती है क्योंकि अलग-अलग गतिविधियां अलग-अलग अभीष्टतम परिमाण में की जाती हैं।

भारत में आज का राजकोषीय संघवाद उस ऐतिहासिक विकास का परिणाम है, जिसकी शुरुआत आज़ादी से पहले के भारत में हुई थी। भारत में किसी समय केंद्र सरकार के असीमित विवेकाधीन अधिकारों वाली कठोर एकल व्यवस्था थी मगर समय के साथ विभिन्न आयोगों, समितियों एवं संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की मदद से यह

संविधान द्वारा नियंत्रित संघीय व्यवस्था में बदल गया। भारत में राजकोषीय संघवाद के विकास की जड़ें 1858 में मिलती हैं, जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय क्षेत्र को सीधे अपने अधिकार में लिया। उस समय लेखा की कोई मानक व्यवस्था नहीं थी और न ही वार्षिक बजट होता था। वित्त पर पूरा अधिकार केंद्र सरकार का ही होता था और स्थानीय सरकारों की मांग पूरी करने के लिए वह अपनी मर्जी से वित्तीय अनुदान देती थी। स्थानीय सरकारों केंद्र सरकार की एजेंट के रूप में राजस्व इकट्ठा करती थीं, जिस कारण संग्रह के परिणाम से उनका

सीधा लेना-देना नहीं था। लेकिन भारत जैसे विविधता भरे और विशाल देश में वित्तीय व्यवस्था का विकेंद्रीकरण अवश्यंभावी था।

स्वतंत्रता आंदोलन में हुए प्रयासों के कारण 1917 में ब्रिटिश सरकार को भारत में चरणबद्ध तरीके से जिम्मेदार सरकार लाने की घोषणा करनी पड़ी। इसके बाद मॉन्डेयू चेम्सफोर्ड सुधारों पर आधारित भारत सरकार अधिनियम, 1919 आया, जिसमें दोहरे शासन की व्यवस्था थी और प्रशासनिक विषयों तथा राजस्व स्रोतों को दो श्रेणियों - केंद्रीय एवं प्रांतीय - में बांटा गया था। पहली श्रेणी महारानी द्वारा नियुक्त सभासदों या काउंसिलर



1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

0

तालिका 1: राज्यों को केंद्र से कुल अंतरण

844710

965763

1010516

1043865

1117819

560850 598252

654982

670244

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20 स.अ.

■ कर अंतरण

■ वित्त आयोग अनुदान

■ कैंड्र प्रयोजित योजनाएं (2014-15 तक पूर्ववर्ती योजना आयोग से मिले अनुदानों तथा अन्य अनुदानों का अंतरण शामिल)

के हाथ में थी। दूसरी श्रेणी को चे मंत्री देखते थे, जिन्हे गवर्नर प्रांतीय विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों में से चुनते थे। हालांकि केंद्रीय राजस्व से तथा अनुदानों की प्रणाली चलती रही, जिससे प्रांतों के बीच असंतुलन बढ़ गया मगर इससे विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को गति भी मिली।

1927 में साइमन आयोग ने भारत सरकार अधिनियम, 1919 की समीक्षा की और भारतीय राज्यों तथा प्रांतों का संघ स्थापित करने की सिफारिश की। उसके बाद 1931 में लॉर्ड विस्काउटं पील की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने केंद्र तथा प्रांतों के बीच राजकोषीय संबंधों की पड़ताल की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच आयकर साझा किए जाने का सुझाव दिया, जिसमें प्रांतों का हिस्सा पांच वर्ष के लिए तय किया गया। इन सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार अधिनियम, 1935 लाया गया, जिसने प्रांतों एवं भारतीय राज्यों को दो अलग इकाई मानते हुए संघीय व्यवस्था स्थापित की।

इस प्रकार 1919 के अधिनियम और 1935 के अधिनियम ने भारत में राजकोषीय संघवाद का बुनियादी ढांचा स्थापित किया, जिसमें 1919 के अधिनियम ने केंद्र तथा प्रांतों के बीच राजस्व मद को अलग किया तथा 1935 के अधिनियम ने केंद्र के राजस्व को साझा करने एवं प्रांतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान किया। 1947 में आजादी मिलते समय भारत विभाजन, शारणार्थी

संकट, अनुभवहीन संस्थाओं तथा कमजोर औपनिवेशिक व्यवस्था की समस्याओं से जूँझ रहा था। मगर उस समय सरदार वल्लभभाई पटेल की दुष्टि एवं दूरवर्षीता के कारण 569 से अधिक रियासतों का विलय भारत संघ में करने में मदद मिली और भारत में संघीय ढांचे की नीव पड़ी।

भारत में सार्वजनिक वित्त का संघीय चरित्र

संविधान सभा में भारतीय संविधान की संघीय प्रकृति पर खासी चर्चा हुई। संघवाद संविधान का मूल तत्व बन गया। डॉ बी आर अंबेडकर ने इन शब्दों में इसकी बखूबी व्याख्या की- “संविधान का मसौदा संघीय संविधान है क्योंकि यह दोहरी शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। प्रस्तावित संविधान के

‘राजकोषीय संघवाद’ का आशय देश की केंद्र सरकार तथा सरकार की अन्य इकाइयों के बीच वित्तीय संबंधों से है। यह दर्शाता है कि व्यय और राजस्व को सरकारी प्रशासन के विभिन्न स्तरों में किस तरह आवंटित किया जाता है। राजकोषीय संघवाद लोगों को सबसे अधिक पर्सन आने वाली जन सेवाएं बड़े स्तर पर देकर लागत कम रखने में सरकार की मदद करता है।

अंतर्गत दोहरी शासन व्यवस्था के केंद्र में संघ तथा परिधि पर राज्य होंगे तथा दोनों के पास संविधान में उल्लिखित अपने-अपने क्षेत्रों में संप्रभु अधिकार होंगे।” 1950 में अंगीकृत भारतीय संविधान भारत को “राज्यों के धर्मनिरपेक्ष, संघीय, समाजवादी संघ” के रूप में परिभाषित करता है। केंद्र और राज्य दोनों के पास अलग-अलग विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक व्यवस्थाएं हैं। संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों एवं कार्यों की सीमा तय की गई है जैसे केंद्रीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची के विषयों में परमाणु ऊर्जा, रक्षा, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, वायुमार्ग तथा बड़े स्तर वाले क्षेत्र शामिल हैं। केंद्र की सूची में ऐसे विषय हैं, जो राज्यों के भीतर विकास की अच्छी खासी संभावना से जुड़े हैं। संविधान में केंद्र तथा राज्य दोनों के कराधान अधिकार स्पष्ट किए गए हैं और राजस्व तथा कुछ अन्य संसाधनों की साझेदारी तय करने वाले सिद्धांत भी दिए गए हैं। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को केंद्र एवं राज्यों के बीच साझा करना होता है और उसके लागू होने के बाद आयकर (कंपनी एवं व्यक्तिगत) का पूरा अधिकार केंद्र के पास आ गया है, जबकि राज्यों को स्टाप शुल्क, अल्कोहलयुक्त पेय पर उत्पाद शुल्क, वाहनों के पंजीयन एवं वाणिज्यिक उपयोग तथा कुछ अन्य छोटे करों के संग्रह का अधिकार मिल गया है।



राज्यों को केंद्र से अंतरण

भारत इस मामले में अनूठा नहीं है क्योंकि सरकारों के बीच अंतरण संघीय व्यवस्था वाले कई देशों में होता है और एकल पार्टी वाली सभी व्यवस्थाओं में भी केंद्र सरकार से स्थानीय सरकारों को अंतरण किया जाता है। भारत में सरकार के विभिन्न स्तरों पर राजस्व एवं व्यय में अंतर तथा एक ही स्तर पर मौजूद इस तरह के अंतर को पाटने के लिए केंद्र सरकार सामान्य उद्देश्य वाले अंतरण और विशेष उद्देश्य के अंतरण के रूप में राज्य सरकारों को धनराशि प्रदान करती है। सामान्य उद्देश्य वाला अंतरण वास्तव में वित्त आयोग के जरिये राज्य सरकारों को मिलने वाली बिना शर्त धनराशि होता है। वित्त आयोग का गठन राजस्व एवं व्यय का अंतर पाटने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 275-278 के तहत 1951 से ही हर पांच वर्ष में किया जाता है। केंद्र से होने वाले अंतरण का बड़ा हिस्सा इसी से आता है। यह केंद्रीय करों को राज्य के पास अंतरित करने के मानक एवं सहायता अनुदान के वितरण के सिद्धांत की सिफारिश करता है। अभी तक चौदह वित्त आयोगों ने अपनी अवधि पूरी की है और 15वां आयोग 2020-21 के लिए सिफारिशें कर चुका है। राज्यों को बचा हुआ केंद्रीय अंतरण विशेष उद्देश्य वाले अंतरण के रूप में होता है, जिसे सर्वश्रेष्ठ अंतरण भी कहा जा सकता है क्योंकि ये अंतरण किसी विशेष उद्देश्य के लिए होते हैं, जो अधिकतर स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, कौशल विकास जैसे सामाजिक क्षेत्र में होते हैं, जो

राष्ट्रीय विकास के एजेंडा का हिस्सा होते हैं और राज्यों की सीमाओं से परे होते हैं। ये अंतरण सर्वधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में किए जाते हैं। 2014-15 तक पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा विकास की योजना के लिए तय किए गए अंतरण में सर्वान्ध अंतरण भी शामिल होते थे। योजना आयोग के अंतरण में फॉर्मूला पर आधारित सामान्य केंद्रीय सहायता तथा विशेष योजना सहायता, बाहरी सहायता वाली परियोजनाओं के लिए सहायता जैसे विवेकाधीन अंतरण शामिल होते थे। धन के आवंटन की जिम्मेदारी अब वित्त मंत्रालय को दे दी गई है।

1927 में साइमन आयोग ने भारत सरकार अधिनियम, 1919 की समीक्षा की और भारतीय राज्यों तथा प्रांतों का संघ स्थापित करने की सिफारिश की। उसके बाद 1931 में लॉर्ड विस्काउट पील की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने केंद्र तथा प्रांतों के बीच राजकोषीय संबंधों की पड़ताल की तथा केंद्र तथा प्रांतों के बीच आयकर साझा किए जाने का सुझाव दिया, जिसमें प्रांतों का हिस्सा पांच वर्ष के लिए तय किया गया।

स्थानीय निकायों को संसाधनों का अंतरण उप राज्य (स्थानीय) प्रशासनिक निकायों के स्तर तक विकेंद्रीकरण के बारे ही राज्यों को अधिकार प्रदान करना 1990 के दशक से पूर्व बहुत कम था। 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन परित होने के बाद ही दो स्तर वाला भारतीय संघीय ढांचा तीन स्तर वाले ढांचे में बदला और ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्य विधान मंडलों को कुछ जिम्मेदारियां, शक्तियां एवं अधिकार पंचायतों तथा नगर पालिकाओं को सौंपने होते हैं ताकि विकेंद्रीकरण बढ़े और योजनाओं के क्रियान्वयन में, निर्णय लेने में पारदर्शिता लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने एवं परिणामों पर नजर रखने में समुदायों की हिस्सेदारी अधिक हो। अनुच्छेद 243 (आई) और अनुच्छेद 243 (वाई) में पांच वर्ष के नियमित अंतराल पर राज्य वित्त आयोगों के गठन की जरूरत और भी बढ़ गई ताकि राज्यों एवं पंचायतों के बीच कर के शुद्ध बंटवारे पर निर्णय लिया जा सके, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के जिम्मे रहने वाले कर, शुल्क एवं टोल आदि निर्धारित किए जा सकें और पंचायतों तथा नगर पालिकाओं को उपलब्ध कराया जाने वाला सहायता अनुदान तय हो सके।

धन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय संघवाद की पुनर्परिभाषा

समसामयिक आवश्यकताओं तथा विकास की प्राथमिकताओं को देखते हुए समय के साथ संघवाद का विकास हुआ है। संघवाद का बुनियादी सिद्धांत तो वही रहा मगर तमाम वर्षों में हुए कई घटनाक्रम मसलन 1991 में उदारीकरण, 2005 में वैट क्रियान्वयन और हाल के परिवर्तन जैसे 2017 में जीएसटी प्रणाली, 2015 में योजना आयोग खत्म कर नीति आयोग का गठन तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं को तर्कसंगत बनाया जाना आदि के कारण बिना शर्त राशि का अंतरण बढ़ गया है, जिसके कारण केंद्र तथा राज्य के राजकोषीय संबंध भी लगातार बदलते रहे हैं।

पिछले वर्ष कुछ बड़ी घोषणाएं हुईं, जिन्होंने केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंधों में ढांचागत बदलाव ला दिए:-

राज्यों को दी जाने वाली बिना शर्त

राशि में वृद्धि: राज्यों को कर अंतरण एवं अनुदान समेत वित्त आयोग से अंतरित होने वाली राशि राज्यों को अंतरण का प्रमुख स्रोत रही है। आठवें वित्त आयोग के समय में कुल अंतरण में इस राशि का 60.1 प्रतिशत हिस्सा था, जो दसवें आयोग के समय में बढ़कर 68.6 प्रतिशत हो गया और 12वें आयोग के कार्यकाल तक इतना ही बना रहा। तेरहवें वित्त आयोग के समय केंद्र प्रायोजित योजनाओं के पुनर्गठन के कारण वित्त आयोग से इतर अंतरण बढ़कर करीब 32 प्रतिशत हो गए। लेकिन चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर प्राप्तियों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गई, जो अब तक की सबसे अधिक वृद्धि थी। कुल अंतरण में वित्त आयोग के अनुदानों की हिस्सेदारी भी बढ़कर 74 प्रतिशत हो गई। केंद्रीय कर प्राप्तियों में से हिस्सेदारी में 10 प्रतिशत की भारी वृद्धि राज्यों को अधिक राजकोषीय स्वायत्ता प्रदान करने के उद्देश्य की ओर संकेत करती है, जिससे वे खर्च की अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकें और खुद आकलन कर राज्य के लिए जरूरी विकास योजनाएं शुरू कर सकें।

सरकारों के बीच अंतरण में ढांचागत बदलावों के अलावा राज्यों को केंद्र से अंतरण

1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित होने के बाद ही दो स्तर वाला भारतीय संघीय ढांचा तीन स्तर वाले ढांचे में बदला और ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्य विधान मंडलों को कुछ जिम्मेदारियां, शक्तियां एवं अधिकार पंचायतों तथा नगर पालिकाओं को सौंपने होते हैं ताकि विकेंद्रीकरण बढ़े और योजनाओं के क्रियान्वयन में, निर्णय लेने में पारदर्शिता लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने एवं परिणामों पर नजर रखने में समुदायों की हिस्सेदारी अधिक हो॥


की मात्रा भी 2011-12 के 5.61 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2014-15 में 6.71 लाख करोड़ रुपये हुई और 2019-20 में भारी बढ़ोत्तरी के साथ 11.18 लाख करोड़ रुपये हो गई (तालिका-1)। इससे राज्यों

को विकास पर अपना खर्च बढ़ाने में बड़ी सहायता हो गई।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं को युक्तिसंगत बनाना: समय के साथ महत्वपूर्ण समितियों/उपसमूहों की सिफारिशों के बाद केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या काफी बढ़ गई है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में इनकी संख्या 190 थी, जो नवीं योजना के अंत में बढ़कर 360 हो गई और 12वीं योजना के आरंभ में 66 हो गई। इन्हें दुरुस्त बनाने की सबसे हालिया पटल 2016-17 में हुई, जो केंद्र प्रायोजित योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने के लिए गठित मुख्यमंत्रियों के उप-समूह की सिफारिशों पर आधारित थी। नीति आयोग के अंतर्गत गठित उप-समूह द्वारा पेश रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या 66 से घटाकर 28 कर दी गई। बड़े राज्यों हेतु प्रमुख योजनाओं के लिए वित्त जुटाने का तरीका 70:30 (केंद्र:राज्य) से बदलकर 60:40 कर दिया गया। राज्यों को योजनाओं के अंतर्गत अपनी जरूरतों के लिए 10 प्रतिशत के बजाय 25 प्रतिशत राशि खर्च करने की छूट दी गई। नीति आयोग के साथ प्रत्येक मंत्रालय/विभाग से प्रत्येक योजना के अंतर्गत आवंटन के लिए पारदर्शी मानदंड तैयार करने की सिफारिश की गई एवं नीति आयोग को व्यय की प्रभावशीलता बढ़ाने एवं परिणाम बेहतर करने के लिए तीसरे पक्ष से मूल्यांकन कराने का जिम्मा दिया गया।

केंद्रीकृत नियोजन एवं विवेकाधीन अनुदान के युग का अंत: बजट बनाते समय योजनागत एवं गैर योजनागत का अंतर 2017-18 के बजट में खत्म कर दिया गया। सामान्य अंतरण एवं बिना शर्त अंतरण में बढ़ोत्तरी के साथ ही पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त केंद्रीय सहायता, विशेष योजनागत सहायता, विशेष केंद्रीय सहायता को समाप्त कर दिया गया।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का क्रियान्वयन: वस्तु एवं सेवा कर का क्रियान्वयन स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े वित्तीय सुधारों में से एक था। अनुच्छेद 279ए के अंतर्गत संविधान ने जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया, जो केंद्र एवं राज्यों का संयुक्त मंच था और जिसे जीएसटी दरें, कर, उपकर, छूट आदि के लिए सिफारिशें



विशेष नीतियां बनाने के उद्देश्य से विशेष मंच गठित किए।

नीति आयोग ने एक अनूठी पहल करते हुए राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों का प्रदर्शन बेहतर करने में मदद करने के इरादे से प्रतिस्पर्द्धी संघवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। इसके लिए वह मदद करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में पारदर्शी रैंकिंग के जरिये स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देता है। नीति आयोग द्वारा आरंभ किए गए कुछ सूचकांक शिक्षा सूचकांक; स्वास्थ्य सूचकांक; समग्र जल प्रबंधन सूचकांक; सतत विकास के लक्ष्य सूचकांक एवं आकांक्षी जिलों के प्रदर्शन हेतु डेल्टा रैंकिंग हैं। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को विभिन्न क्षेत्रों में आंकड़े डालने तथा अन्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुकाबले अपने प्रदर्शन पर नजर रखने एवं तीसरे पक्ष से आंकड़ों का सत्यापन कराने में मदद के लिए गतिशील रियल टाइम (बिना देर किए) आधारित पोर्टल बनाए गए हैं। जब जिले एक-दूसरे से स्पर्द्धा करेंगे तो राज्य अधिक मजबूत बनकर उभरेंगे और जब राज्य एक-दूसरे से होड़ करेंगे तो राष्ट्र अधिक मजबूत होगा। भारत का कायाकल्प करने के प्रयास में यह प्रशासन के अहम घटकों में से एक है। इससे हमें 'प्रतिस्पर्द्धी लोकवाद' की प्रवृत्ति कमजोर करने और उसके बजाय 'प्रतिस्पर्द्धी सुशासन' की प्रवृत्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी।

आगे की राह

दक्षता तथा निष्पक्षता के बीच संतुलन बिठाने की चुनौती हमेशा ही संघवाद का अहम पहलू रही है। राज्यों की आकांक्षा पूरी

नीति आयोग ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए तथा केंद्र-राज्य

साझेदारी मॉडल: राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को विकास सहयोग की सेवा तथा सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हूमन कैपिटल (साथ) कार्यक्रम जैसी निजी-सार्वजनिक साझेदारी में नई जान फूंकने और उसे स्थापित करने के लिए मॉडल तथा कार्यक्रम भी चलाए हैं।

करना भारत के राजकोषीय संघवाद की सबसे पहली प्राथमिकता है। केंद्र-राज्य संबंधों के मामले में सबसे बड़ी उपलब्धि यह भी है कि राज्यों को देश की वृद्धि का ही नहीं बल्कि देश भर में नागरिकों के जीवन में सुधार का भी वाहक माना जा रहा है। कोविड संकट से निपटने का हालिया अनुभव इस बात का सफल उदाहरण है कि दुनिया भर में हाहाकार मचाने वाली महामारी से लड़ने के लिए केंद्र और राज्यों ने किस तरह साथ मिलकर काम किया। इसी तरह सतत विकास के लक्ष्यों को स्थानीय रूप प्रदान करने के कदम भी उठाए गए हैं ताकि उप-राष्ट्रीय स्तरों पर विशेष कदमों की पहचान की जा सके।

केंद्र और राज्य के संबंधों का देश के वित्त पर अहम राजकोषीय प्रभाव होता है जैसे कुल ऋण को केंद्र तथा राज्य के बीच साझा

करने का अनुपात, राजकोषीय मामलों में अचूकता, ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों का सशक्तीकरण, सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना तथा राजकोषीय दृष्टि से अनुत्पादक नीतियों को रोकने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क में सुधार।

लगातार बदलती आर्थिक स्थितियों, नई तकनीकों के विकास एवं नए शासन ढांचे के उद्भव के कारण केंद्र एवं राज्य के स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रवंधन प्रणाली में, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी प्रवंधन में, दक्ष सरकारी खरीद प्रणाली में, वित्तीय सूचना में पारदर्शिता के मामले में, एकसमान लेखा प्रक्रियाओं में, राज्यों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तथा लाभार्थियों की एकीकृत सूची में नए सुधारों की आवश्यकता है। राज्य स्तर, जिला स्तर या खंड स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत करने की व्यवस्था होनी चाहिए। दोतरफा संचार के रास्ते हर समय खुले रहने चाहिए ताकि समस्याएं तेजी से सुलझ जाएं तथा विकास में बाधा नहीं पड़े। तभी विकसित भारत के सपने को सच में साकार किया जा सकेगा। ■

संदर्भ

- के. गोप कुमार 2012, "हिस्टोरिकल इवॉल्यूशन ऑफ फेडरल फाइनेंसेज इन इंडिया", फेडरल गवर्नेंस, खंड 9 संख्या 2, पृष्ठ संख्या 27-44
- चंचल कुमार शर्मा 2019, "इंडियन फेडरलिज्म एन इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट", ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृष्ठ संख्या 186
- एन. के. सिंह का व्याख्यान, 2019, "फिस्कल फेडरलिज्म: आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस", आरबीआई बुलेटिन पृष्ठ 19-27
- रिचर्ड हेमिंग, नेवन मेट्स एवं बैरी पॉटर, 1997, "फिस्कल फेडरलिज्म इन ध्योरी एंड प्रैक्टिस". आईएमएफ
- एम. गोविंद राव, 2000, "फिस्कल डीसेंट्रलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी", इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकनॉमिक चेंज
- ए. बागची, 2001, "फिस्टी इयर्स ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया: एन अप्रेजल", गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकनॉमिक्स, पुणे में दिया गया काले स्मृति व्याख्यान
- लुईस टिलिन, 2019, "इंडियन फेडरलिज्म", ऑक्सफर्ड इंडिया शॉर्ट इंट्रोडक्शन्स
- वाई. वी. रेड्डी, 2019, "इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म", ऑक्सफर्ड द्वारा प्रकाशित
- वी. के. चतुर्वेदी, 2011, "केंद्र प्रायोजित योजनाओं के पुनर्गठन पर समिति की रिपोर्ट"
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने पर मुख्यमंत्रियों के उप-समूह की रिपोर्ट, 2015.



जन स्वास्थ्य में नए प्रयोग

डॉ बलराम भार्गव

सबके लिए स्वास्थ्य के एक टिकाऊ और असरदार मॉडल के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की लागत, गुणवत्ता और सुलभता के बीच सामंजस्य रखना बेहद आवश्यक है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने, जन स्वास्थ्य व्यय बढ़ाने और वित्तीय प्रसार अधिक से अधिक करने के प्रयासों के साथ-साथ हमें सामूहिक कार्बाई के जरिए जन स्वास्थ्य में नए प्रयोगों हेतु ऐसे सामर्थ्यकारी माहौल की आवश्यकता है जो उन्हें किफायती साधन प्रदान कर सकें जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। जब तक हर व्यक्ति संरक्षित नहीं होगा और किसी को भी आवश्यक स्वास्थ्य सेवा के दायरे से बाहर नहीं छूटने दिया जाएगा, तब तक हम सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य हासिल करने का सपना नहीं देख सकते।

को


विड-19 महामारी ने जन स्वास्थ्य के महत्व को सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है। महामारी के कोप से निपटने की वर्तमान चुनौतियों के बीच एक बात स्पष्ट हो गई है कि सबके लिए किफायती दाम पर सर्व सुलभ स्वास्थ्य सेवा परम आवश्यक है। इस महामारी ने हमें सिखा दिया है कि रोग सरहदों में बंधा नहीं रहता और किसी वर्ग विशेष, राष्ट्र या समुदाय तक खुद को सीमित नहीं रखता। जब तक हर व्यक्ति संरक्षित नहीं होगा और कोई व्यक्ति आवश्यक स्वास्थ्य सेवा के दायरे से बाहर नहीं छूटने दिया जाएगा। तब तक हम 'सबके लिए स्वास्थ्य' का लक्ष्य हासिल करने का सपना भी नहीं देख सकते। इसीलिए अब 'सबके लिए स्वास्थ्य' पर संवाद केन्द्रित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है।

'सबके लिए स्वास्थ्य' में निहित अवधारणा का सीधा संबंध 'सबके लिए स्वास्थ्य सेवा के प्रसार' यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) की अवधारणा से है। इसका सीधा सा अर्थ है कि हर व्यक्ति को, हर जगह किसी वित्तीय कठिनाई के बिना आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हों, अर्थात् सभी व्यक्ति महंगी स्वास्थ्य सेवा के खर्च से पड़ने वाले वित्तीय बोझ से बचे रहें। यह वित्तीय बोझ उन्हें गरीबी में धकेल सकता है। स्वास्थ्य और वैश्वक विकास की परस्पर निर्भरता को देखते हुए यह अवधारणा सतत् विकास लक्ष्यों में भी उल्लिखित है जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। सतत् विकास लक्ष्य 3 का संकल्प है कि 2030 तक

महामारियों और चुने हुए संचारी रोगों के साथ-साथ सबके लिए स्वास्थ्य और आरोग्य सुनिश्चित किया जाए। इसका उद्देश्य सबके लिए स्वास्थ्य सेवा के प्रसार की व्यवस्था करना और सबके लिए सुरक्षित एवं असरदार दवाएं और टीके सुलभ कराना भी है।

130 करोड़ से अधिक आबादी वाले भारत जैसे देश में किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के साथ अपनी तरह की चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। स्वास्थ्य सेवा को सर्व सुलभ और किफायती बनाना विशेषकर इतनी विशाल आबादी के लिए एक बहुत बड़ा काम है और वह भी तब जब तृतीयक स्तर पर यह सेवा सुलभ करानी हो। इसी खाई को समझते हुए भारत सरकार ने 2018 में आयुष्मान भारत कार्यक्रम शुरू किया। विश्व में अपनी तरह के सबसे विशाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम का उद्देश्य सबके लिए स्वास्थ्य के दो स्तंभों- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की मजबूती और





स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना-को सशक्त करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं जिनसे समुदाय को समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा सके, जिसमें आवश्यक औषधियां और नैदानिक सेवाएं मुफ्त प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम देश में सबसे निचले स्तर की 40 प्रतिशत आबादी को स्वास्थ्य कवरेज भी प्रदान करता है जिनके सामने उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं हासिल करने के लिए वित्तीय कठिनाइयों की आशंका सबसे अधिक है। वर्तमान महामारी के संदर्भ में इस योजना के अंतर्गत 53 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त जांच और उपचार की सुविधा दी जा रही है। डीएचआर-आईसीएमआर आयुष्मान भारत को समर्थन दे रहा है और अपने स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन, मानक उपचार कार्य प्रवाह (स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट वर्क फ्लोज) जैसे कार्यक्रमों तथा आवश्यक दवाओं, नैदानिक विधियों और सहायक प्रौद्योगिकियों की राष्ट्रीय सूची के माध्यम से एक टिकाऊ और लागत प्रभावी मॉडल सुनिश्चित कर रहा है। इस प्रकार के कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यव से प्राथमिकता दिलाने और देश भर में उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए एक समान दिशा-निर्देश प्रदान करने के महत्वपूर्ण साधन होंगे।

आयुष्मान भारत जैसी पहल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में वास्तव में एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही, कुल मिलाकर स्वास्थ्य संकेतकों के सुधार का श्रेय प्रत्येक

आर्थिक हैसियत के नागरिकों को प्रदत्त बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे और सेवाओं के विकास को भी दिया जा सकता है। भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की व्यापक छत्र-छाया में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए अनेक कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करने के साथ-साथ नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सेवाओं की उपलब्धता और सुलभता सुधारने पर भी बल दिया गया है। इन सेवाओं में स्वच्छ (स्वच्छ भारत मिशन), मल व्यवन, स्वच्छ पेयजल शामिल हैं।

इसके साथ-साथ विश्व में सबसे विशाल स्वास्थ्य कार्यक्रम,

सबके लिए टीकाकरण कार्यक्रम ने अनेक उल्लेखनीय परिणाम हासिल किए हैं। यह कार्यक्रम अपनी शुरुआत के बाद तीन दशक से भी अधिक समय में लाखों लोगों को टीके उपलब्ध कराने से चेचक और पोलियो जैसे रोगों का नामोनिशान मिटा चुका है। आयुष्मान भारत भी अब तक का सबसे आकंक्षी स्वास्थ्य मिशन है जो सबके लिए स्वास्थ्य कवरेज का लक्ष्य हासिल करने में सहायक है। इतना ही नहीं प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच), पोषाहार संबंधी कार्यक्रम, संचारी और गैर-संचारी रोगों से लेकर स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने जैसे विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने तैयार करके लागू किया है जिससे देश की जनसंख्या की विविध स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यह सभी

'सबके लिए स्वास्थ्य' में निहित अवधारणा का सीधा संबंध
'सबके लिए स्वास्थ्य सेवा के प्रसार' यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) की अवधारणा से है। इसका सीधा सा अर्थ है कि हर व्यक्ति को, हर जगह किसी वित्तीय कठिनाई के बिना आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हों, अर्थात् सभी व्यक्ति महंगी स्वास्थ्य सेवा के खर्च से पड़ने वाले वित्तीय बोझ से बचे रहें। यह वित्तीय बोझ उन्हें गरीबी में धकेल सकता है।




कार्यक्रम व्यक्ति के स्वास्थ्य और आरोग्य से संबंधित विभिन्न पहलुओं में सुधार करने और भारत में जीवन की संभावना (आयु) बढ़ाने की बुनियादी आवश्यकता पर केन्द्रित है।

इन सब प्रयासों के अलावा भारत में विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से तपेदिक और मलेरिया जैसी पुरानी चली आ रही बीमारियों पर अंकुश लगाने पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने क्रमशः 2025 और 2030 तक तपेदिक और मलेरिया का नामो-निशान मिटाने का आग्रह करते हुए इस दिशा में नेशनल स्ट्रेटजिक प्लान्स (राष्ट्रीय रणनीतिक योजनाओं) का शुभारंभ किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि 2025 का यह लक्ष्य 2030 तक तपेदिक उन्मूलन के वैश्विक लक्ष्य से 5 वर्ष पहले ही हासिल करने का प्रयास है।

'सबके लिए स्वास्थ्य' का एक और महत्वपूर्ण, किन्तु अक्सर अल्प चर्चित अंग है—जन स्वास्थ्य अनुसंधान में सार्वजनिक-निजी भागीदारी से संचालित नए प्रयोग और आविष्कार। नए प्रयोग या नवाचार, विशेषकर स्वदेशी समाधानों के विकास में नए प्रयोग किफायती स्वास्थ्य सेवा उत्पाद एवं सेवाओं के विकास के लिए आवश्यक हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, वर्तमान महामारी के संदर्भ में देखने को मिलता है, जब भारत महामारी का सामना करने और सबके लिए स्वास्थ्य सेवा सुलभ कराने की दिशा में किफायती समाधानों के नए रास्ते खोलने में सबसे आगे है। उदाहरण के लिए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने इस रोगाणु की एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए स्वदेशी कोविड

कवच एलिसा कवच टेस्ट किट का विकास कर उसे मान्यता दी। इसकी उत्पादन लागत कम है और इसे सीमित संसाधनों के बीच आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने कोविड वैक्सीन के लिए अनुसंधान और विकास, किफायती पीपीई किट, मास्क, बेंटीलेटर और श्वसन उपकरणों आदि के विकास में भी इसी तरह के नए प्रयोग देखे हैं। इन सबका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महामारी से निपटने के साधन अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचाए जाएं। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी यह कदम अनुकूल हैं।

इस संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों की भागीदारी और सहयोग की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता। देश में कोविड-19 जांच की बुनियादी व्यवस्था बढ़ाने में विभिन्न क्षेत्रों की भागीदारी इसका प्रमाण है। जनवरी, 2020 में, भारत में, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे एकमात्र प्रयोगशाला थी जहां कोविड-19 के लिए नमूनों की जांच होती थी। जांच प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने की शुरुआत आईसीएमआर के धन से चलने वाली 106 विषाणु अनुसंधान एवं नैदानिक प्रयोगशालाओं के नेटवर्क से हुई। इनमें सार्स-सीओवी-2 से मिलते-जुलते रोगाणु की जांच करने की क्षमता पहले से मौजूद थी। इसके बाद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जैव प्रौद्योगिकी विभाग एवं रक्षा अनुसंधान विकास संगठन जैसे संगठनों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मेडिकल कॉलेजों की प्रयोगशालाओं और निजी प्रयोगशालाओं की भागीदारी से जांच शुरू की गई। नेशनल एंट्रेडीशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलीब्रेशन





ऑफ लैबोरेटरीज़ (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशाला कंपनियों को अपनी नैदानिक प्रयोगशालाओं में कोविड-19 के लिए जांच करने इस समय भारत भर में 2100 से अधिक प्रयोगशालाएं कोविड-19 के लिए जांच कर रही हैं। आईसीएमआर ने देश के सबसे दूरस्थ हिस्सों में भी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की है। केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख ने लेह में 18000 फीट की ऊंचाई पर और अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में प्रयोगशाला स्थापित की गई है। राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान 'मिशन लाइफ लाइन उड़ान' के अंतर्गत नागर विमानन मंत्रालय की सेवाएं ली गई। उसने आईसीएमआर की नैदानिक सामग्री की खेप देश में विभिन्न स्थानों तक पहुंचाई। अनेक कूरियर कंपनियों और राज्य सरकारों के साथ तालमेल से प्रयोगशालाओं तक यह सामग्री पहुंचाई गई।

प्रयोगशाला नेटवर्क का विस्तार होने पर अंतिम केन्द्र तक सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था को चुस्त करने के लिए भारतीय डाक की सेवाएं लेने की आवश्यकता महसूस हुई क्योंकि उसका जाल देश के हर कोने में फैला है। शुरू के दिनों में भारत में प्रतिदिन 1000 जांच होती थी, लेकिन अब प्रतिदिन 14,00,000 से अधिक नमूनों की जांच हो रही है। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था के इतिहास में ऐसी उपलब्धि पहले कभी हासिल नहीं हुई।

इसमें कोई संदेह नहीं कि सबके लिए स्वास्थ्य कवरेज एवं सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्यों के समर्थन में नए प्रयोगों और नई पहल में निजी क्षेत्र की अधिक से अधिक सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। भारत जैसे देश में जहां उन्नत और विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों के लिए विशेष अधिकारी है, वहां सार्वजनिक-निजी भागीदारी उत्तम स्वास्थ्य सेवा को सबके लिए सुलभ एवं किफायती बनाने में प्रमुख भूमिका निभा सकती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) का उद्देश्य सभी आयु के सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्य का उच्चतम संभव स्तर हासिल करना है। इसके लिए विकास की सभी नीतियों को निवारक एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य

राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान 'मिशन लाइफ लाइन उड़ान' के अंतर्गत नागर विमानन मंत्रालय की सेवाएं ली गई। उसने आईसीएमआर की नैदानिक सामग्री की खेप देश में विभिन्न स्थानों तक पहुंचाई। अनेक कूरियर कंपनियों और राज्य सरकारों के साथ तालमेल से प्रयोगशालाओं तक यह सामग्री पहुंचाई गई।

सेवा उन्मुख करने और किसी को भी वित्तीय कठिनाई का सामना न करने देते हुए उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं सर्वसुलभ करने की योजना है। इसके लिए सुलभता बढ़ाने, गुणवत्ता सुधारने और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की लागत कम करने की काफी आवश्यकता है। कोविड-19 महामारी ने हमें साफ दिखा दिया है कि इसमें प्रौद्योगिकी की भूमिका उल्लेखनीय हो सकती है। स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटल कायाकल्प, स्वास्थ्य सेवाओं की डिलिवरी, स्वास्थ्य संवर्धन और निरोग की दिशा में आवश्यक बल प्रदान कर सकता है जिसमें सबके लिए स्वास्थ्य सेवा के सभी पहलू सिमट जाते हैं। इस समय जिस नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति पर काम चल रहा है, वह भी सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य हासिल करने में मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकती है।

आईसीएमआर राष्ट्रीय कार्यक्रमों को समर्थन देने के लिए अनुसंधान की दिशा में भरसक प्रयास कर रहा है ताकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति एवं सबके लिए स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में संयुक्त राष्ट्र सत्र विकास लक्ष्यों के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों को हासिल किया जा सके और साथ ही स्वस्थ एवं खुशाल भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए उभरते हुए और दोबारा उभरते हुए संक्रमणों तथा स्वास्थ्य संबंधी नई चुनौतियों से निपटा जा सके।

सबके लिए स्वास्थ्य के एक टिकाऊ और असरदार मॉडल के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की लागत, गुणवत्ता और सुलभता के बीच सामंजस्य रखना बेहद आवश्यक है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने, जन स्वास्थ्य व्यय बढ़ाने और वित्तीय प्रसार अधिक से अधिक करने के प्रयासों के साथ-साथ हमें सामूहिक कार्रवाई के जरिए जन स्वास्थ्य में नए प्रयोगों हेतु ऐसे सामर्थ्यकारी माहौल की आवश्यकता है जो उन्हें किफायती साधन प्रदान कर सकें जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। ऐसा होने पर ही हम यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि अगला जन स्वास्थ्य संकट आने पर कोई छूटने नहीं पाएगा। ■

‘न्यू इंडिया’ के निर्माण में खेलों की भूमिका

मिलखा सिंह

पुरानी कहावत है कि - स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। खेलों से शरीर में रक्त-संचार का स्तर सही बनाए रखने के लिए ज़रूरी कसरत हो जाती है। खेलों से चरित्र का भी निर्माण होता है और राष्ट्र का जन-धन समृद्ध होता है। खेलों के जरिए व्यक्ति विपत्तियों के बीच भी धैर्य बनाए रख कर सफल होना सीखता है। खेल निर्णय लेने की क्षमता मजबूत करते हैं और विनम्रता भी सिखाते हैं। आज अगर हम दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली देशों की आर्थिक सफलता का जायजा लें तो पता चलेगा कि इन देशों में खेलों की समृद्ध संस्कृति है।

जब मैं रोज सुबह जागता हूं तो ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे इतना सब कुछ दिया और इसका बहुत बड़ा हिस्सा खेलों के कारण मुझे मिला। मैं बहुत भाग्यवान हूं कि मुझे आधुनिक भारत के सभी राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से मिलने का सौभाग्य मिला। देश के विभाजन के दिनों से आज तक के दिनों का जब मैं लेखा-जोखा करता हूं तो मुझे भारत की उपलब्धियों पर गर्व होता है। हम देख सकते हैं कि खेलों के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ने के साथ-साथ हमारा राष्ट्रीय गर्व, टीम भावना और उपलब्धियां भी बढ़ी हैं। इन सभी के बीच आपसी संबंध लगता है।

मेरा पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय विकास के लिए खेल बहुत आवश्यक है। इसके अनेक कारण हैं जिन्हें मैं यहां स्पष्ट करना चाहूँगा। जैव-वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हमारे शरीरों की बनावट ही शारीरिक अभ्यास के अनुकूल बनी है। प्राचीन काल के शिकारी और भोजन जमा करने वाले मानवों का भी खूब शारीरिक अभ्यास हो जाता था जिससे शरीर के सभी ज़रूरी तंत्र ठीक से काम करते रहते थे। विकास के साथ-साथ शारीरिक श्रम कम होने लगा और इसी से बहुत सी बीमारियों ने शरीर में घर कर लिया। पुरानी



भारत@75 : कालजयी चित्र

कहावत बिलकुल सटीक है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। भारत जैसे देश में, जहां कुल जनसंख्या में युवाओं का अनुपात काफी अच्छा है, दवाओं और इलाज में धन खर्च किए जाने की बजाय ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने में समर्थ जन-शक्ति की आवश्यकता है। खेलों से स्वस्थ शरीर में स्वस्थ रक्त-संचार बना रहता है। मुझे खुशी है कि भारत में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है।

मुझे खास तौर से इस बात की खुशी है कि वर्तमान सरकार योग के जरिए शरीर को चुस्त बनाए रखने - ‘फिटनेस’ को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है। यह बहुत सुखद है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं योग करते हैं और पूरे देश में उत्साह से इसका प्रचार-प्रसार करते हैं।

पिछले दिनों जब मैं एक लेख लिख रहा था तो मैंने खेलों के प्रोत्साहन के एक कार्यक्रम में उनका यह कथन सुना कि

‘फलाइंग सिख’ कहे जाने वाले मिलखा सिंह भारत के सार्वकालिक महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने लगातार तीन ओलिम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। पद्मश्री से सम्मानित मिलखा सिंह का जीवन खेलों के लिए समर्पित रहा है। ईमेल: digraj@hotmail.com



“खेलों को हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि खेल केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी हैं। मेरा तो मानना है कि खेल तो व्यक्ति के सम्पूर्ण विकास के लिए ज़रूरी हैं। हमारा देश विशाल और विविधतापूर्ण है। खेल राष्ट्रीय एकता के साधन बन सकते हैं। खेलों से, खेल-भावना की सीख मिलती है जो हमारे सामाजिक जीवन को जोड़ती है। जीतने से कहीं अधिक, खेल हमें हार को भी सहज भावना से लेना सीखाते हैं।”

प्रधानमंत्री के इन उद्गारों और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के निश्चित प्रयासों

मेरा मानना है कि खेलों से चरित्र मजबूत होता है और राष्ट्र की जन-शक्ति समृद्ध होती है। खेलों के जरिए व्यक्ति विपत्तियों के बीच भी धैर्य बनाए रख कर सफल होना सीखता है। खेल निर्णय लेने की क्षमता मजबूत करते हैं और विनम्रता भी सिखाते हैं। आज अगर हम दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली देशों की आर्थिक सफलता का जायजा लें तो पता चलेगा कि इन देशों में खेलों की समृद्ध संस्कृति है। भारत में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के जो प्रयास हो रहे हैं, मुझे विश्वास है कि इनसे भारत की जन-शक्ति ज्यादा कारगर और मजबूत होगी।

मैं यह बात भी कहना चाहूँगा कि देश के चोटी के खिलाड़ी जब विदेशों में जाते हैं और अपने देश का सफलता से प्रतिनिधित्व करते हैं तो वे देश के लिए सद्भावना-दूत-‘ब्रांड एम्बेसेडर’ बन जाते हैं। वे देश को सम्मान और गर्व दिलाते हैं। मैं भारतवासियों की गौरव-भावना को याद करता हूँ जब ओलिंपिक खेलों में अभिनव विंद्रा ने स्वर्ण तथा कर्नलराज्यवर्धन सिंह राठौर ने रजत पदक जीता और पूरे देश के लोगों ने जैसे सासें रोक कर ओलिंपिक मुकाबले में पी.वी. सिंधु का रोमांचक फ़ाइनल मैच देखा। जब भारत की क्रिकेट टीम अच्छा खेलती है तो पूरा देश





एक जुट हो जाता है और यह कोई क्षणिक भावना नहीं है। यह एक जुटता, निश्चित रूप से, लंबे समय तक बनी रहती है।

एक और अच्छी बात यह हो रही है कि अब श्रेष्ठ खिलाड़ियों को वाजिब पैसा और सम्मान मिल रहा है। युवा जन खेलों की ओर तभी प्रेरित होंगे जब उन्हें नज़र आएगा कि उनके प्रिय खिलाड़ियों को नायकों जैसा

सम्मान और धन मिलेगा और अनेक पुराने खिलाड़ियों की तरह वे अभावों में नहीं जिएंगे। खिलाड़ियों को मान-सम्मान मिलने से अनेक बच्चे और युवा खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। भले ही उनमें सभी विजेता नहीं बन पाएंगे लेकिन खेल उन्हें जीतने की प्रवृत्ति सिखा देंगे जो जीवन के अनेक क्षेत्रों में उनके काम आएंगी।

मेरे अनेक उद्योगपति मित्रों ने मुझे बताया कि जब वह खिलाड़ियों को नौकरी पर रखते हैं तो वे दबाव की स्थितियों में भी सही तरीके से काम कर पाते हैं, बेहतर निर्णय ले पाते हैं और खराब परिस्थितियों और झटकों से भी जल्दी उबरते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि खेल-कूद और फिटनेस के बारे में बेहतर जागरूकता होने से ज्यादा स्वस्थ और दृढ़-निश्चयी राष्ट्र बनता है जिसमें एक विजेता जैसा गर्व और प्रवृत्ति होती है। इन सारे तत्वों से मिलकर हमारा 'न्यू इंडिया' बन रहा है और खेल-कूद का इसमें बड़ा योगदान है। मेरे परिवार के लिए भी खेल-कूद वरदान जैसे रहे हैं जिनसे हमें सुख-समृद्धि मिली है। मैं खेलों का कृतज्ञ हूं। स्वस्थ जनसंख्या, प्रवृत्ति और संकल्प वाला भारत ही, उपनिवेशवादी शासन के दौर से पहले का गौरवपूर्ण स्थान हासिल कर सकेगा और खेलों की इसमें बड़ी भूमिका होगी। हमें याद रखना होगा कि यह अर्जुन, द्रोणाचार्य, गुरु गोविन्द सिंह और श्रीकृष्ण की भूमि है। क्या वे सभी श्रेष्ठ खिलाड़ी नहीं थे? निश्चय ही वे श्रेष्ठ खिलाड़ी थे और इस गुण की वजह से वे बुलंदियां हासिल कर सके। ■

जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं, इसलिए



मास्क लगाएं



अपने हाथों को अच्छी
तरह साफ रखें



दूसरों से 2 गज
की दूरी बनाकर रखें

नए भारत के लिए सिनेमा

जाहनु बरुआ

हमारा संविधान बनाने वाले लोग बेहद प्रतिभाशाली थे। उन्होंने शासन प्रणाली को तीन अहम हिस्सों में बांटा- विधायिका या नीति निर्माता, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनमें से दो हिस्सों की भूमिका, हमारे देश और यहां लोगों की किस्मत तय करने में बेहद अहम है। किसी खास मुद्दे पर शासन प्रणाली से जुड़े लोगों की समझ कैसी है, इसी से तय होता है कि कैसी नीतियां बनेंगी और उन पर अमल कितने कारगर ढंग से हो सकेगा। शासन प्रणाली से जुड़े लोगों में मुद्दों को लेकर समझ के स्तर से ही किसी बड़े और बेहतर लक्ष्य की सफलता या असफलता की संभावनाओं का आकलन किया जा सकता है। अगर किसी मुद्दे या पहलू को बुनियादी स्तर पर ही बेहतर ढंग से समझने की कोशिश की जाए, तो राष्ट्र के निर्माण के लिए बेहतर नीति बन सकेगी। इसी सिलसिले में बात को आगे बढ़ाया जाए, तो मुझे लगता है कि हमारे नीति निर्माता और नौकरशाह, भारत जैसे देश में एक माध्यम के तौर पर सिनेमा और उसकी भूमिका से जुड़ी प्रभावी नीतियां बनाने में असफल रहे हैं।

सि

नेमा, कला का एक रूप है। यह मुख्य रूप से कहानी कहने की कला है और कहानियां, काल्पनिक और सच दोनों हो सकती हैं। सिनेमा को संचार का सबसे सशक्त और लोकप्रिय माध्यम कहा जा सकता है। हालांकि, देश की स्वतंत्रता के बाद से नीति निर्माण के स्तर पर यह कला का सबसे उपेक्षित स्वरूप रहा है। वैसे 1947 से पहले भी इसकी स्थिति कोई खास अच्छी नहीं थी, लेकिन उस वक्त नीति निर्माण का काम औपनिवेशिक शासन के हाथ में था, लिहाजा उस शासन से उम्मीद करना बेमानी था।

भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद के शुरुआती वर्षों में यहां

शिक्षा, कृषि और विकास जैसे जरूरी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस वजह से भारतीय प्रशासनिक सेवा के सिस्टम में कला और संस्कृति से जुड़े प्रशिक्षण के लिए सीमित गुंजाइश थी। इससे अनुभवी और काबिल नेताओं के लिए मुश्किलें और बढ़ गई। उन्हें इस बारे में बताने वाला कोई नहीं था कि नया भारत बनाने और नागरिकों के चरित्र निर्माण में सिनेमा अहम भूमिका निभा सकता है।

सिनेमा इस वजह से भी जरूरी अहमियत हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि उस वक्त बड़े पैमाने पर धारणा थी कि यह सिर्फ मनोरंजन का माध्यम है और इसे किसी और नज़रिये से नहीं देखा जा सकता। यह बात नीति निर्माताओं की कल्पना से परे थी कि राष्ट्र निर्माण में



लेखक जाने-माने फिल्म निर्देशक और लेखक हैं। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए उन्हें पद्म श्री और पद्म भूषण समेत कई सम्मानों से पुरस्कृत किया जा चुका है।
ईमेल: jahnubarua@gmail.com



Charulata (1964)



भारत@75 : कालजयी चित्र

सिनेमा का इस्तेमाल किया जा सकता है। अखिल भारतीय सेवाओं और यहां तक कि राज्यों से जुड़ी सेवाओं की प्रशिक्षण अकादमियों में भी प्रशिक्षण के लिए सिनेमा या किसी क्रिएटिव माध्यम का कभी इस्तेमाल नहीं किया गया, जिससे प्रशिक्षणों में सिनेमा जैसे माध्यम को शामिल कर लोगों के जीवन के अलग-अलग पहलुओं के बारे में नौकरशाहों और नीति निर्माताओं की समझ को बेहतर बनाया जा सकता था। ऐसा नहीं किए जाने के परिणाम हम साफ तौर पर देख सकते हैं। भारत उस माध्यम से लाभ नहीं उठा पाया, जिसे मैं विभिन्न देशों (खास तौर पर यूरोप में) में सीखने का सबसे ताकतवर माध्यम (सिनेमा) कहता हूं।



कहानी कहने की परंपरा: कहानी की ताकत

दुर्भाग्य की बात यह है कि अपने 5,000 साल पुराने इतिहास पर गर्व करने वाला यह देश कहानियों के माध्यम से लोगों तक जरूरी बात पहुंचाने की कला का इस्तेमाल करने में सफल नहीं रहा है। कला का यह रूप हमारी सभ्यता के लिए बेहद अहम है। प्राचीन काल में राजा अपने साथ ऐसे लोग रखते थे जो उन्हें नियमित तौर पर कहानियां सुनाया करते थे। हालांकि, शासकों या राजाओं


के लिए यह सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं था। इन कहानियों से उन्हें लोगों और समाज की जटिलताओं को समझने में मदद मिलती थी। कहानियों के माध्यम से राजा अपनी रियासत में हो रही गतिविधियों में बारे में वास्तविक और व्यावहारिक जानकारी हासिल कर पाते थे। इससे राजा को काफी कुछ सीखने को मिलता था और उन्हें अपनी गलतियों के बारे में भी आत्मनिरीक्षण करने का मौका मिलता था। उदाहरण के तौर पर, कहानियां सुनाने वाले महाभारत, रामायण और भगवद् गीता के उद्धरण के माध्यम से राजाओं को जीवन की सच्चाइयों से झुकाव कराते थे और सही-गलत, न्याय-अन्याय,

मानवीयता-अमानवीयता आदि के बारे में बताने की कोशिश करते थे। यहां की कहानियों को सुनकर (मुख्य तौर पर महाभारत, जातक कथाएं) भारत के कई मुसलमान शासकों की आक्रमणकारी प्रवृत्तियों में बदलाव देखने को मिला। बादशाह अकबर को इसका प्रमुख उदाहरण माना जा सकता है। मुगल शासकों में सबसे महान शासक माने जाने वाले अकबर ने अपने नवरत्नों में बीरबल (महेश दास) को शामिल किया था। बीरबल को उनकी बुद्धि, रचनात्मकता, हाजिरजवाबी, लोक कथाओं की समझ और धार्मिक ग्रंथों की विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। वह कविता और साहित्य के भी जानकार थे। दरअसल, अकबर को बीरबल के काम करने के तरीकों पर पूरा विश्वास था और उन्हें धीरे-धीरे यह भी लगने लगा था कि प्राचीन भारत की कहानियों में कई तरह के ज्ञान छिपे हैं। बीरबल के साथ नियमित तौर पर संवाद और उनके द्वारा सुनाई गई कहानियों से अकबर को अपने दरबार की समस्याओं को सुलझाने, नीतियां बनाने आदि में काफी मदद मिली। इस तरह लोगों की समस्याओं को देखने के लिए अकबर को अलग-अलग नजरिया मिला।

हालांकि, बीरबल की मौत अकबर से काफी पहले हो गई थी,



लेकिन उनकी कहानियां अकबर की आध्यात्मिक सोच को बेहतर बनाने का काम करती रहीं और तमाम मुगल बादशाहों में अकबर का रवैया सबसे उदारवादी रहा। कहानियां सुनाने की यह परंपरा राजा और उनके दरबारियों तक सीमित नहीं थी। आम लोगों के भी अपने 'बीरबल' थे और वे अपने आसपास मौजूद ऐसे रूपों से काफी फायदा उठाते थे। आधुनिक भारत में सिनेमा, कहानियां सुनाने के सशक्त



फिल्मकार जाहनु बरुआ

माध्यम के तौर पर मौजूद है, लेकिन उसमें बेहतरीन कहानियां और उनकी संवेदनशीलता गायब हैं। लिहाजा, जनता को इस प्रभावी माध्यम का लाभ भी नहीं मिल पाता है। इसके बजाय कहानियों के रूप में जो सामग्री हमारे पास है, उसमें संवेदनशीलता और सार्थकता का अभाव है। बेसिर-पैर वाली इन कहानियों में सिर्फ व्यावसायिकता हावी है। पिछले 100 साल या इससे भी ज्यादा अवधि के दौरान, हमने जीवन के अहम मुद्दों को लेकर लोगों को शिक्षित करने और संवेदनशील बनाने का मौका गंवाया है। बीरबल की कहानियों का संबंध सिर्फ अकबर की रियासत से नहीं था। बीरबल के पास तत्कालीन भारत के सभी हिस्सों और आसपास के क्षेत्रों की भी कहानियां होती थीं। उनमें मानवता की बात होती थी, न कि क्षेत्रों की। इन कहानियों में बहादुरी और शौर्य के बजाय बुद्धिमता और संवेदनशीलता का जिक्र होता था। इन कहानियों ने अकबर के दिमाग में एक धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान


की छवि गढ़ने में मदद की और इसी हिसाब से बादशाह ने अपनी नीतियों को तैयार किया।

हमारे पास अभी जो कहानियां हैं, उनमें मोटे तौर पर सिर्फ एक तरह की ईकाई यानी एक भारत को ध्यान में रखा गया है। इन कहानियों में भारत की विविधता को बेहतर ढंग से नहीं पेश किया गया है। क्षेत्रीय सिनेमा की खूबसूरती यही है कि यह वास्तविक भारत की कहानियां कहने की कोशिश करता है। इसे

मैं वास्तविक सिनेमा भी कहना चाहूंगा। हालांकि, सरकारी नीतियों और असंवेदनशील लोगों की वजह से ये फिल्में उपेक्षा का शिकार हैं। सिनेमा पर पैसा और प्रचार तंत्र काफी हावी हो गया है। इस वजह से दूसरे क्षेत्रों या अपने यहां की क्षेत्रीय फिल्मों में लोगों की दिलचस्पी काफी कम हो गई है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? किसी पंजाबी या गुजराती की असमिया या ओडिया फिल्म में दिलचस्पी होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। इसी तरह, असम या बंगाल का कोई शख्स मलयालम, गुजराती या मराठी फिल्म को लेकर उत्साहित हो, इसकी संभावना बेहद कम होती है।

मेरी राय के मुताबिक, क्षेत्रीय स्तर पर बने ये सिनेमा महात्मा गांधी की स्वराज की अवधारणा को पेश करते हैं- अपनी जमीन/क्षेत्र के बारे में जानें, अपने संसाधनों के बारे में जानें। गांधीजी की इस विरासत को सिर्फ क्षेत्रीय सिनेमा ही आगे बढ़ाता है। ऐसे सिनेमा में





आम तौर पर किसी राज्य या क्षेत्र की कहानियां होती हैं। इस तरह का सिनेमा, लोगों के लिए अपने देश के बारे में जानने का सबसे बेहतर स्रोत है। दुर्भाग्य से, इस दिशा में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए हमने कभी काम नहीं किया।

सत्यजीत रे की 'पाथेर पांचाली' जैसी फिल्मों को सिर्फ क्षेत्रीय सिनेमा की श्रेणी में रखना ठीक नहीं होगा। सिनेमा के क्षेत्र में भारत की छवि को बेहतर बनाने में इस फिल्म ने अहम भूमिका निभाई है। क्या आज के भारत में इसके बराबर कोई फिल्म है? इसके बावजूद, क्षेत्रीय और अन्य फिल्मों के बीच गैर-बराबरी काफी ज्यादा है। कुल मिलाकर कहें तो बॉलीवुड (भारत और यहां के ज्यादातर लोग जो सिनेमा देखते हैं) ने भारतीय सिनेमा और कहानी पेश करने की कला को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसने देश और दुनिया में भारत को गलत तरीके से दिखाया है। इससे भारत की पहचान को काफी नुकसान पहुंचा है। दुख की बात यह है कि अक्सर हमारे नीति निर्माता और नौकरशाह भी इसकी तारीफ करते नजर आते हैं।


उम्मीद बाकी है

इन तमाम कमियों और चुनौतियों के बावजूद अभी भी बेहतरी की उम्मीद बाकी है। कला के एक माध्यम के तौर पर सिनेमा रचनात्मकता यानि कला-संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस देश के लिए कला और संस्कृति पर परिपक्व राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत है, जो लोगों को इस माध्यम का लाभ उठाने में योगदान कर सके। कहने का मतलब है कि सिनेमा न सिर्फ लोगों का मनोरंजन करे, बल्कि लोगों को शिक्षित और जागरूक भी करे। चूंकि सिनेमा ऐसी कला है जिसके निर्माण में काफी पैसे खर्च होते हैं और इसमें कमाई की भी संभावना होती है, इसलिए कॉरपोरेट घराने और गलत तरीके से कमाई करने वाले भी इस काम से जुड़ जाते हैं। ऐसे में

रचनात्मक कला (क्रिएटिव आर्ट) से जुड़े संस्थानों में जरूरी बदलाव कर उन्हें मजबूत बनाने की जरूरत है, ताकि वे संविधान के दायरे में पूरी स्वतंत्रता के साथ काम कर सकें। सिनेमा से जुड़े बीते वर्षों के निष्पक्ष विश्लेषण और स्वस्थ आलोचना के जरिये हम बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। हमारा इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा है जहां राज्य ने लोक कलाओं के संरक्षण और संवर्द्धन में अहम भूमिका निभाई।

क्या यह शर्म की बात नहीं है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाले देश को सिनेमा की दुनिया में गंभीरता से नहीं लिया जाता? मैं यहां विभिन्न भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को लेकर अपने अनुभव के बारे में भी बताना चाहूंगा। चूंकि दूतावास हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वहां पर ऐसी फिल्में दिखाने की जरूरत है जिससे विदेशी नागरिक हमारे देश से जुड़ सकें। मैंने पिछले 40 साल के दौरान विभिन्न देशों की अपनी यात्राओं के दौरान पाया है कि हमारे दूतावास मुख्य तौर पर ऐसी फिल्में दिखाते हैं जो शायद प्रवासी भारतीयों को पसंद आए। इस तरह, 'बॉलीवुड' के नाम पर भारत को गलत तरीके से पेश करने का सिलसिला जारी है। जब मैं जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और यहां तक

कि पोलैंड के सांस्कृतिक संस्थानों के काम से अपने देश के ऐसे काम की तुलना करता हूं, तो पता चलता है कि भारतीय दूतावासों में मौजूद लोगों का नजरिया ही इस समस्या की मुख्य वजह है। सिनेमा को प्रोपगेंडा बनाने की किसी भी तरह की कोशिश का असर उल्टा होता है। कुछ देशों को इसका बुरा नतीजा भी भुगतान पड़ा है। बहरहाल, सिनेमा को राजनीति या प्रोपगेंडा का हथियार बनाना बड़ी भूल होगी। यह बेहतर चरित्र निर्माण और रचनात्मकता बढ़ाने का माध्यम है। इसमें मानवता को एकजुट करने की ताकत है। सिनेमा ऐसा माध्यम है जिसकी नए भारत को सख्त जरूरत है।





कृषि : आगे का रास्ता

डॉ सी डी मायी
भगीरथ चौधरी

भारत ने लगभग सभी महत्वपूर्ण इलाकों में कृषि उत्पादन बढ़ाने में शानदार कार्य किया है। लेकिन जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वर्तमान चुनौतियां विकराल रूप धारण करती जा रही हैं। ऐसे में अनुसंधान और विकास तथा नवाचार को सुदृढ़ करके नयी टेक्नोलॉजी का विकास करना भारत की कृषि के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

भारतीय कृषि : सफलता की गाथा

भारतीय कृषि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि देश की आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि और संबंधित

क्षेत्रों में लगा हुआ है। भारत की जनसंख्या

1.3 अरब, यानी दुनिया की आबादी का 17.9 प्रतिशत है, जबकि हमारे पास दुनिया के कुल भूक्षेत्र का 2.4 प्रतिशत और हमारे जल

संसाधन दुनिया के कुल जल संसाधनों के 5 प्रतिशत के बराबर हैं। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व होने के बावजूद भारत ने स्वतंत्रता के बाद कृषि उत्पादन में शानदार कदम उठाए

डॉ सी डी मायी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली से पी-एच.डी.; डी.एस-सी हैं। वे साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर, नई दिल्ली के अध्यक्ष; प.एफसी. लि. मुंबई के चेयरमैन; ए.बी.एन.ई. (बुकीना फासो) और आइएसएए (अमेरिका) के कार्यपालक बोर्ड सदस्य और इंडियन सोसाइटी फॉर कॉटन इम्प्रूवमेंट, मुंबई के अध्यक्ष हैं। ईमेल: mayeecharu@gmail.com

भगीरथ चौधरी साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर नई दिल्ली के संस्थापक निदेशक हैं। वे कृषि के जाने-माने विशेषज्ञ हैं और उन्हें टेक्नोलॉजी प्रबंधन, टेक्नोलॉजी हमतांत्रण और कृषि क्षेत्र में नवाचार प्रबंधन का 15 साल से अधिक का अनुभव है। ईमेल: bhagirath@sabc.asia

हैं। आम धारणा के विपरीत, भारत की कृषि कामयाबी की एक गाथा कहती है। विश्व के कुल कृषि क्षेत्र के 11 प्रतिशत के साथ भारत कृषि उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर है और खाद्यान, कपास, गन्ना, बागानी फसलों, डेयरी, पोल्ट्री, मसालों और जलजीवों समेत अनेक वस्तुओं का प्रमुख उत्पादक है।

भारत में 2019 में 459 अरब डालर मूल्य के कृषि उत्पादों का उत्पादन हुआ और कृषि उत्पादों के वैश्विक व्यापार से सेवाओं और विनिर्माण क्षेत्र के नियांत से भी अधिक की आमदनी हुई। कृषि से जुड़ा सकल घरेलू उत्पाद 2001 में 101 अरब डालर था जो हाल के वर्षों में 459 अरब डालर के स्तर पर पहुंच गया है जिससे कृषि क्षेत्र के शानदार विकास का तो संकेत देता ही है, इससे कृषि क्षेत्र में नियोजित श्रम शक्ति की संख्या में कमी आने का भी पता चलता है। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ ही इस क्षेत्र में नियोजित श्रम शक्ति में भी कमी आयी और यह 2000 में 60 प्रतिशत से घटकर 2019 में 42 प्रतिशत हो गयी। मगर इसके बावजूद कृषि उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और नयी ऊंचाइयां छू रहा है। खाद्यान उत्पादन 29.7 करोड़ टन, बागवानी उत्पादन 3.1 करोड़ टन, कपास उत्पादन 3.7 करोड़ गांठ (प्रति गांठ 170 कि.ग्रा.), दूध उत्पादन 18.8 करोड़ टन, मछली उत्पादन 1.3 करोड़ टन, पोल्ट्री उत्पादन 40 लाख टन और अंडा उत्पादन 10.3 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है।



बढ़ती आबादी खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न कर रही है क्योंकि शहरीकरण, लोगों के जीवन स्तर में सुधार, खान-पान की आदतों में बदलाव जैसे अनेक कारणों से विविध कृषि उत्पादों की मांग बढ़ रही है। ये चुनौतियां खेती की जमीन की उर्वराशक्ति में गिरावट, उसमें पोषक तत्वों की कमी, नये जैव दबाव पैदा होने और जलवायु परिवर्तन के कारण बार-बार बाढ़ और सूखे से और गहराती जा रही हैं। जलवायु परिवर्तन से भारत के लोगों के जीवन पर असर पड़ सकता है क्योंकि इससे वर्षा में अनियमितता उत्पन्न हो गयी है और हमारी खेती वाली करीब 62 प्रतिशत भूमि वर्षा पर निर्भर है।

दरअसल, वनस्पति तेलों को छोड़ कर भारत अन्य सभी वस्तुओं के उत्पादन में न सिर्फ आत्मनिर्भर है, बल्कि अतिरिक्त मात्रा में कृषि उत्पादों के प्रबंधन की योजना भी बना रहा है। भावी योजनाएं

1950 में भारत की जनसंख्या केवल 37.63 करोड़ थी, लेकिन 2019 में यह 1.3 अरब हो गयी और 2020 में इसके 1.7 अरब हो जाने की संभावना है। इस तरह बढ़ती आबादी खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न कर रही है क्योंकि शहरीकरण, लोगों के जीवन स्तर में सुधार, खान-पान की आदतों में बदलाव जैसे अनेक कारणों से विविध कृषि उत्पादों की मांग बढ़ रही है। ये चुनौतियां खेती

की जमीन की उर्वराशक्ति में गिरावट, उसमें पोषक तत्वों की कमी, नये जैव दबाव पैदा होने और जलवायु परिवर्तन के कारण बार-बार बाढ़ और सूखे से और गहराती जा रही हैं। जलवायु परिवर्तन से भारत के लोगों के जीवन पर असर पड़ सकता है क्योंकि इससे वर्षा में अनियमितता उत्पन्न हो गयी है और हमारी खेती वाली करीब 62 प्रतिशत भूमि वर्षा पर निर्भर है।

कुपोषण के प्रमुख संकेतकों के अनुसार भी भारत का कार्यनिवाद संतोषजनक नहीं है। यूनिसेफ के अनुसार 2019 में भारत अल्प भार वाले बच्चों की संख्या की दृष्टि से दुनिया में 10वें स्थान पर था और बढ़वार रुकने की समस्या से ग्रस्त बच्चों की संख्या के लिहाज से विश्व में 17वें स्थान पर था। इन चुनौतियों से निपटने के लिए अनुमान है कि भारत को अपनी जमीन की उत्पादकता में चार गुना, पानी की उत्पादकता में तीन गुना और श्रम की उत्पादकता में छह गुना की बढ़ोतरी करसी होगी। इतना ही नहीं, यह कार्य कम कार्बन उत्पर्जन करने वाली टेक्नोलॉजी के उपयोग से करना होगा ताकि हमारे परिस्थितिकीय तंत्र पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े और साथ ही, किसानों की आमदनी दुगना करने के लक्ष्य को भी प्राप्त करना होगा क्योंकि हमारे देश में कृषि फायदेमंद व्यवसाय नहीं रह गयी है। इस चुनौती से निपटना वर्तमान कृषि उत्पादन प्रणाली के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। आज

नए कृषि कानून : ऐतिहासिक सुधार



- किसानों को शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर प्रसंस्करणकर्ताओं (प्रोसेसर्स, एग्रीगेटर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा कारोबारियों, नियांतकों आदि) के साथ जुड़ने में सक्षम बनाएगा।
- किसानों की आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट तक पहुंच भी सुनिश्चित होगी, विपणन की लागत में कमी आएगी और किसानों की आय में सुधार होगा।
- वैश्विक बाजारों में कृषि उपज की आपूर्ति हेतु निजी क्षेत्र का निवेश आकर्षित करने के उत्प्रेरक कानून काम करेगा।
- किसान प्रत्यक्ष रूप से विपणन से जुड़ सकेंगे, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा।
- किसानों को पर्याप्त सुरक्षा दी गई है और समाधान की स्पष्ट समय सीमा के साथ प्रभावी विवाद समाधान तंत्र भी उपलब्ध कराया गया।

- देश में व्यापक विनियमित कृषि बाजारों को अनलॉक करने और एक देश, एक कृषि बाजार बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम
- राज्य एपीएमसी सीमाओं के बाहर बाधा मुक्त राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा
- किसानों को अधिक विकल्प मिलेंगे, बाजार की लागत कम होगी और उन्हें अपने उपज की बेहतर कीमत मिल सकेगी।
- निर्बाध व्यापार सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म



नए कृषि कानूनों के फायदे

सुधारों से पहले

अनुचित खेती केवल कुछ लोगों तक ही सीमित थी।

किसान वैल्यू धैन का हिस्सा नहीं थे।

मध्यस्थी की बड़ी संख्या तथा खराब लॉजिस्टिक्स व्यवस्था के कारण नियति प्रतिस्पर्धा का अभाव।

एपीएमसी मंडी में केवल अधिसूचित कृषि उपज बेच सकते थे।

सिर्फ कुछ लोगों का एकाधिकार।

व्यापारी कीमतों को मन-मुताविक कर्म स्था सकते थे।

एपीएमसी मंडी के बाहर फल और सब्जियां बेचने की स्वतंत्रता कुछ राज्यों में ही मौजूद थी।

छोटे किसानों के पास इनपूट तथा आउटपूट बाजारों में तोल-माल की अमता नहीं थी।

बड़ी हुई कीमतें।

बिचौलियों की बड़ी संख्या।

युवा कृषकों के लिए कृषि उत्पादों का व्यापार करने का कोई अवसर नहीं।

सीधे उपभोक्ताओं को फसल नहीं बेच सकते थे।

मंडी में जो भी कीमत मिलती थी, उसी पर फसल बेचना होता था।

मंडी हुल्क, कमीशन एवं अन्य शुल्क उपायकों और उपभोक्ताओं द्वारा बहन की जल्दी थी।



सुधारों के बाद

किसानों के हित के अनुकूल अनुचित खेती अब राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद।

किसान अब तेल्यू धैन में भागीदार होंगे।

नियंत्रित प्रतिस्पर्धा बढ़ी और किसानों को लाभ होगा।

एपीएमसी मंडी में बेचने वाली अन्य विक्रेता को चुनने की स्वतंत्रता।

विक्री के लिए कई विकल्प।

प्रतियोगिता के कारण बेहतर कीमत मिलती है।

अब कृषि उपज बेचने की हस्त स्वतंत्रता का विस्तार देश भर में किया गया।

मूल्य जोखिम के खिलाफ आधुनिक इनपूट सेवाओं और सुरक्षा का उपयोग करने हेतु सशक्त हुए किसान।

किसान उत्पादक संगठनों के द्वारा बेहतर सेवाओं में छोटे किसान संगठनों को मदद दी जाएगी।

उपभोक्ता के भुगतान में किसान का अधिक से अधिक हिस्सा।

कोई मध्यस्थ या बिचौलिया नहीं।

युवा कृषकों को व्यापार तथा आपूर्ति शृंखला में भागीदारी का अवसर मिलेगा।

किसी को भी सीधे अधिक मूल्य पर फसल बेची जा सकती है।

अपने दलाजे पर भी बेहतर कीमत के लिए मोहराव किया जा सकता है।

कोई शुल्क और कमीशन नहीं, उत्पादकों और उपभोक्ताओं को इस बचत से होगा लाभ।

की विडंबना यह है कि एक ओर देश अतिरिक्त कृषि उत्पादन के प्रबन्धन की योजना बना रहा है, और दूसरी ओर किसान गरीबी में डूबते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी उपज के लिए पर्याप्त दाम नहीं मिल पा रहे हैं। आगे का रास्ता

टेक्नोलॉजी संबंधी नवाचार

दुनिया भर में कृषि विज्ञान के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी संबंधी अनेक खोजें और आविष्कार हो रहे हैं जिनसे जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने; पैदावार बढ़ाने और क्षारता, बाढ़ व सूखे जैसे जैव दबावों को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जीनोमिक्स विज्ञान में खोजपूर्ण बदलाव हुए हैं जिनके अंतर्गत जीनोमिक्स व ट्रांसजेनिक्स की सहायता से नयी प्रजातियां विकसित की गयीं और अब क्रिस्पर-कैस 9 टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है।

भारत में कई आणविक प्रजनन उत्पादों का खेतों में वाणिज्यिक उपयोग सफलता पूर्वक किया जा रहा है और किसान चावल, गेहूं, मक्का, काबुली चना और मूंगफली उगाने में इसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन कपास उत्पादन में पहली बार इसके उपयोग से भारत कपास उत्पादन में दुनिया का अग्रणी देश बन गया है। जीनोम एडिटिंग यानी जीनोम में बदलाव की टेक्नोलॉजी फसलों और मवेशियों की नस्लों में सुधार का नवीनतम उपाय बन गया है। आज टेक्नोलॉजी का उपयोग पहचानी न जा सकने वाली अनगिनत समस्याओं के समाधान में किया जा रहा है और यह जलवायु परिवर्तन के दृष्टिभाव को दूर करने में क्रांतिकारी भूमिका निभा सकता है। क्रिस्पर-कैस 9 का उपयोग करके जीन में बदलाव करने की जबरदस्त संभावनाओं का फायदा बड़ी संख्या में फसलों की ऐसी नयी प्रजातियां तैयार करने में किया गया है जो न सिर्फ जैसे और जैवेतर दबावों के प्रतिरोध में सक्षम होती हैं, बल्कि उत्पादन की गुणवत्ता की दृष्टि से भी श्रेष्ठ होती है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत कई कायदे-कानून, दिशानिर्देश और नीतियां अधिसूचित की गयी हैं। देश संशोधित जीन वाले उत्पादों के सुरक्षित उपयोग के बारे में दिशानिर्देश भी तैयार कर रहा है। अगर वैज्ञानिकों को प्रजनन की आधुनिक तकनीकों से वाणिज्यिक उपयोग के लिए किसी तैयार करने की इजाजत मिल जाती है तो इससे देश को बड़ा फायदा होगा। आने वाले समय में इस तरह की नितियां बनाना आवश्यक होगा।

बीज टेक्नोलॉजी के अलावा समन्वित फसल प्रबन्धन प्रणाली को परिष्कृत कर संसाधनों का संरक्षण करना, सिंचाई संबंधी अनुप्रयोग में नवाचार, फसल कटाई के बाद अनाज के नुकसान की रोकथाम, फसल संरक्षण की नयी तकनीकों का विकास करना, सोशल मीडिया जैसे सूचना व संचार टेक्नोलॉजी के आधुनिक साधनों से ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों की खेती के अत्याधुनिक तौर-तरीकों की जानकारी देना कृषि के क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्ष 2020 के बरसात के मौसम में टिड्डी दलों के प्रकोप से निपटने के लिए भारत में ड्रोन के उपयोग ने फसल संरक्षण का नया रास्ता दिखाया है। संसाधनों के संरक्षण की टेक्नोलॉजी के आर्थिक और पर्यावरण संबंधी परिणाम हो सकते हैं और इन्हें खेतों के स्तर पर अपनाया जाने लगा है। इसी से संबंधित एक उपयोग कृषि संबंधी गतिविधियों को और परिष्कृत करने के लिए यांत्रीकरण करना और श्रम की बचत करना। सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को भी अब बड़े पैमाने पर अपनाया जाने लगा है क्योंकि इनसे पानी की किफायत के साथ-साथ पैदावार दुगनी करने में मदद मिलती है।

इसके अलावा सेंसर टेक्नोलॉजी से पानी और पोषक तत्वों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। कटाई के बाद फसल को बचाना, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाने के समान है। इसलिए फलों और सब्जियों को खेतों से समेटने और उनके भंडारण, परिवहन आदि के लिए धन की व्यवस्था करने के कार्य को भारत में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अनुसंधान और विकास में निवेश

भारत में आजादी के बाद कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास से प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है और खाद्य तथा पोषण संबंधी कमियों को दूर करने में काफी मदद मिली है। कृषि वैज्ञानिकों ने इस संबंध में अतीत में जो शानदार योगदान किया उसकी बार-बार सराहना हुई है। दुर्भाग्य से अनुसंधान और विकास गतिविधियों का कोई केन्द्रीय (फोकस) विषय तय न होने से और वित्तीय संसाधनों की कमी से यह प्रणाली दबाव में है। अपनी अनुसंधान और विकास प्रणाली पर विश्वास कायम रखने के लिए हमारा पिछला अनुभव पर्याप्त होना चाहिए। इसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, छोटे किसानों की समस्याओं और विपणन संबंधी सुधारों के माध्यम से चुनौतियों से निपटने और किसानों को फायदा पहुंचाने की क्षमता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और नेशनल एग्रिकल्चरल इमेजरी प्रोग्राम (कृषि के हवाई चित्र लेने का राष्ट्रीय कार्यक्रम) के अध्ययन के अनुसार कृषि अनुसंधान पर किया गया खर्च अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होता है। कृषि अनुसंधान पर होने वाले निवेश से प्राप्त लाभ की आंतरिक दर 42 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है जो किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में कहीं ज्यादा है। इसलिए इस पर निवेश करना बहुत जरूरी है। नयी टेक्नोलॉजी के विकास में निवेश का संसाधनों के समुचित उपयोग की दक्षता पर सीधा असर पड़ता है।



योजना, जनवरी 2021

भारत में कई आणविक प्रजनन उत्पादों का खेतों में वाणिज्यिक उपयोग सफलता पूर्वक किया जा रहा है और किसान चावल, गेहूं, मक्का, काबुली चना और मूँगफली उगाने में इसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन कपास उत्पादन में पहली बार इसके उपयोग से भारत कपास उत्पादन में दुनिया का अग्रणी देश बन गया है।

इसी तरह शिक्षण और प्रसार गतिविधियां भी बड़ी लाभप्रद साबित हुई हैं और इन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। योजना के प्रारंभ में ही वित्तीय वचनबद्धताओं में अंतराल रहता है और अब तो यह वार्षिक आधार पर बढ़ता जा रहा है। इससे अनुसंधान कार्यक्रमों को किसी तरक्सिंगत परिणति तक पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है।

कृषि कानूनों में ऐतिहासिक सुधार

भारत सरकार ने पहली बार कृषि विपणन के क्षेत्र में एक अरसे से लंबित सुधारों को लेकर तीन प्रमुख सुधार किये। ये हैं: किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन तथा सुविधा) अधिनियम 2020 (व्यापार और वाणिज्य अधिनियम); किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) कृषि आश्वासन और कृषि सेवा अनुबंध अधिनियम, 2020 (अनुबंधित खेती अधिनियम) और आवश्यक वस्तुएं (संशोधन) अधिनियम 2020, जिसमें आवश्यक संशोधन किये गये। इन नीतिगत बदलावों से किसानों को निर्धारित मंडियों से मुक्ति मिलेगी और वे अपनी उपज किसी भी जगह बेच कर अधिकतम दाम हासिल कर सकेंगे। उपज को बेचने में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होने से किसानों को लाभ मिलेगा।

अनुबंधित खेती अधिनियम में किसानों को कंपनियों, खुदरा व्यापारियों और कृषि संबंधी फर्मों आदि के साथ अनुबंध करने की व्यवस्था की गयी है जिससे वे पहले से तय दाम पर कोई फसल पैदा कर सकेंगे। इससे उस वस्तु के दामों में उत्तर-चढ़ाव का

कोई असर नहीं पड़ेगा और वे अपनी उपज के लिए अनुबंध में निर्धारित दर पर दाम पा सकेंगे।

इस तरह के विस्तृत बदलावों के आने से किसान अब आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग की स्वतंत्रता चाहते हैं। वैज्ञानिक भी आशक्ति हो गये हैं क्योंकि सरकार उन्हें जेनेटिक इंजीनियरी टेक्नोलॉजी की सहायता से विकसित किये गये अपने उत्पाद के वाणिज्यिक उत्पादन पर पार्बद्धियां लगाती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि नीति निर्माताओं ने इस तरह के उत्पादों को फसलों में इस्तेमाल करने में जान-बूझकर बाधाएं उत्पन्न कीं। अगर उत्पादकता और मुनाफा बढ़ाने के मार्ग में आसन चुनौतियों को कम करना है तो विपणन क्षेत्र के मौजूदा सुधारों की ही तरह कुछ आधार प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन और प्रसार सेवाओं में कुछ नीतिगत परिवर्तन करने होंगे और उच्चतर उत्पादकता संबंधी नीतियों को उचित प्राथमिकता देनी होगी। कृषि नीतियों से विस्तृत अर्थों में चहुंमुखी विकास और आर्थिक व्यवहार्यता की रफ्तार में तेजी आनी चाहिए। देश को अपनी नीतियों को आधार प्रधान की बजाय टेक्नोलॉजी और कौशल प्रधान बनाना चाहिए। देश को अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए और उन्हें आधार प्रधान की बजाय टेक्नोलॉजी और कौशल प्रधान बनाना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत ने लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने में शानदार कार्य किया है। लेकिन जैसे-जैसे देश की आबादी बढ़ रही है, आने वाले समय में मौजूदा चुनौतियां विकराल रूप लेती जाएंगी। भारत को 2050 में अपनी संभावित 1.7 अरब जनसंख्या का पेट भरने के लिए कई कृषि पदार्थों के उत्पादन में 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करनी होगी। ऐसे में स्वाभाविक रूप से भावी उपाय के रूप में भारत को नयी टेक्नोलॉजी के विकास के लिए अनुसंधान और विकास तथा नवाचार को सुदृढ़ करना होगा। इसके अलावा कृषि उत्पाद विपणन के क्षेत्र में मौजूदा सुधारों की ही तरह कई नीतिगत बदलाव भी करने होंगे ताकि टेक्नोलॉजी और कौशल प्रधान खेती पर जोर बना रहे। यहीं नहीं, उपयुक्त नीतिगत सुधारों से कृषि से जुड़े तमाम हितधारकों के मन में भरोसा कायम करने में मदद मिलेगी। ■

भारतीय कला और संस्कृति

सुप्रीति



भारतीय कला और संस्कृति की फिबोनाचि अनुक्रम का सार- तत्व भारत की वह मूलभूत संकल्पना है जिसमें समग्रता, सौन्दर्य, लालित्य, उद्देश्य की पवित्रता, किसी भी तथ्य से जुड़े विवरणों और मर्म पर पूरा ध्यान देना, अनुशासन, एकाग्रता, पूर्णता की तलाश, अपने ही मानस के उदात्त तत्वों से जुड़ने की प्रवृत्ति, उदारता, उत्कृष्टता और सभी को समाहित करती बहुलता की दृष्टि निहित है। भारतीय दर्शन सौन्दर्य तथा ललित अनुभवों को महत्व देता है और यह प्रवृत्ति भारतीय कला और संस्कृति को हर स्तर पर जीवंत रखती है। कला का उद्देश्य व्यक्ति को रोज़मरा के दुनियादारी के कामों और दुखों से थोड़े समय के लिए अलग ले जाकर उसे एक आदर्श, आनंदप्रद और उपचार सौन्दर्य की वैकल्पिक दृष्टि प्रदान करना है।

भा

रत की आज दुनिया भर में अनेक रूपों में पहचान है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है; सर्वाधिक जनसंख्या में दूसरे स्थान पर स्थित विशाल राष्ट्र है; निरंतर विकसित होती अर्थव्यवस्था, उभरता बाजार, आईटी सेवा-प्रदाता और अनेक क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता वाला देश है। यह अनेक बड़ी नदियों, सभ्यताओं, अध्यात्म, रहस्यवाद, प्राचीन मेधा, पारंपरिक औषधियों और जड़ी-बूटियों, मेलों और पर्व-त्योहारों की विविधता का देश है। यह अनेक वर्णों, चेहरे-मोहरों, परिधानों, व्यंजनों, बोलियों-भाषाओं, विचारों और विश्वासों, रीति-रिवाजों, धर्मों, ध्यान, योग, चित्र-शैलियों, शिल्पों, मूर्ति और स्थापत्य कलाओं, साहित्य, काव्य, संगीत तथा नृत्य शैलियों तथा सांस्कृतिक विविधताओं का देश है।


भारतीय होना क्या है? क्या यह भौगोलिक सीमाओं में बंधी पहचान-मात्र है? क्या यह मात्र 73 वर्ष का स्वतन्त्रता के बाद के भारत

की पहचान है या शताब्दियों पुराने देश की अस्मिता है। मेरी राय में शताब्दियों से स्थित ऐसी भारतीयता अपनी पहचान है जो अपने वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र से कहीं अधिक विशाल और गहन है, जिसकी कला-संस्कृति में शताब्दियों की मेधा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है। अनेक सभ्यताओं, संस्कृतियों और जीवन-शैलियों के सह-अस्तित्व वाले इस देश के जादुई रहस्य की थाह ते पाना वास्तव में बड़ा कठिन कार्य है।

प्राचीन भारत के प्रसिद्ध काव्य-शास्त्री और गणितज्ञ-पिंगल ने अपने छंदशास्त्र में मात्रामेरु की धारणा प्रस्तुत की जिसे अब हम फिबोनाचि अनुक्रम के रूप में जानते हैं। पिंगल के बाद, जैन चिंतक हेमचन्द्र ने इस धारणा की व्याख्या की और फिर इटली के गणितज्ञ लियानार्डो फिबोनाचि ने इसे प्रस्तुत किया। फिबोनाचि अनुक्रम शून्य (0) और एक (1) संख्याओं से प्रारम्भ होती है और शृंखला की हर नई संख्या, इससे तुरंत पहले की दो संख्याओं का जोड़ होती है। जैसे - 0, 1, 1,



लेखिका बंगलुरु में डाइवर्सिटी एंड इनक्लूजन कंसल्टेंट हैं और स्पिकर्मेंके की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हैं।
ईमेल: suprithi11@yahoo.co.in



2, 3, 5, 8, 13, 21, 34... इस तरह अनुक्रम जारी रहती है। किन्हीं दो क्रमबद्ध संख्याओं का अनुपात हमेशा 1.618 रहता है जिसे ग्रीक अक्षर फ़ाई (Φ) से व्यक्त किया जाता है। इसे 'स्वर्णम माध्य (गोल्डन मीन)' कहा जाता है और प्रकृति में यह एक बहिर्मुखी कुंडली या चक्र के रूप में बहुतायत में पाया जाता है- जिस तरह सूर्यमुखी के फूल में बीज व्यवस्थित होते हैं या समुद्री शंखों और घोंघों का कवच होता है।

मेरा मानना है कि भारतीय कला और संस्कृति फिबोनाचि अनुक्रम के रूप में विकसित होती रही है और यह विकास-प्रक्रिया जारी है। बहिर्मुखी कुंडली या चक्र (स्पाइरल) जैसे इस स्वरूप में विकास की अनंत संभावनाएं हैं। भारतीय कला और संस्कृति की एक मूलभूत विशेषता इसकी 'समग्रता' है। इस कुंडली में अच्छे-बुरे नए विचार, विश्वास, शैलियां और जीवन-मूल्य भी निहित हैं और ऐसे पुराने विचार, शैलियां, मूल्य आदि भी सिमटे हुए हैं जो उनके ऊपर अनेक परतें चढ़ जाने की वजह से बाहर से नज़र और पकड़ में नहीं आ पाते हों। लेकिन यह 'प्राचीन' नष्ट नहीं होता, जीवित रहता है और 'नये' को समझ देता हुआ निरंतर टिका रहता है। 'नया'

अपनी विशिष्ट और ज्यादा स्पष्ट पहचान के साथ नज़र आता है क्योंकि चक्रिक संरचना के बाहर की ओर होने से इसे साफ नज़र आने का लाभ मिलता है। लेकिन इस कुंडली के सबसे बाहरी बिन्दु पर स्थित व्यक्ति भी भारतीय कला और संस्कृति, इसके सम्पूर्ण ज्ञान और मेधा की विरासत को, कुंडली की सम्पूर्णता में ग्रहण करता है। कोई भी जाग्रत आत्मा, शोधकर्ता और अन्वेषी इस कुंडली की गहनतम गहराइयों में जा सकता है, स्रोत तक पहुंच सकता है और इसमें निहित धरोहर और मेधा को नये सिरे से समझ सकता है, ग्रहण कर सकता है। इतिहासकार, पुरातत्वविद, दार्शनिक, धर्म-मर्मज्ञ, विरासत के अध्येता और संस्कृति पर मात्र विहंगम, जिज्ञासु दृष्टि डालने वाले यहीं तो करने का प्रयास करते हैं। इस लेख में, हम भारतीय कला और संस्कृति पर दो प्रमुख प्रभावों - मुगल शासन (13वीं शताब्दी के बाद और यूरोपीय शासन; 18वीं शताब्दी से आगे) की संक्षेप में समीक्षा करेंगे।

भारतीय दर्शन सौंदर्य तथा ललित अनुभवों को महत्व देता है और यह प्रवृत्ति भारतीय कला और संस्कृति को हर स्तर पर जीवंत रखती है। कला का उद्देश्य व्यक्ति को रोज़मर्मा के दुनियादारी के कामों और दुखों से थोड़े

समय के लिए अलग ले जाकर उसे एक आदर्श, आनंदप्रद और उपचार सौन्दर्य की वैकल्पिक दृष्टि प्रदान करना है। कोई भी महान कलाकृति, चाहे वह संगीत हो, नृत्य हो या चित्र हो - आत्मा को स्पर्श करता है और हमें भाव-विहळ कर देता है। जब ऐसे अनुभव को देने वाला कलाकार प्रतिभाशाली हो और ग्रहण करने वाला जिज्ञासा तथा निजी विकास के उन्नत स्तर पर हो, तभी यह जादू और उदात्त आध्यात्मिक अनुभव संभव हो पाता है।

मंदिरों के मध्य में स्थित प्रांगणों में प्रायः आयोजित शास्त्रीय संगीत और नृत्य कार्यक्रम ईश्वर को अर्पण माने जाते थे। इस प्रक्रिया में भक्तों को मिलने वाला आनंद, इस नृत्य-संगीत का मुख्य उद्देश्य नहीं होता था। प्राचीन काल में उद्देश्य की पवित्रता, एकाग्रता और आत्मा को आध्यात्मिक अनुभव की ऊँचाइयों पर ले जाने का प्रयास होता था। बदलते देश-काल के साथ, कलाकारों के उद्देश्य और दृष्टि भी बदलने लगे।

राजाओं-नवाबों के कलाओं के संरक्षक बन जाने पर, प्रस्तुतियों का स्थान मंदिर के प्रांगण से हट कर दरबारों में हो गया। कला का उद्देश्य ईश्वर की आराधना की बजाय राजा को खुश करना हो गया। कलाकार का



उद्देश्य भी आध्यात्मिक साधना की बजाय, मनोरंजन हो गया और कला तथा कलाकार राजाओं या राजकीय संरक्षण पर आश्रित हो गए। राजा राजेंद्र चौल, बादशाह अकबर, असम के अहोम राजा, होल्कर नरेशों, नवाब वाजिद अली शाह, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़, महाराजा स्वाति तिरुनाल, वोडेयर राजाओं तथा अन्य राजे-रजवाड़ों के अपने दरबारी संगीतकार तथा नर्तक-नर्तकियां थीं। पुर्तगाली, फ्रेंच, डच और अंग्रेज़ शासकों के भारत में आने के साथ ही कला-प्रस्तुति दरबारों से हट कर, यूरोपीय शासकों के मनोरंजन के लिए, छोटे 'हॉलों' में होने लगीं। इस तरह 'चेम्बरम्यूजिक' की शुरूआत हुई जिसमें कलाकार ऐसे श्रोता-दर्शक के मनोरंजन के लिए प्रस्तुति दे रहा था जो कुर्सी पर जूते पहन कर ऐसी प्रस्तुति का आनंद लेता था। इस तरह सभा-कक्षों (ऑडिटोरियम) में कला-प्रस्तुतियां शुरू हुईं जहां कलाकार अपने श्रोता-दर्शक से दूर था और कला का उद्देश्य थोड़ी देर का मनोरंजन था।

फिबोनाचि अनुक्रम का विस्तार हुआ और नये वाद्य यंत्र तथा संगीत-नृत्य शैलियां आईं। मुगलों के जमाने में खमचे, रबाब (जिसका परिवर्धित रूप अब सरोद कहा जाता है), एक-तार, दु-तार, और से-तार (तीन-तार)-जिसका परिवर्धित रूप आज का सितार है। ऐसे वाद्य-यंत्र थे। समझा जाता है कि इसी दौर

में तबले का भी चलन शुरू हुआ। इससे पूर्व उत्तर भारत में पखावज, दक्षिण भारतीय संगीत के लिए मृदंगम और पूर्वी भारत में पुंग और ढोल का चलन था। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल, कवाली, ज़िक्र-ज़ारी, सूफी और लोक-शैलियां लोकप्रिय भी हुईं। कलाओं के महान संरक्षक अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने तुमरी-गायन को कथक नृत्य-शैली से जोड़ा।

19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में, मुत्थुस्वामी दीक्षितार के भाई बालुस्वामी दीक्षितार आयरिश

भारतीय होना क्या है? क्या यह भौगोलिक सीमाओं में बंधी पहचान-मात्र है? क्या यह मात्र 73 वर्ष का स्वतन्त्रता के बाद के भारत की पहचान है या शताब्दियों पुराने देश की अस्मिता है। मेरी राय में शताब्दियों से स्थित ऐसी भारतीयता अपनी पहचान है जो अपने वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र से कहीं अधिक विशाल और गहन है, जिसकी कला-संस्कृति में शताब्दियों की मेधा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है।

सारंगी वादकों के संपर्क में आए। उन्होंने खुद वायलिन सीख कर इस वाद्य यंत्र को कर्नाटक संगीत के अनुरूप बनाया। इसके बाद, मैसूर टी. चौदैया ने सात तारों वाला सितार बनाया। आज शुद्ध कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में वायलिन का बहुत उपयोग होता है। प्रतिभाशाली कर्नाटक संगीतकार वेदिवेलु ने संभवतः पहली बार, 19वीं शताब्दी में ही चार वाद्य-यंत्रों यानि 'क्वार्टेट' का इस्तेमाल शुरू किया। यह प्रयोग पाश्चात्य संगीत परंपरा से लिया गया था। इसके बाद से, क्लैरिओनेट, मेंडोलीन और पियानो जैसे पाश्चात्य वाद्य-यंत्रों को कर्नाटक संगीत के अनुरूप बनाया जाता रहा है।

भारतीय कला और संस्कृति के इस फैलाव से परस्पर संवाद, संपर्क, एक-दूसरे से सीखने, अलग-अलग शैलियों के संयोग और विकास से नवीनता और सांस्कृतिक समृद्धि आई। इस खुलेपन और उदारता से कला का विकास फिबोनाचि अनुक्रम के अगले स्तर तक हो पाया। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत-भंडार इस समय बहुत समृद्ध है, हालांकि इसके कुछ दुर्लभ रूप विलुप्त हो गए हैं।

जिन लोगों की दरबारों और सभागारों तक पहुंच नहीं थी, गांवों की चौपाल उनकी प्रस्तुति का मंच बनीं। ग्रामीण और जनजातीय लोगों ने अपनी संगीत और नृत्य शैलियां रचीं

और उन्होंने आम जन को सुलभ खुले मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दीं। इन प्रस्तुतियों के सभी दर्शक पूरी प्रस्तुति देखने के इरादे से नहीं आते थे। कई बार वहां से गुजरते लोग इन्हें कुछ देर तक देखने रुक जाते थे। धीरे-धीरे लोक-संगीत गाँवों-कस्बों के मेलों, पर्वों-त्योहारों और घरेलू संस्कारों के दैरान प्रस्तुत किए जाने लगे। भारत के हर राज्य के अपने लोक-संगीत और नृत्य हैं और अपने लोक देवी-देवता, बोली-भाषा, परिधान और सम्प्रेषण के उद्देश्य हैं। गुजरात में गरबा, राजस्थान में घूमर, असम में बिहू, पश्चिम बंगाल में संथाल और पंजाब में भांगड़ा ऐसी ही लोक-शैलियां हैं। ऐसी ही परम्पराओं में कलारिपटू और चऊ जैसे युद्ध-नृत्य भी जुड़ गए और फिबोनाचि अनुक्रम बढ़ती गई।

लोक चित्रकलाओं का प्रारम्भ आम लोगों की घरों की दीवारों से शुरू हुआ जिनमें प्रायः रोज़मरा के जीवन से जुड़े चित्र उकेरे जाते थे। महाराष्ट्र की वर्ली, बिहार की मधुबनी और मध्य प्रदेश की गोंड चित्र-शैलियां ऐसी ही हैं। कुछ चित्र-शैलियों में धार्मिक कथाएं उकेरी जाती हैं। ऐसी चित्र-शैलियों में राजस्थान की पिछवाई या फड़, गुजरात में माता-नी-पछेड़ी, आंध्र प्रदेश में कलमकारी और हिमालयी इलाकों में थंकाचित्र शामिल हैं। लोक कला का विकास भारत में अभिव्यक्ति के विविध रूपों का प्रतीक है।

अनेक मंदिर प्राचीन भारत की वैज्ञानिक तथा स्थापत्य प्रतिभा के आश्चर्यजनक उदाहरण हैं। उत्तर-दक्षिण दिशाओं में ऊर्जा के संचार के कारकों की समझ के बाद, देव-प्रतिमा की स्थापना इस तरह की जाती थी ताकि सकारात्मक ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा प्रसार हो और देव-विग्रह से भक्तों को उनके दुख-क्लेश दूर करने वाली ऊर्जा मिले। मदुरै के मीनाक्षी अम्मान मंदिर में एक हज़ार स्तम्भ एक सरल रेखा में स्थित हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर में गलियारे के दोनों ओर, (एक ओर में) 1,212 स्तम्भ भी एकदम सरल रेखा में स्थित हैं। शिल्प की यह अद्भुत पूर्णता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, पाटण (गुजरात) की रानी की बाव और सप्राट अशोक द्वारा निर्मित वौद्ध स्तूप सौंदर्य-बोध के साथ-साथ उत्कृष्टता तथा, वैज्ञानिक और स्थापत्य की गुणवत्ता के उदाहरण हैं।

मंदिरों में कला का श्रेष्ठ प्रदर्शन होता था। दीवारें बारीक काम वाले चित्रों, भित्ति-चित्रों

और मूर्तियों की कलाकारी अनुपम होती थी। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास अजंता के भित्तिचित्रों में बौद्ध जातक-कथाएं अंकित हैं। होयसल शासकों द्वारा निर्मित कर्नाटक में बेलुर-हलेबिदु के मंदिरों की प्रतिमाओं में एक स्त्री के जूड़े की पिन, उसके वस्त्रों की सलवटें और कृष्ण भगवान की बांसुरी का छेद तक स्पष्ट नज़र आता है। राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिरों में संगमरमर पर बारीक नकाशी है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों और मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिरों में मूर्ति-शिल्प का महीन काम अद्भुत है। बिहार में महाबोधि मंदिर में ईटों की सुंदर सजावट है। तमिलनाडु में तंजावूर में बृहदेश्वर मंदिर में नृत्यांगनाओं की भावमयी



मुद्राओं में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में वर्णित भरतनाट्यम् नृत्य के 108 कारणों में से 81 कारण प्रदर्शित किए गए हैं।

दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान वैज्ञानिक समझ के दिलचस्प अनुप्रयोग शिल्प और स्थापत्य में किए गए। दिल्ली का कुतुब मीनार इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। कर्नाटक में विजयपुरा में आदिल शाह द्वारा निर्मित गोल गुंबद उस समय के सबसे विशालतम गुंबदों में एक है। इसकी 'व्हिस्परिंग गैलरी' के एक कोने की फुसफुसाहट दूसरे कोने तक सुनाई देती है। फारसी सौन्दर्य-बोध के प्रभाव में प्रकृति और ज्यामितीय डिजाइनों के मोटिफ रंगीन टाइलों, संगमरमर तथा अन्य बेशकीमती सतहों, जालियों, गुंबदों और चारों कोनों पर स्थित मीनारों पर उकेरे गए। आगरा, उत्तर प्रदेश में एतमाउद्दैला के मकबरे और ताज महल ऐसी कलाकारी के सुंदर उदाहरण हैं। निजी और सार्वजनिक इस्तेमाल

के बड़े-बड़े कक्षों, बारीकी से तराशे गए पेड़-पौधों और फव्वारों वाले उद्यानों से सज्जित महल ऐसी इमारतों की विशेषताएं हैं। यूरोपीय शासक अपने साथ गोथिक स्थापत्य शैली लाए जो मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में नज़र आती है। इन सभी प्रभावों से भरत में अनेक स्थापत्य शैलियों की अद्भुत विविधता आई। भारत में इस समय युनेस्को द्वारा घोषित 38 विश्व विरासत स्थल हैं।

भारतीय फिल्म उद्योग का सफर भी काफी लंबा रहा है और अब तक इसका काफी विकास-विस्तार हुआ है। फिल्मों में नाच-गानों, भावुक पारिवारिक कहानियों को भारतीय संस्कृति के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। आधुनिक नृत्य, प्यूजन संगीत, रेत पर और ट्रकों पर कलाकारी, पुष्प-सज्जा जैसी नई-नई कला विधाएं पनप रही हैं जो हमारी कला-संस्कृति की फिबोनाचि अनुक्रम के सबसे बाहरी बिन्दुओं पर स्थित हैं।

भारतीय कला और संस्कृति को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए सरकार और देश के लोगों को इसे संस्थागत रूप से आगे बढ़ाना होगा। हमें नए-नए शान्तिनिकेतन, कलाक्षेत्र और कलामंडलम बनाने होंगे जहां कलाकार मुक्त भाव से कला-क्षेत्र में नए अनुसंधान और प्रयोग कर सकें, नई समझ विकसित कर सकें और नई-नई कृतियां रच सकें। कला-रसिकों की समझ विकसित कर कलाकृतियों के लिए मांग भी पैदा करनी होगी। इसके लिए कलात्मक धरोहर के संरक्षण को शिक्षा-प्रणाली के अनिवार्य अंग के रूप में जोड़ा होगा। 43 वर्ष पुरानी संस्था - स्पिकमैके निरंतर और संकल्प के साथ कर रही है। सारांश में यही कहा जा सकता है कि भारतीय कला और संस्कृति की फिबोनाचि अनुक्रम का सार तत्व भारत की वह मूलभूत संकल्पना है जिसमें समग्रता, सौन्दर्य, लालित्य, उद्देश्य की पवित्रता, किसी भी तथ्य से जुड़े विवरणों और मर्म पर पूरा ध्यान देना, अनुशासन, एकाग्रता, पूर्णता की तलाश, अपने ही मानस के उदात्त तत्वों से जुड़ने की प्रवृत्ति, उदारता, उत्कृष्टता और सभी को समाहित करती बहुलता की दृष्टि निहित है। भारतीय दर्शन सौंदर्य तथा लालित अनुभवों को महत्व देता है और यह प्रवृत्ति भारतीय कला और संस्कृति को हर स्तर पर जीवंत रखती है। ■

सूचना प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता से भी आगे

बालेन्दु शर्मा दाधीच

डिजिटल इंडिया की बढ़ावात एक अरब भारतीयों को ऑनलाइन लाने की दिशा में बड़ी सफलता प्राप्त की जा चुकी है। भारत में सस्ती दरों पर उपलब्ध स्मार्टफोनों के साथ-साथ सस्ती दरों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी (डेटा) की उपलब्धता और दूरसंचार के विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे ने डिजिटलीकरण की अद्भुत क्रांति को साकार कर दिखाया है। जिस अंदाज में लाखों-करोड़ों भारतीय डिजिटल माध्यमों से भुगतान कर रहे हैं, आयकर के रिटर्न भर रहे हैं, रेलवे टिकटों की बुकिंग करा रहे हैं, बैंकिंग सेवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, ईकॉमर्स का उपयोग कर रहे हैं, सरकारी तंत्र से जुड़ चुके हैं- वह दुनिया के लिए आश्चर्यजनक उपलब्धि है जिसका मुकाबला अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देश भी नहीं कर सकते। देश में डिजिटल मानस और परिवेश का विकसित होना सुखद भविष्य की गारंटी है क्योंकि अभी कम से कम दो दशकों तक आर्थिक विकास में सूचना प्रौद्योगिकी का दबदबा बना रहेगा।

हम आजादी के 75 वर्ष पूरे करने की तरफ बढ़ रहे हैं और इस लंबी अवधि में देश ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की हैं उनका विश्लेषण हमारी पृष्ठभूमि और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किए जाने की आवश्यकता है। लंबी दासता की पृष्ठभूमि, सामाजिक समस्याओं की भरमार, आर्थिक विपन्नता, साक्षरता की कमी, ढांचागत विकास के अभाव और इसी तरह की बहुत सी दूसरी समस्याओं से जूझते हुए भारत आगे बढ़ता आया है। हमारी पृष्ठभूमि न तो अमेरिका जैसी है जो लगभग ढाई सौ साल पहले आजाद हो गया था और न ही जापान जैसी है जहां हमारी तुलना में बहुत कम जनसंख्या है। न ही हम चीन जैसे हैं जहां पर ताकत का जोर चलता है। हम एक जीवंत लोकतंत्र में रहते हैं जिसकी अपनी मजबूतियां और चुनौतियां हैं। इन सबके बावजूद, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आज हम जहां पर आ गए हैं, वह निस्संदेह गौरव का विषय है। जब हम ऐसे दूसरे देशों की तरफ देखते हैं जिन्हें हमारे साथ ही आजादी मिली, तो हमारी उपलब्धियां स्पष्ट हो जाती हैं।

चुनौतियों और सीमाओं के बावजूद, भारत ने तकनीक के क्षेत्र में चौतरफा तरकी



चित्र: पीआईबी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री मून जे-ई-इन संयुक्त रूप से 9 जुलाई, 2018 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री, सैमसंग मोबाइल उत्पादन यूनिट का उद्घाटन करते हुए। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं।

की है, हालांकि अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में हमारी उपलब्धियों पर लोगों का ज्यादा ध्यान जाता है। लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने विलक्षण प्रगति की है। इससे जुड़े कई क्षेत्रों, विशेषकर सेवा के क्षेत्र में हम दुनिया में अग्रणी स्थान पर हैं। जिन अन्य क्षेत्रों में भारत पिछले दशकों में उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर सका उनमें भी अपनी स्थिति को मजबूत करने की संजीदा कोशिशें पिछले पांच-छह वर्षों में की गई हैं और उनका परिणाम भी दिखने लगा है। मैन्यूफैक्चरिंग (विनिर्माण) और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों का खास तौर पर नाम लिया जा सकता है जिनमें कोरोनावायरस के मौजूदा काल में काफी कुछ सकारात्मक घटित हो रहा है। आपने हाल ही में आई उन खबरों को देखा होगा जिनमें कहा गया है कि दुनिया की प्रसिद्ध दूरसंचार उपकरण विनिर्माता कंपनी एप्पल चीन में सक्रिय अपने संयंत्रों को भारत ला रही है। ऐसा ही कुछ अन्य कंपनियां भी कर रही हैं।

विनिर्माण का केंद्र बनेगा भारत

एप्पल, सैमसंग और लावा समूह जैसे घरेलू समूह भारत को मोबाइल उपकरण विनिर्माण का प्रमुख निर्यात केंद्र बनाने के लिए तैयार हैं। इस क्षेत्र में भारत चीन और वियतनाम को चुनौती देने की स्थिति में आ रहा है जो वैश्विक निर्यात बाजार के 85 प्रतिशत हिस्से को नियंत्रित करते हैं। सैमसंग ने भारत में 2.2 लाख करोड़ रुपये मूल्य के ऐसे मोबाइल उपकरणों का निर्माण करने की प्रतिबद्धता जताई है जिनकी कीमत 15,000 रुपये से अधिक है। सरकार ने हाल ही में पांच वैश्विक और पांच भारतीय कंपनियों (लावा, माइक्रोमैक्स, पैजेट, यूटीएल नियोलनाइक्स और ऑप्टीमस) के भारत में विनिर्माण करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिन्होंने निर्माण आधारित रियायतों (पीएलआई) की योजना के तहत पांच वर्षों में 12500 अरब फोन के विनिर्माण की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने यह प्रतिबद्धता भी जाहिर की है कि उत्पादन पर खर्च होने वाली लागत का 60 प्रतिशत हिस्सा निर्यात से आएगा। जाहिर है, भारत में ऐसे क्षेत्रों में भी बदलाव आ रहा है जिनमें पारंपरिक रूप से हमारी मजबूती नहीं रही है।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही तरक्की अनायास ही नहीं है। भारत सरकार इस संबंध में सुविचारित और सुनियोजित प्रयास करती आई है। यह इस क्षेत्र में सरकार की ओर से किए जाते रहे निवेश से भी स्पष्ट होता है। 1947 में भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान में सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 0.1 प्रतिशत हिस्से का निवेश किया जा रहा था। यह एक दशक से भी कम समय में 0.5 प्रतिशत हो गया था। मौजूदा सरकार के पिछले कार्यकाल में इस क्षेत्र में न सिर्फ निवेश ने गति पकड़ी है बल्कि उसके दायरे का भी व्यापक विस्तार हुआ है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में श्री नरेंद्र मोदी सरकार की भविष्योन्मुखी दृष्टि तथा व्यापक वृष्टिकोण दोनों के परिचायक हैं। साथ ही साथ वे इस क्षेत्र में भारत की क्षमताओं तथा देश में निहित संभावनाओं में सरकार की आस्था को भी स्पष्ट करते हैं।

अतीत की जिन उपलब्धियों का जिक्र किया जाना आवश्यक है, उनमें 1960 के दशक की उपग्रह और संचार क्रांति प्रमुख है जब भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरूआत की और अपनी सभी



सीमाओं के बावजूद अखिरकार अपने आपको इस क्षेत्र की सबसे अग्रणी शक्तियों के रूप में स्थापित किया। जब 2017 में इसरो ने एक ही अंतरिक्षयान से 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने का कारनामा कर दिखाया और उससे पहले अपने पहले ही मंगल अभियान को सफलता से संपन्न कर लिया तो इस क्षेत्र में भारत की दक्षता तमाम प्रश्नचिह्नों से मुक्त हो गई। आज विकसित देशों की सरकारें और कंपनियां अपने उपग्रहों की स्थापना के लिए इसरो की मदद लेने में संकोच नहीं करतीं।

चुनौतियों से निकली आगे की राह

लगभग 50 साल पहले अधिकांश क्षेत्रों की तरह दूरसंचार क्षेत्र भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से हार्डवेयर की सप्लाई पर निर्भर था और उच्च लागत के साथ-साथ विदेशी मुद्रा की कमी के कारण नई तकनीक भारत में नहीं आ सकी। लेकिन दूरसंचार के क्षेत्र में तब क्रांति आ गई जब 1984 में सरकार ने सैम पितोदा के नेतृत्व में टीआरसी और टीआईएफआर से वैज्ञानिक टीमों को एकत्र करके सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) की स्थापना की। भारतीयों द्वारा विकसित ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज सामने आए जो कठोर परिस्थितियों में और बिना एयर कंडीशनिंग के काम कर सकते थे। चूंकि मकसद देश को आत्मनिर्भर बनाना था इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित तकनीक को खुले दिल से निजी कंपनियों को मुफ्त में हस्तांतरित किया गया। आखिरकार भारत में दूरसंचार के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एकाधिकार को चुनौती मिली। जो उस समय बुनियादी दूरसंचार तकनीकों और उपकरणों के मामले में हुआ उसी तरह के घटनाक्रम के मोबाइल फोन के क्षेत्र में घटित होने की शुरूआत पिछले दिनों हो चुकी है।

सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति और रेलवे का कम्प्यूटरीकरण भी भारत के विकास की अद्भुत घटनाएं हैं। बड़ी विदेशी कंपनियों के एकाधिकार को तोड़ने और स्वदेशी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर विकास को बढ़ावा देने के लिए, 1970 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को स्थापित किया गया था। उस दौर में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कंप्यूटर मेन्टेनेन्स कॉर्पोरेशन और राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम स्थापित हुए। बाद में बहुत सारी स्वदेशी निजी कंपनियां भी इस दौड़ में शामिल हुईं और दफ्तरों का कंप्यूटरीकरण शुरू हुआ। 1986 में शुरू की गई रेलवे की यात्री आरक्षण परियोजना में जब सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग शुरू हुआ तो उसकी कामयाबी ने न

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन

सूचना प्रौद्योगिकी के एक रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण प्रयोग का एक प्रभावशाली उदाहरण है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, जिसके शुभारंभ की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले स्वाधीनता दिवस के अवसर पर की थी। इस मिशन के अंतर्गत सभी नागरिकों को स्वास्थ्य पहचान पत्र दिए जाएंगे। हर नागरिक के पहचान पत्र में उसकी हर बीमारी, हर जांच, डॉक्टरों द्वारा दी गई तमाम दवाओं की सूचनाओं के साथ-साथ उसकी रिपोर्ट भी रहेंगी। इसे देश में किसी भी स्थान पर देखा जा सकेगा और सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से संपन्न होने वाली यह परियोजना सभी के लिए उपयोगी होगी- स्वयं नागरिकों के लिए, चिकित्सकों के लिए, सरकार के लिए और बीमा क्षेत्र के लिए। यदि सरकार ने चाहा तो वह स्वास्थ्य संबंधी शोध और कृत्रिम मेधा जैसे क्षेत्रों के लिए भी इसका प्रयोग करने पर विचार कर सकती है।

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को नीति आयोग द्वारा 2018 में प्रस्तावित किया गया था। हर भारतीय का एक स्वास्थ्य संबंधी खाता होगा जिसमें उसकी पिछली चिकित्सा स्थितियों, उपचार और निदान के बारे में भी जानकारी शामिल होंगी। इसमें सभी डॉक्टरों के साथ-साथ नैदानिक परीक्षण और निर्धारित दवाओं के परिणाम शामिल होंगे। नागरिक यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा कि वह स्वास्थ्य पहचान पत्र को 'आधार' के साथ

सिर्फ दुनिया को चौंका दिया बल्कि बहुत सारी प्रक्रियाओं को आसान तथा सेवाओं को सुलभ बना दिया। यह ऐसी सबसे बड़ी परियोजना थी जिसने साबित किया कि कैसे प्रौद्योगिकी दक्षता में सुधार कर सकती है, भ्रष्टाचार में कटौती कर सकती है और लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकती है।

कंप्यूटरीकरण की चर्चा भारत के सुपर कंप्यूटर की बात किए बिना अधूरी रह जाएगी। परम, जो कि भारत का पहला सुपरकंप्यूटर था, आधुनिक भारत की तकनीकी प्रगति का प्रतीक बन गया। इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है। जब दूसरे देशों ने भारत को इस तरह की आधुनिकतम तकनीकें देने से इंकार कर दिया तब भारत ने इनके स्वदेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी मंजिल हासिल करके दिखाई। भारत में कंप्यूटिंग के क्षेत्र की बढ़ती ज़रूरतों, विशेषकर सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक) की स्थापना की गई थी, जिसने 'परम' नामक सुपर कंप्यूटर का विकास करके डिजिटल क्षेत्र में तरक्की का एक सिलसिला शुरू कर दिया। यह सिलसिला आज भी जारी है और आज भारत में सिर्फ एक सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि कई सुपर कंप्यूटर हैं। उल्लेखनीय है कि जब भारत ने 100 गीगा-फ्लॉप की क्षमता वाला सुपर कंप्यूटर बना लिया तब अमेरिका ने भी निर्यात के अपने नियंत्रणों में ढील देना शुरू कर दिया। ऐसा दूसरे मौकों पर भी हुआ है। जैसे भारत को विदेशों से क्रायोजेनिक इंजन की सप्लाई पर रोक लगा दिया जाना, जब भारत ने खुद ही ऐसे इंजन बनाकर दिखा दिए।

जोड़ना चाहता है या नहीं। यह कार्ड सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों, पैथालॉजिकल लैब और फार्मा कंपनियों में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह मिशन संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 3.8 के सार्वभौमिक स्वास्थ्य क्वरेज की दिशा में भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के 6 प्रमुख बिंदु हैं, जिनके माध्यम से नागरिकों को समय पर, सुरक्षित और सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होगी-

1. स्वास्थ्य पहचान पत्र (हेल्थ आईडी)
2. डिजीडॉक्टर (डिजी डॉक्टर)
3. स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री (हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री)
4. व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड (पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड)
5. ई-फार्मेसी
6. टेलीमेडिसिन

स्वास्थ्य पहचान पत्र स्वैच्छिक होगा। यदि किसी व्यक्ति को यह नहीं चाहिए तो यह उसका निर्णय है। प्रारंभ में यह योजना चंडीगढ़, लद्दाख, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्ष्मीपुर में एक पायलट लॉन्च के माध्यम से शुरू की जाएगी। केंद्र शासित प्रदेशों के अनुभवों के आधार पर बाद में इसे राज्यों में भी लॉन्च किया जाएगा।

संकट को ताकत में बदलने का संकल्प

पुरुषार्थ की पहचान संकट के समय पर ही होती है। जापान एक शानदार उदाहरण है जिसने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने और द्वितीय विश्वयुद्ध में बुरी तरह परास्त व धराशायी होने के बाद अपना पुरुषार्थ दिखाया और शीर्ष दो आर्थिक शक्तियों में गिना जाने लगा। कोरोनावायरस के भीषण संकट और फिर चीन की आक्रामक हरकतों के बीच आज 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के रूप में हमारे सामने भी वैसा ही एक मौका है। आज जबकि प्रधानमंत्री द्वारा भारत में आत्मनिर्भरता का नया जोश फूंक दिया गया है, हम सबके सामने यह सवाल है कि क्या भारत भी अपनी चुनौतियों को एक अवसर में बदलकर दिखाएगा? क्या हम जल्दी ही 50 अरब डॉलर (पांच ट्रिलियन डॉलर) की अर्धव्यवस्था बनाएंगे और क्या 2025 तक यह देश जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा? इन प्रश्नों का जवाब हाँ में हो इसके लिए आवश्यक है कि सूचना प्रौद्योगिकी और विनिर्माण उद्योग अपने भीतर मौजूद अपार संभावनाओं को साकार करके दिखाएं। प्रधानमंत्री के आहान के इन दोनों क्षेत्रों से जो संकेत आ रहे हैं वे हमें काफी हद तक आश्वस्त करते हुए प्रतीत होते हैं।

'आत्मनिर्भर भारत' और 'लोकल के लिए बोकल' की बात करके प्रधानमंत्री ने विकास और राष्ट्रीय स्वाभिमान की नई खिड़कियां, नए द्वार खोले हैं। उन्होंने न सिर्फ भारत के आम उपभोक्ता की आत्मा को झकझोर दिया है बल्कि इस देश के राष्ट्रीय अर्थतंत्र को भी सकारात्मक अर्थों में ललकारा है। स्वाभी विवेकानंद याद आते हैं

जिन्होंने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए हैं। अत्यंत नवोन्मेष दिखाते हुए आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा किए गए हैं— कहीं नए मार्ग खोलकर तो कहीं पुराने मार्गों को बंद करके। दूसरी ओर जन-भावनाओं का वर्तमान उबाल भी सिद्ध करता है कि इस देश का आम आदमी उठने और जागने की प्रक्रिया में है। जुलाई 2020 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में चीनी मोबाइल फोन ब्रांडों की बिक्री घटने लगी है। मार्च में भारत में बिकने वाले कुल मोबाइल फोनों में से 81 फीसदी चीनी थे। जुलाई आते-आते यह संख्या 72 प्रतिशत पर आ गई।

संदेश जहां पहुंचना था, वहां पहुंचा है— न सिर्फ उपभोक्ताओं के स्तर पर, बल्कि व्यापारियों, उद्योगपतियों और सरकारों के स्तर पर भी। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अभूतपूर्व परिमाण में नए निवेश को आकर्षित करने में सफल रहा है— गूगल एक बड़ी मिसाल है। हम भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर का आकार लेते देख रहे हैं— रिलायंस जियो इसका उत्तम उदाहरण है। संदेहास्पद गतिविधियों में लगे चीनी स्मार्टफोन एप्लीकेशनों पर पाबंदी लगी तो भारत के स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र में जोश आ गया। हमारे उद्यमी और विकासकर्ता चंद दिनों में ही लगभग हर चीनी एप्लीकेशन का विकल्प ले आए। मित्रों, नमस्ते, चिंगारी, जियो मीट ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। कौन जाने विकास का अनुकूल बातावरण मिलने पर ये एप्लीकेशन कितने बड़े हो जाएं। चीन ने यही तो किया था! दूसरे देशों की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों पर अपने यहां पाबंदी और अपने यहां की आईटी कंपनियों को दूसरे देशों में पांच जमाने के लिए हर उचित-अनुचित मदद। हम चीन जैसे तो नहीं हो सकते लेकिन स्वस्थ प्रतिरूपिता के माहौल में भी देसी कंपनियों को जायज प्रोत्साहन अवश्य दे सकते हैं।

ऐसा प्रोत्साहन दिया भी जा रहा है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया का कार्य बदस्तूर जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अपनी रचनात्मकता, मौलिक सोच और नवोन्मेषी विचारों से चौंकाया है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो अनेक प्रोत्साहन योजनाएं आ रही हैं उनमें से एक— इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) की सफलता आशातीत है। लगभग 41 हजार करोड़ रुपए की इस प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 22 कंपनियों ने भारत में मोबाइल फोनों के विनिर्माण में रुचि दिखाई है। इनमें लावा और माइक्रोमैक्स जैसी भारतीय कंपनियों के साथ-साथ एप्पल और सैमसंग जैसी वैश्विक कंपनियां भी हैं। इस योजना से भारत को मोबाइल फोन विनिर्माण उद्योग का वैश्विक

केंद्र बनाया जा सकेगा। अगले पांच साल में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल उपकरण और कलपुर्जों का विनिर्माण होगा जिनमें से सात लाख करोड़ से अधिक के उपकरणों का निर्यात किया जाएगा। तीन लाख प्रत्यक्ष और 9 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने वाली एक अन्य योजना के लिए 40 से अधिक कंपनियों ने आवेदन किया है जिनमें भारतीय तथा विदेशी दोनों ही तरह की कंपनियां हैं।

डिजिटल इंडिया में निहित संभावनाएं

डिजिटल इंडिया की बदौलत एक अरब भारतीयों को ऑनलाइन लाने की दिशा में बड़ी सफलता प्राप्त की जा चुकी है। भारत में सस्ती दरों पर उपलब्ध स्मार्टफोनों के साथ-साथ सस्ती दरों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी (डेटा) की उपलब्धता और दूरसंचार के विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे ने डिजिटलीकरण की अद्भुत क्रांति को साकार कर दिखाया है। जिस अंदाज में लाखों-करोड़ों भारतीय डिजिटल माध्यमों से भुगतान कर रहे हैं, आयकर के रिटर्न भर रहे हैं, रेलवे टिकटों की बुकिंग करा रहे हैं, बैंकिंग सेवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, ईकॉमर्स का उपयोग कर रहे हैं, सरकारी तंत्र से जुड़ चुके हैं— वह दुनिया के लिए आश्चर्यजनक उपलब्धि है जिसका मुकाबला अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देश भी नहीं कर सकते। देश में डिजिटल मानस और परिवेश का विकसित होना सुखद भविष्य की गारंटी है क्योंकि अभी कम से कम दो दशकों तक आर्थिक विकास में सूचना प्रौद्योगिकी का दबदबा बना रहेगा।

गूगल की ओर से भारत में किया जाने वाला 10 अरब डॉलर का निवेश सिद्ध करता है कि भारत की विकास-कथा में वैश्विक कंपनियों की आस्था न तो कोरोनावायरस के संकट से प्रभावित हुई है और न ही चीन के साथ टकराव की आशंका से। अगले पांच से सात साल के भीतर गूगल लगभग 75 हजार करोड़ रुपये का निवेश करके देश के सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र को अगले चरण में ले जाने में मदद करेगा। एप्पल ने संकेत दिया है कि वह चीन से अपनी विनिर्माण सुविधाओं को भारत स्थानांतरित करने के बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो वह मात्र एक बड़ी खबर नहीं होगी बल्कि दुनिया भर की आईटी कंपनियों को संदेश देने वाली घटना होगी कि कहां स्थितियां बिगड़ रही हैं और कहां विकास की नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं।

लगभग 21 हजार करोड़ रुपए के कोश के साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के पूर्व छात्रों की परिषद (आईआईटी एलुमाइ कार्डिनेल) की स्थापना एक अद्भुत घटना है। आईआईटी से निकले पूर्व छात्र आज दुनिया की बड़ी से बड़ी आईटी कंपनियों को संचालित कर रहे हैं और अपने पूर्व शैक्षणिक संस्थानों को सैकड़ों करोड़ डॉलर की मदद देने के लिए जाने जाते हैं। स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, एमआईटी जैसे संस्थानों को जाने वाला धन अब भारतीय संस्थानों में आने लगा है और इसका इस्तेमाल नई पीढ़ी को नवोन्मेष, आत्मनिर्भरता, नए स्टार्टअप खोलने तथा रोज़गार सृजन की ओर प्रेरित करने में किया जा सकेगा। रिलायंस जियो ने स्वदेशी 5 जी तकनीक लाने की घोषणा की है। संकेत स्पष्ट है। भारत के पास न तो क्षमता की कमी है और न ही अवसरों की। आईटी के क्षेत्र में भारत की महत्वाकांक्षाओं को अब सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। ■



विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत

डॉ रहीस सिंह

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी
द्वारा सत्ता संभालते ही भारत की विदेश नीति में 'फारवर्ड ट्रैक', 'नेबरहृड फर्स्ट', 'एक्ट इंस्ट' और 'इनफार्मल डिप्लोमैसी' जैसे आयाम जुड़े। उन्होंने बहुत से लोकाचारों से आगे निकलकर भारतीय विदेश नीति में मौजूद संकोचों और संशयों को खत्म किया और भारत की 'सभ्यतागत नम्र शक्ति (साप्ट पावर) को कूटनीति का हिस्सा बनाया। प्रधानमंत्री ने योग और अध्यात्म जैसी भारतीय विरासत से सम्पन्न 'साप्ट पावर' के माध्यम से दुनिया के छोरों पर बसे भारतीयों के साथ संवेदनशील संपर्क स्थापित किया। इसके पीछे उनका दृष्टिकोण यह था कि भारत दूसरे देशों द्वारा निर्मित मूल्यों, नियमों और सरोकारों पर न चलकर अपने मूल्यों और सरोकारों पर आधारित नीतियों का निर्माण करे। सही अर्थों में यह भारत की आत्मनिर्भर विदेश नीति के लिए आवश्यक भी था।

‘आ’

ज का भारत दुनिया की बड़ी ताकत बनना चाहता है न कि संतुलित शक्ति (बैलेंसिंग पावर)। इसलिए भारत आज बड़ी वैश्विक जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है।" वर्ष 2015 में तत्कालीन विदेश सचिव और वर्तमान विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सिंगापुर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में एक व्याख्यान के दौरान यह बात कही थी। उनके इस वक्तव्य में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दृष्टि की साफ झलक थी जिससे वे अपने वरिष्ठ राजनयिकों को पहले ही अवगत करा चुके थे। प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ राजनयिकों से स्पष्ट कहा था कि वे भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने में योगदान दें, देश को बैलेंसिंग पावर की भूमिका तक सीमित न रखा जाए। यहाँ से 'इंडिया सेंट्रिक एक्स्टरनल पालिसी' या भारत केन्द्रित विदेश नीति की शुरुआत हुई।

विश्व व्यवस्था में प्रमुख भूमिका की ओर भारत

पिछले छह वर्षों में भारत केन्द्रित विदेश नीति के कारण ही हमारा देश दुनिया को यह संदेश देने में सफल रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्राथमिकताओं को परिभाषित करने की इच्छा एवं योग्यता रखता है। यहाँ से भारत ने बहुत से लोकाचारों और संकोचों को तोड़ते हुए 'सॉफ्ट पावर ऑफ सिविलाइजेशन' अथवा 'सभ्यतागत या सांस्कृतिक नम्र शक्ति' की दावेदारी के लिए स्वयं को तैयार किया।


आज जब हम इस विषय पर बात कर रहे हैं तब विश्व कोविड-19 महामारी के साथ-साथ आर्थिक मंदी, अनिश्चित और संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। विश्वनीति की वैचारिकी ऐसे चौराहे पर ठिठकी हुयी दिख रही है जहाँ पर कहना मुश्किल हो जाता है कि भावी विश्व शक्ति का केन्द्र कौन होगा। कोविड-19 की महामारी से निपटने में दुनिया



प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 नवंबर 2020 को G-20 शिखर सम्मेलन के एक आयोजन में पृथ्वी की सुरक्षा पर विश्व नेताओं से बात की और इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे भारत ने निम्न-कार्बन और क्लाइमेट रेसिलिएंट डेवलेपमेंट प्रैक्टिसिज़ को अपनाया है।

लेखक आर्थिक एवं वैश्विक मामलों के विशेषज्ञ हैं। ईमेल: raheessingh@gmail.com

योजना, जनवरी 2021



“The words Vasudhaiv Kutumbakam, the whole world is a family, have often reverberated in this hall of the United Nations.

We treat the whole world as one family. It is part of our culture, character and thinking.

In the United Nations too, India has always given priority to the welfare of the whole world. ”

- PM Narendra Modi at UNGA

#PMModiAtUN

हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। यह हमारी संस्कृति, संस्कार और सोच का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने हमेशा विश्व कल्याण को ही प्राथमिकता दी है - प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी (संयुक्त राष्ट्र महासभा में)

को एकता जिस तरह से बिखरती दिखी और विश्व स्वास्थ्य संगठन सीखे अंतरराष्ट्रीय संगठन जिस तरह से अप्रभावी दिखे उससे यह सवाल भी उठने लगे कि दुनिया अपने उन संगठनों, संस्थाओं और सहकारों को उसी रूप में लेकर बढ़ पाएगी जो दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान एवं उसके बाद सुनिश्चित किए गये थे। तो क्या अब विश्व में शांतिपूर्ण सहभास्त्रता की परिकल्पना को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है? ऐसे में एक सवाल यह भी है कि भारत विश्व व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए नियम तय करने में निर्णायक भूमिका निभाने में किस हद तक सफल हो पाएगा? बहुपक्षीय संस्थानों में भारत की मजबूत होती स्थिति

2019 के रायसीना डायलॉग में यह बात स्पष्ट कर दी गयी थी कि भारत गुटनिरपेक्षा के अंतीत से बाहर निकल चुका है। वह अपने हितों को देखते हुए दुनिया के दूसरे देशों के साथ रिस्ते बना रहा है और बहुपक्षीय संस्थाओं व गुटों में अपनी स्थिति मजबूत करने में सफल हो रहा है। दरअसल, स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की नींव देश के परिभाषित सिद्धांतों और मूल्यों के अनुरूप रखी गयी थी जिसका लक्ष्य भारत के हितों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना था। शीतयुद्ध काल में दो ध्रुवों में बंटी या सिमटी दुनिया ने भारत के सामने कुछ संकोचों और संशयों को प्रस्तुत किया था। इन्हें देखते हुए भारत ने गुटनिरपेक्षा का विकल्प

को बेहतर माना था। इसके बाद सही अर्थों में भारत की गुटनिरपेक्षा कूटनीति ही शीतयुद्ध काल की प्रतिनिधि ही रही। हालांकि शीतयुद्ध काल में गुटनिरपेक्षता शांतिपूर्ण सक्रियता के साथ आगे बढ़ी जिसके नाम कुछ खास उपलब्धियां भी रहीं हैं जिन्हें इतिहास कभी नहीं भुला सकता। सोवियत संघ के पतन और बर्लिन दीवार के टूटने के बाद द्विधुमीय (बाइपोलर) विश्वव्यवस्था समाप्त हो गयी और यूनीपोलर विश्व का उदय हुआ जिसका शक्ति केन्द्र अमेरिका बन गया। ऐसे में यह स्वाभाविक था कि भारत अपने परम्परागत मार्ग को बदले और नए परिवेश में नयी आवश्यकताओं के अनुरूप विदेश नीति की ठोस बुनियाद रखे। 1990 के दशक में भारत ने इस दिशा में बढ़ना शुरू भी किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहा राव ने परम्परागत विदेश नीति में आर्थिक कूटनीति का एक हिस्सा जोड़ा जिसे वैश्वीकरण के सापेक्ष आगे की दिशा तय करनी थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 'पोखरण-दो' के बाद शक्ति का नया तत्व भारतीय विदेश नीति के साथ जुड़ा। इसके बाद भारत नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा और दुनिया ने भारत को एक शक्ति केंद्र के रूप में देखने लिए विचार करना शुरू किया। आज 'पोखरण-2' के लगभग 22 वर्षों के बाद भारत एक प्रमुख एशियाई शक्ति और एक 'वैश्विक खिलाड़ी' के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।



सभ्यतागत नम्र शक्ति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सत्ता संभालते ही भारत की विदेश नीति में 'फारवर्ड ट्रैक', 'नेबरहुड फर्स्ट', 'एक्ट इस्ट' और 'इनफार्मल डिप्लोमैसी' जैसे आयाम जुड़े। उन्होंने बहुत से लोकाचारों से आगे निकलकर भारतीय विदेश नीति में मौजूद संकोचों और संशयों को खत्म किया और भारत की 'सभ्यतागत नम्र शक्ति (साप्ट पावर)' को कुट्टीति का हिस्सा बनाया। प्रधानमंत्री ने योग और अध्यात्म जैसी भारतीय विरासत से सम्पन्न सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के छोरों पर बसे भारतीयों के साथ संवेदनशील संपर्क स्थापित किया। इसके पीछे उनका दृष्टिकोण यह था कि भारत दूसरे देशों द्वारा निर्मित मूल्यों, नियमों और सरोकारों पर न चलकर अपने मूल्यों और सरोकारों पर आधारित नीतियों का निर्माण करे। सही अर्थों में यह भारत की आत्मनिर्भर विदेश नीति के लिए आवश्यक भी था।

भारतीय ऐतिहास के पत्रों सिमटी एक विशिष्ट व्याख्या को देखें जो यह बताती है कि भारत दक्षिण एशिया का जियो-पॉलिकिल न्यूक्लियस है। बिल्कुल पड़ोसी देश भारत को कमज़ोर या ताकतवर बनाने में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। इसके बाद सत्रिकट पड़ोसी आते हैं यानी खाड़ी और पूर्वी एशियाई देश, जो सही अर्थों में प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य हैं। इसलिए विदेश नीति में वरीयता का क्रम भी इसी अनुसार होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी विदेश नीति में इस विशिष्टता को विशेष महत्व दिया। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल की शुरूआत ही 'डिप्लोमैसी विद् नेबरहुड फर्स्ट' से की। इस नीति के तहत उन्होंने भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव को ही साथ लेकर चलने की कोशिश नहीं की बल्कि पाकिस्तान के साथ भी 'हार्ट-टू-हार्ट डिप्लोमैसी' के जरिए दुनिया के सामने मिसाल पेश की। यह अलग बात है कि पाकिस्तान भारत के साथ थोड़ी भी दूरी तय नहीं कर सका। परिणाम यह हुआ कि पुलवामा के पश्चात नियंत्रण रेखा के परे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 'सर्जिकल स्ट्राइक' करने के बाद पाकिस्तान के दुस्साहस का उत्तर दिया बल्कि दुनिया को भी यह संदेश भी दिया कि भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ भारत 'फिजिकल रेस्पांस' की रणनीति से परहेज नहीं करेगा। भारत के पड़ोसियों में पाकिस्तान के अतिरिक्त नेपाल कम्युनिस्ट सत्ता में चीनी प्रभाव के तहत भारत के प्रति ऐतिहासिक

सम्बंधों और भारतीय संवेदनाओं की लगातार अनदेखी कर रहा है लेकिन शेष पड़ोसियों के साथ सहकार आधारित सम्बंधों की इमारत पुख्ता हुयी है और भारत नेबरहुड पॉलिसी के तहत कनेक्टिविटी को सुधारने, धार्मिक-सांस्कृतिक सम्बंधों को पुनर्जीवित करने, विकास और मानवीय मदद के साथ आगे बढ़ने में सफल रहा है।

सार्वभौमिक भाईचारे की ओर

प्रधानमंत्री ने एक अवसर पर यह भी कहा था कि आज सिर्फ पड़ोसी वही नहीं हैं जिनसे हमारी भौगोलिक सीमाएं मिलती हैं बल्कि वो भी हैं जिनसे दिल मिलता है। यानि हम अब केवल इंडियन सबकांटिनेंटल ब्रदरहुड या साउथ एशियन ब्रदरहुड तक सीमित नहीं रहना चाहते बल्कि इन सीमाओं से परे जाकर एशियन ब्रदरहुड या उससे भी आगे यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी सार्वभौमिक भाईचारा तक रास्ता तय करना चाहते हैं। इस दृष्टि से सबसे पहले वे देश आते हैं जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में स्थित हैं इसके बाद मध्य-पूर्व के देश आते हैं। पूरब की ओर देखने पर ट्रांस-पैसिफिक क्षेत्र सबसे पहले नजर आता है जो अब इंडो-पैसिफिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है।

भारतीय-प्रशांत क्षेत्र

भारतीय-प्रशांत क्षेत्र न केवल वैश्विक सामरिक दृष्टि से संवेदनशील है बल्कि भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहां एक तरफ चीन अपनी आर्थिक शक्ति से निर्मित सैन्य शक्ति के बल पर एकाधिकारवादी व्यवस्था स्थापित करने रणनीति पर आगे बढ़ रहा वहीं अमेरिका अपने वर्चस्व को बनाए रखने की कोशिश में है। एक तीसरा प्लेयर रूस भी है जो 'पीकोट टू इस्ट' नीति पर आगे बढ़ना चाहता है। इस उद्देश्य से उसने कुछ समय पहले जापान को भी चार विवादित द्वीपों पर समझौता करने का प्रस्ताव दिया था। यद्यपि जापान ने रूस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था इसलिए अब उसकी नजर पूर्वी एशिया के छोटे देशों पर है। भारत इन स्थितियों को देखते हुए समावेशी व्यवहार पर ज़ोर दे रहा है। इसलिए भारत ने अमेरिका और जापान के साथ गठबंधन बनाने के साथ ही रूस और चीन के प्रति अपने परंपरागत सम्बंधों को बनाए रखने की कोशिश की है। उदाहरण के तौर पर एक तरफ भारत ने भारतीय-प्रशांत क्षेत्र में स्ट्रैटेजिक क्वाड्रीलैटरल (क्वैड) की



स्थापना में सक्रिय भूमिका निभायी तो दूसरी तरफ ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन में भी सहभागी बना। यह प्रधानमंत्री की रणनीति का ही परिणाम है कि भारत एक्ट ईस्ट के जरिए भारतीय-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और जापान के साथ स्ट्रैटेजिक डायनॉमिक्स निर्मित करने में सफल रहा है और दूसरी तरफ शंघाई सहयोग संगठन में भी स्थायी सदस्य बनकर यूरोपीय बाजार के लिए गेटवे हासिल कर चुका है।

भारतीय विदेश नीति के लिए शुरू से ही वाशिंगटन-बीजिंग-मॉस्को त्रिकोण बेहद अहम है। इस त्रिकोण में बदलते संतुलनों के साथ ही भारत को अपनी विदेश नीति की दिशा में भी तब्दीलियां करनी पड़ती रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस त्रिकोण की अनदेखी नहीं की बल्कि उहोंने इसे देखते हुए डायनॉमिक डिप्लोमैसी का चुनाव किया। मोदी-ट्रंप केमिस्ट्री से दोनों देशों के बीच जो बार्डिंग बनी उससे भारत के सामरिक उद्देश्यों की पूर्ति के साथ डिप्लोमैटिक एवं इकोनॉमिक डिवीडेंस भी हासिल हुए। भारत ने अमेरिका के साथ चारों फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स पर अक्टूबर 2020 तक हस्ताक्षर कर लिए और इस तरह से भारत अमेरिका का मंजर स्ट्रैटेजिक पार्टनर की हैसियत प्राप्त कर गया। लेकिन यह बात न ही बीजिंग को रास आ सकती है और न मॉस्को को। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत

ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए अपनी विदेश नीति में फॉरवर्ड, रिशेपिंग और रिबैलेंसिंग जैसी विशेषताओं को बराबर स्थान दिया। ध्यान रहे कि कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका द्वारा भारत सहित एशिया के कुछ देशों को ईरान के साथ व्यापारिक रिश्तों के कारण धमकी दी गयी थी। लेकिन भारत ने स्वतंत्र निर्णय लिया और ईरान के साथ व्यापार को जारी रखने के साथ-साथ 'चाबहार बंदगाह' में फूंच स्थापित की। अगर भारत-ईरान सम्बंधों में कोई बड़ा झटका नहीं आता है तो भारत इसके जरिए इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जुड़कर यूरेशिया तक अपनी आर्थिक गतिविधि का विस्तार कर सकता है। आईटीआर (इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन रेयुलेशन) कन्वेंशन पर हस्ताक्षर और अशांति करार के लिए मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट पर सहमति इसी दिशा में महत्वपूर्ण कड़ियां हैं।

भारतीय विदेश नीति के केंद्रित बिंदुओं में एक चीन भी है। कारण यह कि चीन

योजना, जनवरी 2021

भारतीय उपमहाद्वीप में निरंतर 'पॉलिसी ऑफ एक्सपैशनिस्ट थ्रॉकाउटिंग इंडियाज पावर एक प्लेइंग न्यू साफ्ट पावर वार गेम्स' के माध्यम से भारत के समक्ष चुनौतियां पेश कर रहा है। उसकी सफलता के कुछ कारण भी हैं। पहला- ट्रांस पेसिफिक क्षेत्र में चीन की अर्थव्यवस्था के कारण बढ़ती सैन्य शक्ति से संभव हुआ वर्चस्व। चीन की चेकबुक डिप्लोमैसी ने इस क्षेत्र के छोटे देशों को करीब करीब अपना उपनिवेश बना रखा है जिसके चलते वह अपनी मैरिटाइम स्ट्रैटेजी और डिफेंस ब्रिज स्ट्रैटेजी को काफी मजबूती प्रदान कर चुका है। दूसरा- इंडियन ओसियन में ग्रैंड मैरिटाइम पॉलिसी के तहत स्ट्रैटिंग ऑफ पलर्स नीति तथा बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव को भारतीय उपमहाद्वीप में व्यवहारिक स्थिति प्रदान करने के लिए काशगर से ग्वादर तक चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की निर्माण सम्बंधी पहल और मलक्का से जिवूती तक न्यू मैरिटाइम सिल्क रूट के ग्रेट डिवाइड में कामयाबी। हालांकि मोदी-जिनपिंग व्यक्तिगत मैत्री बहुत से मायनों में एक ऊंचाई तक पहुंची थी जिसके प्रमाण के तौर पर प्रधानमंत्री की वुहान इनफार्मल विजिट और शी जिनपिंग की अहमदाबाद या मामल्लपुरम दौरे को देखा जा सकता है लेकिन डोकलाम और गलवान में चीनी सैन्य गतिविधियों ने 1962 के बाद संभवतः सबसे गंभीर परिस्थितियों का निर्माण किया है। इस समय दोनों देशों के बीच तनाव इतिहास के सबसे जटिल एवं कठिन दौर को प्रदर्शित करता हुआ दिख रहा है और फिलहाल अभी चीन से किसी सकारात्मक पहल की उम्मीद भी नहीं दिखायी दे रही। इस स्थिति में भारत को अमेरिका के साथ-साथ रूस और यूरोप की ओर कुछ नए कदम बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है।

लेकिन क्या यूरोप से अभी कोई विशेष उम्मीद की जा सकती है? इतिहास के लम्बे कालखंड में एक बड़ी ताकत रहा यूरोप इस समय सर्वाधिक संक्रमण और आंतरिक विसंगतियों का शिकार दिखायी दे रहा है। न केवल ब्रेकिंग के चलते बल्कि रिफ्यूजी प्रॉब्लम, इकोनॉमिक इंबैलेंस, आदर्शवाद बनाम राष्ट्रवाद के टकराव और इस्लामी आतंकवाद की बढ़ती चुनौतियों के साथ वह ऐसे जाल में फंसा हुआ दिख रहा है जिससे निकलना अभी तो मुश्किल लग रहा है। यूरोप में 'मरकोजी इफेक्ट' (एंजेला मर्केल एवं सरकोजी की इकोनॉमिक ध्योरी) के बाद जो स्थितियां निर्मित हुयी हैं उसमें फ्रांस और जर्मनी की बॉण्डिंग कमज़ोर हुयी और यूरोपीय संघ में लीकेज नजर आने लगी। ब्रेकिंग ने यह बता दिया कि अब यूरोपीय यूनियन आप्टिमम यूनिटी का प्रतिरूप नहीं रह गयी। इससे भी आगे बढ़कर अब यह संदेश भी जा रहा है कि 1990 के दशक के 'वैश्वीकरण' और 'उदारीकरण' जैसे जिन भारी-भरकम शब्दों ने न केवल अर्थव्यवस्था को बल्कि सम्पूर्ण जीवनशैली को प्रभावित किया था वे अब धीरे-धीरे निषेधात्मक (टैक्सॉनिक) श्रेणी की

ओर खिसक रहे हैं और उनका स्थान लेने के लिए प्रोटेक्शनिज्म' (संरक्षणवाद), नेशनलिज्म अथवा 'एग्रेसिव नेशनलिज्म (आक्रामक राष्ट्रवाद) और 'पोस्ट टुथ' जैसे शब्द फिर से तैयार हो रहे हैं। 'ब्रेंकिट' इसी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में यूरोपीय देशों के साथ सम्बंधों को नए सिरे से परिभाषित करने की भी जरूरत होगी।

जहां तक ब्रिटेन का सवाल है तो संभावना यही है कि 'टू ग्रेट नेशन्स, वन ग्लोरियस फ्यूचर' के निर्माण की प्रक्रिया यथावत जारी रहेगी। इसी प्रकार से फ्रांस के साथ रेसीप्रोसिटी (अन्योन्याश्रिता) आधारित सम्बंधों को बढ़ावा दिया। फ्रांस से राफेल ने भारतीय वायु शक्ति को एक नई दिशा दी और दोनों देशों के बीच सम्पन्न होने वाली नेवल एक्स्प्रेसाइज 'वरुण' ने इंडो-पैसिफिक में भारतीय शक्ति की स्थापना को मजबूती दी। जिबूती के पास (जहां चीन अपना नया मिलिट्री बेस बना रहा है) सैन्य अभ्यास आयोजित कर दोनों देश यह दिखा रहे हैं कि वे हिंद महासागर में रणनीतिक साझेदारी के प्रति काफी गंभीर हैं। जर्मनी एवं नार्डिक देश भारत में संभावनाएं देख रहे थे लेकिन कोविड महामारी ने उस पर विराम लगा दिया। कुल मिलाकर पिछले छह वर्षों में भारत और ईरू के बीच आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने की पहल हुई है लेकिन चुनौती इस गति को बनाए रखने का लेकर है।

अब मध्य-पूर्व को देखें, जो हमेशा से भू-राजनीतिक सक्रियता का केन्द्र रहा है लेकिन हाल के दो दशकों में यह क्षेत्र अधिक जटिल और अधिक हिंसक हुआ है। भारत ने पिछले छह वर्षों में इस क्षेत्र के साथ व्यापक भागीदारी वाले रिश्ते कायम करने में सफलता अर्जित की है। भारत की व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा होरमुज जलसंधि और बाव-एल-मंडेब खाड़ी की सुरक्षा से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। भारतीय नौसेना ने कई खाड़ी देशों के साथ नौसैनिक अभ्यासों में हिस्सा लिया है, जिनमें कुवैत, यमन, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, यूएई तथा जिबूती प्रमुख हैं। इस दौर में भारत-सऊदी अरब रिश्ते काफी ऊंचाई पर पहुंचे जिसमें प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत कूटनीति की अहम भूमिका रही। सऊदी अरब और बहरीन द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से विभूषित करने को इसके प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। चूंकि सऊदी अरब केवल 'होम ऑफ इस्लाम' और 'अरब-इस्लामी दुनिया' का नेता मात्र नहीं है बल्कि यहां पर लगभग 20 लाख भारतीय भी रहते हैं, जिसमें से बहुत से भारतीय बेहतर पोजीशन पर हैं।

पहले इस क्षेत्र में भारत के रिश्ते प्रवासी श्रमिक और कच्चे तेल जैसे मुश्किल मुद्दों तक सीमित थे लेकिन अब हमने इन बाधाओं को पार कर लिया है। दरअसल, इस क्षेत्र के देश यह जानते हैं कि भारत किसी पर भी दबदबा नहीं बनाना चाहता। वह सबसे बारबारी का रिश्ता रखना चाहता है इसलिए वह पश्चिम एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय रिश्तों की बेहतरी की पहल कर रहा है।

भारत की विदेश नीति में अफ्रीकी महादेश का केन्द्र में आना महत्वपूर्ण है। भारत लम्बे समय तक एफ्रो-एशियन ब्रदरहुड की नीति पर चलता रहा है और अभी ब्रिक्स व इब्सा के अतिरिक्त अफ्रीकी संघ के साथ भारत के अच्छे सम्बंध हैं। लेकिन अभी भारत को ऐसे उपायों को अपनाने की जरूरत है जिससे भारत और

अफ्रीकी देशों की साझेदारी सारी संभावित क्षमताओं का फायदा उठा सके। इस दृष्टि से समुद्री देशों के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी की कूटनीति बेहद निर्णायक रही, विशेषकर सेशेल्स के साथ। ध्यान रहे कि सेशेल्स के राष्ट्रपति डैनी फोरेकी भारत यात्रा के दौरान एसम्पशन द्वीप पर भारत को नौसैनिक अड्डे के निर्माण के लिए पुनः स्वीकृति दे दी थी। भारत के लिए यह एक सामान्य सफलता का पर्याय नहीं माना जा सकता क्योंकि चीन यहां पर हस्तक्षेपवादी भूमिका में है और वह कदापि नहीं चाहता कि भारत यहां मजबूत स्थिति में रहे। संभव है कि सेशेल्स-चाबहार चीन के ग्वादर-जिबूती कनेक्ट के एक विकल्प के रूप में भी उभरे और भारत ब्लू वॉटर डिप्लोमैसी में सफल हो।

विदेश नीति का अध्ययन करते समय यह विषय बेहद महत्वपूर्ण है कि ग्लोबल मल्टीलैटरल आर्डर में भारत कहां पर है। गौर से देखें तो वर्ष 2014 से लेकर 2020 के बीच भारत ने चीन के विरोध के कारण न्यूकिलियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) में प्रवेश भले ही न पाया हो लेकिन मिसाइल टैक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम (एमटीसीआर) क्लब में भारत चीन से पहले जगह पाने में सफल हो गया। एमटीसीआर में भारत की सदस्यता किसी भी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में भारत का पहला प्रवेश था जिसके पश्चात भारत उच्चस्तरीय मिसाइल प्रौद्योगिकी की खरीद करने में सक्षम होगा और रूस के साथ इसके संयुक्त उपक्रम को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि भारत का असैन्य परमाणु करार अमेरिका के साथ है इसलिए वह एनएसजी, एमटीसीआर, ऑस्ट्रेलिया समूह और वासेनार अंरेंजमेंट जैसे निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में शामिल होने का प्रयास कर रहा है। ये समूह पारंपरिक, परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियारों और प्रौद्योगिकी का नियमन करते हैं। 2017 के पेरिस समझौते से अमेरिका के पीछे हटने के बाद भारत इस मामले में दूसरे विकासशील देशों के लिए मिसाल बनकर उभरा है। भारत उनके सामने विकास संबंधी जरूरतों के साथ पर्यावरण नीतियों के संतुलन का मानक पेश कर रहा है। इस दिशा में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (इंटरनेशनल सोलर एलायंस- आईएसए) बेहद महत्वपूर्ण है जिसकी शुरूआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर नवम्बर 2015 में की गई। इस एलायंस का उद्देश्य सौर ऊर्जा के तीव्र प्रसार के जरिए पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने में योगदान देना है। यह पहला समझौता आधारित अंतरराष्ट्रीय अंतरसरकारी संगठन है जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से कर्क और मकर ऊष्णकटिबंधों के बीच स्थित है। गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा, भारत में है।


कुल मिलाकार पिछले छह वर्षों में भारतीय विदेश नीति की परम्परागत रूद्धिवादी तत्व निष्प्रभावी हुए हैं और विदेश मामलों में व्यावहारिक पहल पर जोर बढ़ा है। आज विश्व व्यवस्था में जिस तेजी से बदलाव हो रहे हैं, उसमें भारत का स्ट्रक्चरल, इंटीट्यूशनल और विचारों के स्तर पर बहुत से सवालों को तलाशना होगा ताकि भावी चुनौतियों से निपटने की रणनीति पहले ही तैयार की जा सके। भारत को यह बताना होगा कि वह विश्व शक्ति बनने की प्रक्रिया में है और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की प्राथमिकताओं को परिभाषित करनी योग्यता रखता है। ■

संसद के नए भवन का शिलान्यास

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर, 2020 को संसद के नए भवन का शिलान्यास किया। संसद की नई इमारत 'आत्म निर्भर भारत' अभियान का हिस्सा है। आजादी के बाद जनता की संसद के निर्माण का यह पहला ऐतिहासिक अवसर होगा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर यानि 2022 में संसद की यह नई इमारत 'नए भारत' की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करेगी। संसद की नई इमारत अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होने के साथ-साथ ऊर्जा की खपत को भी कम करेगी। साथ ही, त्रिकोण के आकार वाली इस इमारत में सुरक्षा से जुड़ी तमाम सुविधाएं मौजूद होंगी। यह इमारत मौजूदा संसद भवन के पास में ही है। नई इमारत में लोकसभा का आकार मौजूदा आकार से तीन गुना ज्यादा होगा, जबकि राज्य सभा में भी सांसदों के बैठने की जगह मौजूदा क्षेत्रफल के मुकाबले काफी ज्यादा होगी। नई इमारत में भारतीय संस्कृति के विविध रंग देखने को मिलेंगे। इसमें अलग-अलग क्षेत्रों की कला, हस्तकला, वस्त्र और स्थापत्य कला की झलक देखने को मिलेंगी। इस इमारत के ढांचे में शानदार गैलरी के लिए प्रावधान किया गया है, जहां आम लोगों की पहुंच होगी।

संसद की नई इमारत के निर्माण में हरित तकनीक वाले संसाधन का इस्तेमाल किया जाएगा और इस तरह पर्यावरण के अनुकूल तौर-तरीकों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, इससे रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे। नए संसद भवन का निर्माण आर्थिक बेहतरी में भी योगदान करेगा। इस भवन में ध्वनि के बेहतर इंतजाम के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली ऑडियो-विजुअल सुविधाएं, ज्यादा लोगों के लिए बैठने की आरामदेह व्यवस्था के साथ-साथ आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने के लिए भी इंतजाम किए जाएंगे। इस इमारत में उच्च ढांचागत सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा। उदाहरण के लिए, सेसमिक जोन 5 की शर्तों का पूरा करना और ऐसा डिजाइन तैयार करना, ताकि इमारत की देखभाल और रखरखाव में सहूलियत हो।

नए संसद भवन के शिलान्यास के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर की तरह है, जो भारतीयता के विचार से ओतप्रोत है। उनका कहना था कि भारत में संसद भवन के निर्माण की शुरुआत हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं का एक अहम पड़ाव है। उन्होंने कहा कि हम भारत के लोग मिलकर इस संसद को बनाएंगे। उनका कहना था कि



- नया संसद भवन और मौजूदा संसद भवन मिलकर समूह के तौर पर काम करेंगे।
- इससे संसद का कामकाज और बेहतर तरीके से संपन्न हो सकेगा।
- मौजूदा संसद भवन, नया संसद भवन, संसद की लाइब्रेरी, उपभवन और सांसदों का चैंबर, ये सभी विधायिका (लेजिस्लेटिव) एनक्लेव में होंगे। ये भारतीय लोकतंत्र के चार आधुनिक कोलेजियम होंगे।



यह बेहद सुंदर बात है कि हमारी संसद का नया भवन ऐसे वक्त में तैयार हो रहा है, जब भारत अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने में जुटा है। ■

बच्चों की सोच का दायरा बढ़ाना जरूरी

- रंजीत सिंह डिसले

महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आदिवासियों तथा बालिकाओं के बीच शिक्षा प्रसार के लिए रंजीत सिंह डिसले को दिसंबर 2020 में सात करोड़ रुपये (एक मिलियन डॉलर्स) के ग्लोबल टीचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। योजना अंग्रेजी की संपादक शुचिता चतुर्वेदी ने श्री रंजीत सिंह डिसले से शिक्षा क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों और अन्य विषयों पर बातचीत की।

प्रश्न : अपने बचपन के बारे में बताएं। शिक्षा को लेकर आप क्या सोचते थे और परिवार का कैसा सहयोग रहा?

रंजीत सिंह : मेरे लिए परिस्थितियां बहुत सामान्य सी थीं, कक्षा में इतनी सारी भूमिकाओं में होना... कोई बौद्धिक छात्र जैसी बात नहीं थी। मेरा भाई पढ़ाई-लिखाई में काफी तेज था, दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं में अव्वल रहा था। वह सचमुच होनहार था, परंतु मेरा रुझान हमेशा कम्प्यूटर की ओर था, बचपन से ही। मैं शिक्षा प्राप्ति के पारंपरिक तरीके से नहीं जुड़ा था, कक्षा में बैठना और बोरिंग लैक्चर्स सुनना। इस कारण कई बार मुझे मेरी महिला अध्यापक कक्षा से यह कहकर निकाल भी देती थीं कि रंजीत पढ़ाई में ध्यान नहीं देता...

प्रश्न : मूल्य शिक्षा प्रदान करने में क्या आपको उस समय और आज के बीच अंतर महसूस होता था?

रंजीत सिंह : लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि मैं डॉ. विजय भट्टकर से मिला... भारत के कम्प्यूटर वैज्ञानिक। वह हमारे स्कूल के सालाना समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर निर्मित थे। उस समय मैंने अंडाकार कम्प्यूटर स्क्रीन डिजाइन की थी। उन्होंने वह देखी और बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि रंजीत तुम्हें इस डिजाइन का पेटेंट कराना चाहिए। वह मेरे लिए प्रेरणा का समय था। उस समय मैंने कम्प्यूटर क्षेत्र में समाज के लिए काम करने का फैसला किया था। बचपन में जो टीचर मेरे लिए कहते थे कि रंजीत पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, उन्हें मेरी बेहतरी की चिंता थी। वह मेरे भाई को देखते थे कि वह अच्छा विद्यार्थी है, होनहार है, परंतु मैं औसत छात्र हूं। इसलिए वह मेरे लिए चिंतित रहते थे। मैंने पांचवीं कक्षा से कम्प्यूटर साइंस का चुनाव किया, हालांकि, वह ऐच्छिक विषय था और हमें उसके लिए अतिरिक्त फीस देनी पड़ती थी, लेकिन मैं अपने अभिभावकों को लगातार कहता कि मुझे कम्प्यूटर सीखना है, हालांकि, उस समय वह बहुत नया विषय था। उस समय विंडोज 95 या डॉस वर्ज़न ही था, परंतु फिर भी मैं कम्प्यूटर साइंस सीखना चाहता था।



प्रश्न : क्या आपको लगता है कि ऐसी धारणा बन चुकी है कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद काम समाप्त हो जाता है। परंतु ऐसा उन लोगों के लिए नहीं है जो सचमुच समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। और आपके मामले में साफ दिखता है कि सफर वहां से आरंभ होता है। तो हमें बताएं कि ऐसा कैसे हुआ, एक सरकारी टीचर बनने के बाद शिक्षा क्षेत्र के रूपांतरण पर काम करने का?

रंजीत सिंह : आपका कहना ठीक है। सरकारी नौकरी के बाद वेतन आदि की सुनिश्चितता होने के बाद ऐसा लगता है कि अब सब ठीक है। परंतु एक टीचर को प्रतिदिन छात्रों के साथ काम करना होता है। वह छात्र जो देश का भविष्य होते हैं और अपने आप में बहुत नई सोच रखने वाले और ऊर्जा से भरपूर होते हैं। इसलिए आपको भी उनके साथ पूरी ऊर्जा से ही जुड़ना पड़ता है। जब मैंने काम शुरू किया था, 5 जनवरी 2009 को, पहले दिन से ही परिस्थितियां बहुत हिला देने वाली थीं क्योंकि मेरा क्लासरूम पहले एक गाय के बाड़े में होता था। चारों ओर गायें, भैंसें और बकरियां थीं। मैं यह देख सदमे में था कि भारत में आज भी ऐसे स्कूल हैं! मैं घर गया तो देर तक सोचता रहा, स्कूलों की हालत

पर, शिक्षा के प्रति अभिभावकों की उदासीनता पर, मैं इस सच को आत्मसात नहीं कर पा रहा था। इसके बाद मुझे वहां जाने में छह महीने लग गए। मेरी जगह जो टीचर था वह ताकतवर राजनेता था और मेरा स्थान वापस नहीं देना चाहता था, इसलिए मुझे उससे लड़ कर अपनी कक्षा वापस लेनी पड़ी।

उन छह महीनों में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यदि शिक्षा के प्रति अभिभावकों का दृष्टिकोण किसी तरह बदलता है, वहीं से शुरुआत हो सकती है। इसलिए मैंने क्षेत्र का दौरा किया। लोगों के आर्थिक स्तर, शैक्षिक स्तर, जनसंख्या से जुड़ा डेटा इकट्ठा किया और उसका आकलन किया। मैंने पाया कि उन गांवों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक पढ़ी-लिखी थीं, यह सचमुच रोचक खोज थी मेरे लिए। तो मैंने स्कूली शिक्षा में महिलाओं की मौजूदगी और उनके सशक्तीकरण पर अधिक जोर दिया। इसलिए मैंने कम्युनिटी एंटरप्राइज की शुरुआत की। मैंने अपने घर से यहां आ गया और किराए पर एक कमरा लेकर रहने लगा। मैं उनके सामुदायिक कार्यक्रमों में शिरकत करने लगा... अभिभावकों पर उनकी कन्याओं को वहां भेजने के लिए जोर नहीं डाला जाता था, केवल उनके साथ मेल-मिलाप और यह बताना कि शिक्षा कैसे परिवर्तन लाती है। यदि आप शिक्षित हैं तो किस तरह के मौके आपको मिल सकते हैं, आप कैसी दुनिया देख सकते हैं! इसलिए यह सब प्रयास मेरे लिए मददगार साबित हुए।

उन्हें महसूस होने लगा कि यह व्यक्ति कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा काम जो मैंने किया वह यह कि कक्षा में बच्चों को लगातार आने के लिए प्रेरित करना। क्योंकि पहले केवल दो या तीन प्रतिशत बच्चे ही कक्षाओं में आते थे और बाकी खेत-खलिहानों में माता-पिता की मदद करते थे। इसलिए मैंने उनके पास जाना शुरू किया, उन्हें रोज घर से स्कूल आने लगा। यह प्रक्रिया करीब छह-सात महीने तक चली। मेरा आधा समय उन्हें घर से स्कूल लाने में बीतता था। उसके बाद मैंने क्लासरूम


में कुछ नया करने की सोची। चूंकि मेरी तनख्वाह सिर्फ तीन हजार रुपये थी, इसलिए मैं लैपटॉप नहीं खरीद सकता था, इसलिए मैंने अपने पिताजी से मदद मांगी। वह राजी हुए और मुझे लैपटॉप ले दिया। मैं विद्यार्थियों से पूछता था कि वह लैपटॉप पर क्या देखना चाहते हैं, वह किसी फिल्म या गीत का नाम बताते तो उन्हें वह दिखाया जाता। मैं बाद में अपने सहकर्मियों से इस संबंध में बात करता था कि आज हमने यह फिल्म देखी, कल वह देखेंगे। यह केवल विद्यार्थियों को साथ जोड़ने का प्रयास मात्र था। वह केवल मनोरंजन से जुड़ा पक्ष था, शिक्षा का नहीं। उसके कुछ समय बाद मैंने एंटरटेनमेंट को एजुकेशन से जोड़ कर 'एजुटेनमेंट' से जुड़ा प्रयास शुरू किया। यानी गेम्स और ऐसी ही अन्य कुछ चीजें, जिनकी मदद से वह कुछ सीख भी सकें। हमने कुछ छोटे-छोटे वीडियो बनाने शुरू किए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मराठी में यूट्यूब वीडियो जिनमें वह वॉयसऑवर का काम करते। तो यह आरंभिक कदम थे जिन्हें मैंने गांव के स्कूल में शैक्षिक कार्यशाली में बदलाव करने के लिए आरंभ किया था।

प्रश्न : गांव के शैक्षिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने का यह अद्भुत प्रयास आपने किया। दुनिया भर में ऐसे अध्यापक हैं जो अपनी सीमाओं के अंतर्गत समाज में ऐसे ही सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सबने सुना कि कैसे आपने पुरस्कार-राशि भी अन्य प्रतियोगियों के साथ बांटने का निर्णय लिया। क्या समाज के सबसे निचले स्तर के अनुभवों को दुनिया के अन्य अध्यापकों के साथ साझा करने का भी आपका विचार है जिससे यह यात्रा आगे चल सके?

रंजीत सिंह : जी, इसीलिए मैंने पुरस्कार की राशि बांटने का निर्णय किया। उस राशि से वह अपने नवीन प्रयास जारी रख सकेंगे और यदि दूर-दराज के बच्चों के पास कोई नए विचार हैं तो मैं उन्हें अपनी कक्षा से परिचित करा सकूँगा। यह विकास करने के साझे

प्रयास की तरह होगा। हमारे पास ऐसे टीचरों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है और अब मैं उनके बीच परस्पर विमर्श के विषय में सोच रहा हूँ। ऐसा एक प्रोजेक्ट 'लैट्स क्रॉस द बॉर्डर' है जिसमें भारतीय और पाकिस्तानी विद्यार्थी आपस में मिलें, इराक और ईरान तथा अन्य देशों के बच्चे भी हों। यह अनुभव मुझे बतौर टीचर और इंसान विकसित होने में भी मदद देगा। इससे हमारे बच्चों की सोच-समझ का दायरा भी विस्तृत होगा, वह केवल अपने गांव या शहर से आगे सोचना आरंभ करेंगे। आखिर हम वैश्विक नागरिक हैं और यदि वैश्विक नागरिक की





भूमिका में रहना है तो जानना होगा कि अन्य स्थानों के लोग कैसे सोचते हैं, उनका व्यवहार कैसा है। तो मेरा मानना है कि यह गठबंधन मुझे और शिक्षा जगत के लिए बहुत लाभकारी रहेगा।

प्रश्न : क्यूआर कोड और पाठ्यपुस्तकें बेहद बुनियादी विचार था जो सचमुच व्यापक परिवर्तन लेकर आया। आपने यह शुरुआत कैसे की और एनसीईआरटी ने इसे पाठ्यक्रम में शामिल करने से जुड़ी नीति कैसे बनाई?

रंजीत सिंह : जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने छात्रों को सर्वप्रथम कम्प्यूटर से जोड़ा। मैं प्रत्येक सप्ताह के अंत में मैं जो भी डिजिटल कंटेंट तैयार करता था, उसे अपने कम्प्यूटर से छात्रों के मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर देता था। हालांकि, कुछ दिक्कतें भी थीं, जैसे कई बार फाइलें करपट हो जाती थीं, या उनके हैंडसेट्स के अनुरूप नहीं होती थीं। फिर ऐसे छात्र भी थे जो स्कूल नहीं आते थे, वह दूर रहते थे और मैं भी रोज उनसे संपर्क नहीं कर सकता था। उनके साथी कक्षा में जो पढ़ते थे, उनकी उस तक पहुंच कैसे हो, इस पर सोचना भी जरूरी था। किताबें उनको दी जा सकती थीं, परंतु उन्हें समझाने वाले की भी जरूरत होती थी। मैं एक बार एक दुकान में गया जिसका दुकानदार उत्पाद पर लगे क्यूआर कोड पर स्कैनर चलाता और उसकी कीमत डिस्प्ले हो जाती थी। मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे होता है! इसके बाद मैंने गूगल पर खोज शुरू की। सबसे पहले मुझे मालूम नहीं था कि मुझे क्या खोजना है, फिर मैंने इमेज के सहारे खोज की। क्यूआर कोड के बारे में जाना, कि उसमें डेटा कैसे जोड़ा जाता है। मुझे अहसास हुआ कि हम भी यह कर सकते हैं। पहले मैंने कक्षा चार के अपने छात्रों के लिए सताइस क्यूआर कोड तैयार किए। उसमें पहले अभिभावकों के लिए निर्देश थे, जो सबसे पहले आते थे। उसके बाद बच्चों की मोबाइल डिवाइसों पर उनके लिए कंटेंट दिखता था। मैं क्लास में वीडियो तैयार करता था, जिसे अपलोड किया जाता और उसे वह क्यूआर कोड से एक्सेस करते थे। यह प्रयास एक वर्ष तक चला, जिसके बाद उनकी सीखने

की क्षमता का आकलन करने के बाद मैंने अपनी राज्य सरकार से संपर्क किया क्योंकि वह पाठ्यपुस्तकों प्रकाशित करती है। मैंने कहा कि प्रयास आरंभ किया गया है जिसके बहुत अच्छे नतीजे आए हैं, इसलिए आप पुस्तकों में क्यूआर कोड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते?

उसके बाद पायलेट परियोजना के तहत छह पुस्तकों में यह पहल की गई, और फिर उसके नतीजों का आकलन करने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने क्यूआर कोड को किताबों में शामिल किया। फिर महाराष्ट्र सरकार ने एनसीईआरटी को सलाह दी कि यह अद्भुत विचार है जिसके नतीजे बहुत अच्छे रहे हैं और यह एनसीईआरटी के लिए भी लाभदायक रहेगा। श्री प्रकाश जावड़ेकर उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री थे और वह महाराष्ट्र से ही हैं। इस तरह आपसी समझबूझ के आधार पर यह कदम उठाया गया और बाद में एनसीईआरटी ने अपनी पुस्तकों में क्यूआर कोड को शामिल किया।

प्रश्न : क्या आप ऐसे कुछ नवीन अनुभव साझा करना चाहेंगे जो आपके जैसे शिक्षकों को देश भर में लाभ पहुंचा सकें, विशेषकर महामारी के दिनों में जबकि निम्न वर्ग के बच्चों को समानता की आवश्यकता है।

रंजीत सिंह : महामारी के समय में मूल्य आधारित शिक्षा तक पहुंच बनाए रखने का प्रश्न है। यदि आपके पास मोबाइल डिवाइस हैं तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं, यदि नहीं, तो आप उस दायरे से बाहर हैं। देश के दूर-दराज के इलाकों में तकनीकी पहुंच की कमी के कारण यह परिदृश्य दिखता है। दूसरी चीज, डिजिटल कंटेंट से जुड़ी है। अभी हम डिजिटल कंटेंट की ओर जाने की दिशा में शुरू ही हुए हैं और यह अभी प्रारंभिक चरण में है। यदि वीडियो देखकर विद्यार्थी कुछ समझता है, फिर भी उसके पास संसाधनों की कमी है, जो उसे रोकती है। घर पर उसे सुविधाएं चाहिए।

प्रश्न : बेशक, जिन बच्चों के पास घरों में वैसी सुविधाएं हैं, उन्हें भी ऑनलाइन क्लासों के बावजूद दोतरफा संवाद प्राप्त नहीं हो रहा है।

रंजीत सिंह : यह अच्छा सवाल है। परंतु सच यह है कि अध्यापक इस संबंध में प्रशिक्षित नहीं हैं। उन्हें छात्रों के सामने पढ़ाने का प्रशिक्षण मिलता है। महामारी के कारण उन्हें ऑनलाइन टीचिंग में आना पड़ा है, और वह अपने पुराने तरीके से ही पढ़ा रहे हैं, जिस कारण छात्रों को वह कभी दिखती है। ऑनलाइन अध्यापन, फेस-टू-फेस टीचिंग से पूरी तरह भिन्न है। मैं इस दिशा में 2016 से काम कर रहा हूं और जानता हूं कि छात्रों को आधे घंटे की क्लास में बच्चुली कैसे साथ रखना है। अन्य अध्यापकों को इसका ज्ञान अक्सर नहीं होता। वह कैमरा शुरू करके ब्लैकबोर्ड पर लिखना शुरू कर देते हैं। मैं यहां उनको दोष नहीं दे रहा हूं क्योंकि उन्हें वैसा क्रियापद्धति नहीं मिला...

प्रश्न : फिर भी वह शिक्षा देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, इस पर क्या सोचना है आपका?

रंजीत सिंह : जी बिल्कुल। यह हमारे नीति निर्माताओं के लिए एक चुनौती है कि यदि 2020 के बाद भी यह परिस्थितियां जारी रहती हैं तो हमारी प्रतिक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए, वह आज से बेहतर हो। इसलिए हमें अध्यापकों को प्रशिक्षित करना होगा ताकि वह ऑनलाइन टीचिंग के मुफीद हो सकें।

प्रश्न : आपने नीति निर्माण की बात की। नई शिक्षा नीति पर आपकी क्या राय है। इसमें प्रादेशिक भाषाओं पर फोकस किया गया है। तो बच्चों के लिए आने वाले दस वर्षों परिस्थितियां कैसे बेहतर हो सकती हैं?

रंजीत सिंह : मेरी राय में नई शिक्षा नीति देश में शिक्षा क्षेत्र में आमूल परिवर्तन लाएगी। कई वर्ष बीत चुके हैं और हम पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं। नई नीति विद्यार्थी केंद्रीय नीति पर ध्यान दे रही है। और विद्यार्थियों के संबंध में अध्यापकों की सोच-समझ पर भी ध्यान दे रही है। एक तरह से कहा जा सकता है कि विद्यार्थी इक्कीसवीं सदी के हैं जबकि अध्यापक बीसवीं सदी के। उनका प्रशिक्षण, उनका पाठ्यक्रम, उनकी तकनीक पुरानी है। तो यह शिक्षा नीति शिक्षा का परिदृश्य बदलेगी, सशक्तिकरण का काम भी करेगी। इसमें कट्टीन्युअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे फीचर्स भी हैं, जो मेरे जैसे अध्यापकों को नया ज्ञान, नया तौर-तरीका सीखने में मदद करेगी।

प्रश्न : प्रकाशन विभाग के पास योजना, कुरुक्षेत्र, बाल भारती और रोजगार समाचार जैसे प्रकाशन हैं। तेरह भाषाओं में जिनका प्रकाशन होता है और उन्हें बच्चे और युवा एक सा प्रसंद करते हैं। बच्चों और युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?

रंजीत सिंह : मेरी राय में बच्चों को अपने मन की आवाज सुननी चाहिए। उन्हें माता-पिता या साथियों के दबाव में नहीं आना चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं, उसे समझें, जाने और उस पर कायम रहें। अपनी रुचि के क्षेत्र में ही सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करें। अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने, आईएएस बनें परंतु कोई भी बच्चे की आवाज सुनने को तैयार नहीं। इसलिए मेरी क्लास में बच्चों की आवाज सुनी जाती है। विद्यार्थियों और युवाओं को अपनी अंदर की आवाज सुननी चाहिए। ■

कृपया ध्यान दें

पत्रिकाओं की सदस्यता के संबंध में नोटिस

कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थितियों के कारण साधारण डाक से भेजी गई हमारी पत्रिकाओं की डिलिवरी न हो पाने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। हमारे माननीय उपभोक्ताओं को योजना, कुरुक्षेत्र, बाल भारती और आजकल पत्रिका की समय पर डिलिवरी सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि नए उपभोक्ताओं को साधारण डाक से पत्रिकाओं का प्रेषण तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। यह केवल नए उपभोक्ताओं के लिए लागू होगा तथा मौजूदा उपभोक्ताओं को उनकी सदस्यता दरों के अनुसार पत्रिकाएं भेजी जाती रहेंगी।

हमारी पत्रिकाओं के लिए नई सदस्यता दरों जिनमें रजिस्टर्ड डाक से पत्रिका भेजने का शुल्क भी शामिल है, निम्नलिखित हैं-

सदस्यता प्लान	योजना, कुरुक्षेत्र तथा आजकल (सभी भाषाएं)	बाल भारती
1 वर्ष	रु. 434	रु. 364
2 वर्ष	रु. 838	रु. 708
3 वर्ष	रु. 1222	रु. 1032

वर्तमान परिस्थितियों में यह एक अस्थायी व्यवस्था है क्योंकि डाक विभाग साधारण डाक के वितरण में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। अतः जैसे ही देश में सामान्य स्थितियां बहाल हो जाएंगी पत्रिकाओं को पुनः साधारण डाक से भेजना आरंभ कर दिया जाएगा।

पेरिस समझौता

पेरिस समझौता क्या है?

पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन के बारे में कानून बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय सधि है। 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में इसे सीओपी-21 (संबद्ध पक्षों की 21वीं बैठक - कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़-21) में 196 पक्षकारों ने पारित किया और 4 नवंबर 2016 से यह लागू हो गई। इसका लक्ष्य वैश्विक ऊष्मा (ग्लोबल वार्मिंग) के स्तर में, पूर्व-औद्योगिक स्तर की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे, बल्कि हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी लानी है। तापमान कम करने के लिए, सम्बद्ध देशों को जल्दी से जल्दी अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के स्तर की तय सीमाओं पर अमल करना होगा ताकि 21वीं सदी के मध्य तक विश्व के तापमान में वृद्धि का दौर समाप्त हो जाए।

पेरिस समझौता बहुपक्षीय जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया में बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव है क्योंकि पहली बार ऐसा बाध्यकारी करार हुआ है जिसके तहत सभी देश जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए बड़े प्रयास करने और इसके अनुरूप कदम उठाने के समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकजुट हुए हैं।

पेरिस समझौते को कैसे अमल में लाया जाएगा?

सम्बद्ध देशों द्वारा निर्धारित योगदान का आकलन

पेरिस समझौते को अमल में लाने हेतु उपलब्ध सर्वोत्तम वैज्ञानिक जानकारी पर आधारित आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाए जाने ज़रूरी हैं। इसके अंतर्गत, संबद्ध देशों को 5 साल तक निरंतर बढ़ते लक्ष्यों के

UNITED NATIONS
PARIS CLIMATE
AGREEMENT



साथ जलवायु परिवर्तन की कार्य-योजनाओं पर अमल करना होगा। इन देशों को 2020 तक, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अपने-अपने योगदानों (एनडीसी) की कार्य-योजना प्रस्तुत करनी है।

एनडीसी

अपने एनडीसी में, सम्बद्ध देश पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के लिए अपनी भावी कार्यक्रमों का विवरण देते हैं। विभिन्न स्थानों पर बढ़ते तापमान के प्रभावों का प्रतिरोध करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों के बारे में भी, देश अपने एनडीसी में जानकारी दे सकते हैं।

दीर्घकालीन कार्य-नीतियां

पेरिस समझौते में पक्षकार देशों से कहा गया है कि अपने-अपने देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाने की दीर्घकालीन कार्यनीतियां (लॉनाटर्म लो एमिसन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज़-एलटी-एलईडी 'ज़') बनाएं और उनकी जानकारी 2020 तक एनडीसी के साथ-साथ दें।

'एलटी-एलईडी' 'एनडीसी' को दीर्घकालीन आयाम प्रदान करती है लेकिन एनडीसी की तरह इन्हें प्रस्तुत करना बाध्यकारी नहीं है। तथापि, ये विभिन्न देशों की एनडीसी को उनकी दीर्घकालीन योजना तथा विकास प्राथमिकताओं के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करती हैं और इस तरह, भावी विकास के लिए दृष्टि और दिशा प्रदान करती हैं।

प्रगति का आकलन कैसे किया जाता है?

वैश्विक आकलन

पेरिस समझौते में, पक्षकार देशों ने विस्तृत पारदर्शिता फ्रेमवर्क (एनहांड ट्रांसपरेंसी फ्रेमवर्क-ईटीएफ) की व्यवस्था की है। ईटीएफ की शुरूआत 2024 में होगी। इसके अंतर्गत, पक्षकार देश जलवायु परिवर्तन के असर कम करने, इसके दुष्प्रभावों से बचाव और देशों द्वारा उपलब्ध कराई गई अथवा प्राप्त की गई मदद का ब्यारा पूरी पारदर्शिता (सचाई) के साथ प्रस्तुत करें। इस फ्रेमवर्क में देशों से प्राप्त रिपोर्टों की



समीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया बनाने का भी प्रावधान है।

ईटीएफ के जरिए प्राप्त जानकारी को वैश्विक आकलन में शामिल किया जाएगा और इससे जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण रखने के लिए दीर्घकालीन लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

इसी के आधार पर अगले दौर में ज्यादा बड़े लक्ष्य रखने के लिए समुचित सुझाव दिए जा सकेंगे।

अब तक की उपलब्धियां

हालांकि पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के प्रयासों को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, लेकिन इसके लागू होने के बाद से कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल और नई बाजार तलाशने के प्रति उत्साह बढ़ा है। अनेक देश, क्षेत्र, नगर और कंपनियां कार्बन का स्तर बिलकुल नहीं बढ़ाने देने के लक्ष्य तय कर रहे हैं। अर्थव्यवस्थाओं के कार्बन उत्सर्जित करने वाले 25 प्रतिशत क्षेत्रों में कार्बन का उत्सर्जन बिलकुल न बढ़ाने वाले समाधान अब प्रतिस्पर्धा में टिके रहने लायक

किफायती हो रहे हैं। ये प्रवृत्तियां बिजली और परिवहन क्षेत्रों में ज्यादा स्पष्ट नज़र आ रही हैं और इन क्षेत्रों में पहल करने वालों के लिए नए व्यापारिक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। 2030 तक विश्व भर में कार्बन उत्सर्जित करने वाले 70 प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्रों में कार्बन का उत्सर्जन बिलकुल न बढ़ाने वाले समाधान प्रतिस्पर्धा में टिके रहने लायक किफायती हो सकेंगे।

भारत की पहल-एआईपीए

जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर भारत की गंभीरता को प्रदर्शित करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति- एपेक्स कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट-एआईपीए (पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए शीर्ष समिति) गठित की है।

इस समिति का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई को समन्वित करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनडीसी सहित पेरिस समझौते से जुड़ी भारत की सभी वचनबद्धताओं को निभाने की गतिविधियां सही तरीके से चलाई जा रही हैं।

14 संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी एआईपीए के सदस्य होंगे जो भारत के एनडीसी लक्ष्यों की पूर्ति की प्रगति पर निगरानी रखेंगे और पेरिस समझौते की अपेक्षाओं के अनुरूप जलवायु परिवर्तन से जुड़े लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में संबंधित प्रगति से जुड़ी सूचनाओं की नियमित निगरानी, समीक्षा और निरंतर आकलन करेंगे।

एआईपीए के अन्य प्रमुख कार्य हैं- पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के अनुरूप भारत में कार्बन बाजारों के राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करना; पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के ही अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं और गतिविधियों के लिए विचारार्थ दिशा-निर्देश तैयार करना तथा जलवायु परिवर्तन और एनडीसी से संबद्ध क्षेत्रों में कार्बन मूल्य-निर्धारण, बाजार-व्यवस्था और अन्य संबंधित व्यवस्थाओं के लिए दिशा-निर्देश जारी करना। एआईपीए जलवायु परिवर्तन से जुड़े क्षेत्रों में निजी क्षेत्र और बहु/द्विपक्षीय एजेंसियों के योगदान का भी जायजा लेगी और जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लिए निजी क्षेत्र और बहु/द्विपक्षीय एजेंसियों के योगदान को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप ढालने के लिए भी दिशा-निर्देश उपलब्ध कराएगी।

पेरिस समझौते के लक्ष्यों की पूर्ति की शुरुआत 2021 से होगी और जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण रखने के प्रयासों को अमल में लाने तथा इनकी प्रगति पर नज़र रखने से संबंधित राष्ट्रीय प्रणालियों तथा संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने में एआईपीए की केंद्रीय भूमिका होगी। एआईपीए यह भी सुनिश्चित करेगी कि भारत जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने वाले उन देशों में अग्रणी रहे जिनके इस दिशा में कार्य पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप हों। ■



भा

रत की महान नारियों की कहानी बहुत पुरानी और लंबी है। भारत की जो पुरातन संस्कृति और परंपरा है, उसे भारत की बेटियों ने ही कायम रखा है और वे धरोहर के रूप में उसे नई पौध को सौंपती भी गई। इतिहास इस बात का साक्षी है कि नारियों ने प्रत्येक क्षेत्र में सराहनीय सहयोग दिया। परिवार, समाज और देश के उत्थान के लिए वे हमेशा जागरूक रहीं।

इस संग्रह में ऐसी ही कर्मठ, धीर तथा सेवापरायण महिलाओं की जीवन झाँकियां हैं। इसमें मध्ययुग की वीरांगनाओं से लेकर आधुनिक युग की कस्तूरबा तक पुण्य चरित हैं। इनमें हिंदु-मुसलमान सभी समाजों के महिला रत्न हैं। हमें आशा है कि इनसे हमारी नई पीढ़ियों के बालक-बालिकाओं को देश प्रेम की प्रेरणा मिलेगी। भारत में प्राचीन काल से ही ऐसी कई महिलाएं हुई हैं जिन्होंने अपने सद्विरचित्र और सत्कर्मों से अपने परिवार ही नहीं, बल्कि देश के उत्थान में उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रस्तुत पुस्तक में मीराबाई, नूरजहां, राजमाता जीजाबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, सरीखी मध्ययुगीन वीरांगनाओं से लेकर कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी आधुनिक युग की महिलाओं की गरिमा, दृढ़ता, पवित्रता और देश प्रेम के भाव पाठकों को प्रेरणा प्रदान करते हैं। पुस्तक में जिन महान नारियों के विषय में बताया गया है वे हैं-

मीराबाई, पत्राधाय, रानी दुर्गावती, चांद सुलताना, नूरजहां, राजमाता जीजाबाई, ताराबाई, रानी भवानी, अहल्याबाई, वीर रानी चेन्नमा, महारानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, एनी बेसेंट, पंडिता रमाबाई, मां शारदा देवी, रमाबाई रानाडे, भगिनी निवेदिता, कस्तूरबा, सरोजनी नायडू, सुभद्रा कुमारी चौहान।

मीराबाई

मीराबाई का नाम कौन नहीं जानता? हमारे देश के कोने-कोने में उनके रचे हुए भजन गाए जाते हैं। दूसरे विद्वानों और

भारत के नारी रत्न



ई-संस्करण मूल्य : 78.00

पृष्ठ संख्या : 120

यहां पर पुस्तक में शामिल महिलाओं की जीवनियों के संक्षिप्त अंश ही लिए गए हैं। संपूर्ण जीवनियां पढ़ने के लिए और पुस्तक का ई-संस्करण खरीदने हेतु हमारी वेबसाइट - www.publicationsdivision.nic.in पर जाएं।

कवियों को यद्यपि पढ़े-लिखे लोग जानते हैं, शहर के लोगों तक ही उनका नाम प्रचलित है। लेकिन मीराबाई को अनपढ़ औरतें भी जानती हैं। उनके भजनों को बड़ी-बूढ़ी, जवान, बालिकाएं सभी बड़े चाव से गाती हैं।

मीराबाई के भजनों में एक अद्भुत मिठास है। उनके पदों में सरलता और सादगी तो कूट-कूटकर भरी है। ऐसा लगता है कि उन्हें किसी ने बनाया ही नहीं, भाव आदमी समझ जाए। ऐसी मीराबाई थी कौन?

रानी दुर्गावती

आज जिसे मध्य प्रदेश कहा जाता है, उस राज्य में जबलपुर शहर है। इसी जबलपुर के पास गढ़मंडला का एक किला है। सोलहवीं सदी में इस किले के पास-पड़ोस में गोंड लोगों का राज्य था। इसीलिए राज्य के इस

भू-भाग को गोंडवाना कहा जाता है।

इसी गोंडवाना राज्य के राजा दलपत शाह की वीर पत्नी रानी दुर्गावती अपने असाधारण पराक्रम के कारण सम्राट अकबर की विशाल सेना के छक्के छुड़ा कर भारत की महान नारियों में अपना नाम अमर कर गई हैं।

चांद सुलताना

चांद बीबी इतनी चतुर, साहसी और बहादुर थी कि यदि उसे चांद बीबी न कहकर चांद सुलताना कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसने जिस वीरता के साथ अकबर की विशाल सेना का सामना किया, उसकी मिसाल दुनिया में बहुत कम मिलती है।

अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर के सुलतान इससे बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने अकबर की सत्ता स्वीकार करने से इन्कार कर दिया, लेकिन खानदेश का शासक बहुत कमज़ोर था। इतनी बड़ी मुगल सेना के सामने वह खड़ा नहीं रह सकता था। उसने अकबर के सामने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया।

नूरजहां

नूरजहां बादशाह जहांगीर की रानी थी, नूरजहां का जहांगीर पर काफी प्रभाव था और शासन के कामकाज में वह अपने पति का हाथ बटाती थी, जैसी बातें प्रायः हर विद्यार्थी

जानता है।

लेकिन यदि गहराई में उत्तरकर देखा जाए, तो पता चलता है कि हिंदुस्तान पर मुगल-शासन के इतिहास में नूरजहां की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी है। जहांगीर के शासन की कहानी निराली ही है। नूरजहां ने अपनी आंखों से अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब-इन चार मुगल बादशाहों को देखा था।

राजमाता जीजाबाई

संसार के बहुत-से महापुरुषों की महानता का मूल उनकी माता की शिक्षा और प्रेरणा में मिलता है।



हर मां चाहती है कि उसका पुत्र कुल दीपक हो। पर ऐसी

स्त्रियां कम होती हैं जिनमें यह योग्यता हो कि वे पुत्र को किसी विशिष्ट ध्येय के लिए निरंतर संघर्ष करने की ओर जान की बाजी लगाने की प्रेरणा दें। उसे प्रेम और ममता के साथ-साथ वीरता, धैर्य, ध्यान और संयम का पाठ पढ़ाए और इस योग्य बनाएं कि सारी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हुए अपने ध्येय की ओर बढ़ सके। ऐसी स्त्रियों में भी यह सौभाग्य बहुत कम स्त्रियों को ही प्राप्त होता है कि वे अपने जीवन में ही अपने स्वप्न को साकार होते देखें। छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई उन अत्यंत भाग्यशाली स्त्रियों में थीं।

रानी भवानी

नवाब अलीवर्दी खां के जमाने में रानी भवानी का जीवन आरंभ हुआ। इनका जन्म बंगल के राजशाही जिले के छातिल नामक ग्राम में एक दरिद्र ब्राह्मण आत्माराम चौधरी के घर 1733 ई. में हुआ था। तब राजशाही नवाब के अधीन होते हुए भी एक बड़ी और स्वतंत्र जर्मांदारी थी। वहां के राजा उदय नारायण थे। गरीब पिता की पुत्री का भावी जीवन कैसे बीतने वाला है, उसका पता उस ब्राह्मण को कैसे लगता? फिर भी भविष्य की बातें जानकर ही उसने अपनी पुत्री का नाम भवानी रख दिया और वस्तुतः पुत्री ने भी इस नाम को अपने जीवन में सार्थक कर दिखाया।

महारानी लक्ष्मीबाई

रानी लक्ष्मीबाई भारत की उन वीरांगनाओं में से थीं जिनका नाम स्वाधीनता और आन-बान पर मिटने के कारण इतिहास में अमर रहेगा। ज्ञासी में

क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने जिस वीरता और साहस से किया, वह हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णक्षणों में लिखे जाने योग्य है। सुभद्राकुमारी चौहान के शब्दों में सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृकुटी तानी थी, / बूढ़े भारत में

भी आईं फिर से नई जवानी थी। / गुम्मी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, / दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, / चमक उठी सन् सतावन में वह तलबार पुरानी थी। / बुद्देले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, / खूब लड़ी मर्दानी वह तो ज्ञासी बाली रानी थी।

बेगम हज़रत महल

सन् 1857 की आजादी की लड़ाई हमारे



देश के इतिहास की अमर गाथा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुशासन के खिलाफ भारतीय जनता का यह देशव्यापी युद्ध था।

अंग्रेज और उनके चाटुकार इतिहासकारों ने इस युद्ध को म्युटिनी अर्थात् गदर का नाम दिया। गदर का मतलब होता है, राजा के खिलाफ बगावत। भारतीय जनता ने शस्त्र उठाए थे विदेशी इजारेदारों के विरुद्ध, न कि भारतीय नरेशों के विरुद्ध। आजादी की इस लड़ाई में राजा-महाराजा, जर्मांदार और जनता सब एक हो गए थे। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुरशाह ने साफ कहा था कि अंग्रेजों को देश से निकाल देने के बाद जनता जिसे चाहे अपना शासक बनाए। वह घोषणा भी साफ बताती है कि 1857 का संघर्ष गदर नहीं, बल्कि राष्ट्र की मुक्ति के लिए जनता का सशस्त्र स्वतंत्र युद्ध था। कानपुर और लखनऊ के मोर्चे इस युद्ध की सबसे रोमांचकारी घटनाएँ हैं। लखनऊ और इसके आस-पास के क्षेत्र में मुक्ति-युद्ध का संचालन करने वालों में दो व्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें एक थे-मौलवी और दूसरी थी बेगम। मौलवी अहमदशाह कौन थे? कहां से आए? उनके बारे में अनेक कथाएँ बताई जाती हैं। हम केवल इतना ही जानते हैं कि वे फैजाबाद के मौलवी के नाम से मशहूर थे और लखनऊ आकर उन्होंने इस युद्ध की बागडोर संभाली थी।

बेगम थी-हज़रत महल, अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बीवी।



एनी बेसेंट

भारत के अपने धार्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्य बहुत ऊंचे थे। उसके साहित्य का भंडार अगाध था। ज्ञान-विज्ञान

में भी उसने विशेष उन्नति की थी। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के सर्व-धर्म सम्मेलन में पहली बार पश्चिम को इसका बोध कराया था। एनी बेसेंट वहां मौजूद थीं। स्वामी विवेकानंद के प्रभावशाली व्यक्तित्व और भारत की महानता तथा गरिमा की छाप उनके हृदय पर उसी समय पड़ गई थी। इसी कारण उन्हें अपने को भारत के साथ तन्मय करने में अधिक समय नहीं लगा।

एनी बेसेंट 1 अक्टूबर, 1847 को एक साधारण कुल में लंदन में पैदा हुई। लिखने, बोलने, विचार करने, संगठन और आदेश देने में वह शुरू से ही कुशल थीं। उनके पिता डॉ विलियम बेजवुड आयरिश थे। वह लंदन में आकर बस गए थे। एनी बेसेंट का जन्म का नाम वुड था। उन्होंने कई भाषाएँ सीखी थीं। सन् 1867 में पादरी फ्रेंक के साथ उनका विवाह हो गया। स्वतंत्र विचार और रूद्धियों में विश्वास न होने से उनकी अपने कट्टर तथा धर्माधि पति के साथ निभ नहीं सकी। अपनी कन्या की बीमारी के कारण उनके हृदय में कुछ ऐसी उथल-पुथल मची कि भगवान पर से उनका विश्वास उठ गया। वह पूर्णतः नास्तिक बन गई। पति गिरजा जाने और ईसाई धर्म का पालन करने पर जोर देने लगे। किंतु उनकी स्वतंत्र आत्मा को दबाया नहीं जा सका। परिणाम यह हुआ कि सन् 1873 में तलाक लेकर दोनों एक-दूसरे से अलग हो गए। एनी बेसेंट का पारिवारिक जीवन सुखी नहीं रहा। इसलिए अपना मन दूसरी तरफ लगाने के लिए उन्होंने तभी से लिखना शुरू कर दिया था। लेखन कार्य से उन्हें जो पैसा मिलता था, उस पर वह बहुत गर्व का अनुभव करती थीं। एक बार एनी बेसेंट बहुत बीमार पड़ गई। यहां तक कि उन्होंने आत्महत्या करने की बात तक सोच डाली। पर फिर उनके हृदय से आवाज़ आई कि इस तरह कायर की मौत न मरो बल्कि काम करते हुए शहीद की मुत्यु मरो। बस फिर क्या था, उनमें आत्म-विश्वास जागा और उन्होंने फिर कभी आत्महत्या की बात नहीं सोची।



मां शारदा देवी

भारत की पुण्यभूमि में अनेक संत महिलाओं ने जन्म लिया है, उन्होंने अपनी ईश्वर भक्ति से भारतीय नारियों

के सामने आदर्श प्रस्तुत किया। अनेक संत महिलाओं ने चिरकुमारी रहकर ईश्वर की साधना की। कई महिलाओं ने विवाह न करके भी परमात्मा की भक्ति में अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। कुछ महिलाओं ने वैवाहिक जीवन बिता दिया और कुछ ने वैधव्य को ही ईश्वर की साधना के लिए सुअवसर माना।

इन्हीं संत महिलाओं में एक थीं—शारदा देवी। बंगाल के संत श्री रामकृष्ण परमहंसदेव की जीवन-सहचरी। बंगाल की धरती ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत तथा भारत से बाहर भी श्री रामकृष्ण के भक्त और अनुयायी बड़ी संख्या में हैं। रामकृष्ण के साथ ही मां शारदा देवी का नाम अभिन्न रूप से जुड़ा है। दोनों महान् विभूतियाँ एक दूसरे के पूरक रहे।

भगिनी निवेदिता

भगिनी निवेदिता एक ऐसी विदेशी नारी थी, जिन्होंने अपना सर्वस्व भारत को अर्पित कर दिया था। उनके जीवन की कहानी एक ऐसे दीपक की कहानी है, जिसने स्वयं जलकर

भारतीयों को ज्योति दी तथा उनके हृदय में स्वतंत्रता एवं जागृत का आलोक फैलाया। जन्म से भारतीय न होते हुए भी उन्होंने न केवल भारत को अपनी मातृभूमि समझा बल्कि अपना सारा जीवन इसकी सेवा में होम कर दिया।



जीवन भारतीयों के लिए उत्सर्ग कर दिया था।

कस्तूरबा

महापुरुषों की जीवनियां पढ़ने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पृष्ठभूमि में रहकर उन्हें प्रेरणा देने वाली कोई महिला जरूर रही है। वह महिला मां, बहन, सखी, प्रेमिका या पत्नी - कोई भी हो सकती है। बापू के जीवन में कस्तूरबा भी इसी प्रकार की एक प्रेरणादायिनी पत्नी थीं। यदि कस्तूरबा-सी दृढ़-चरित्र, त्यागी और सेवापरायण पत्नी बापू को न मिली होती, तो इसमें संदेह है कि वह जीवन में इतने सफल हो पाते।

भारत की ललनाओं में आधुनिक युग में कई महान् स्त्रियां हुई हैं, पर माता कस्तूरबा में जो विशेषता थी, वह इनमें से किसी में नहीं थी। विशेषता यह थी कि माता कस्तूरबा संपूर्ण रूप से जन-सामान्य की तरह एक स्त्री थीं, बिल्कुल साधारण। फिर भी एकदम असाधारण। गांव की एक किसान स्त्री या शहर की एक मजदूरनी यह आशा नहीं कर सकती कि वह सरोजनी, विजयलक्ष्मी या अमृतकौर बन सकेगी, पर वह माता कस्तूरबा होने की चेष्टा कर सकती है। जैसे लंगोटी वाले दुबले-पतले गांधीजी भूखे-नंगे भारतीय साधारण जन के प्रतीक थे, वैसे ही माता कस्तूरबा साधारण भारतीय स्त्रियों की प्रतीक थीं। उनका जन्म सन् 1869 में पोरबंदर में हुआ था। वह बहुत साधारण लड़की थीं। जिस समय उनका विवाह महात्मा गांधी के साथ हुआ, उस समय गांधीजी बारह-तेरह वर्ष के बालक थे और कस्तूरबा की आयु भी लगभग उतनी ही थी।

यद्यपि सारी उम्र गांधीजी को अपनी पत्नी से यानी माता कस्तूरबा से शिकायत का कोई मौका नहीं आया, फिर भी उन्होंने दूसरों को उपदेश देने लिए इस प्रकार लिखा कि बाल-विवाह यानी कम उम्र में विवाह किसी भी हालत में उचित नहीं है। इस समय भी अनेक ऐसे अविचारशील लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। इस जमाने की यह हालत है तो उस युग की कल्पना की ही जा सकती है, जब गांधीजी और माता कस्तूरबा की उम्र तेरह वर्ष की थी।

सरोजिनी नायडू

सरोजिनी का जन्म 13 फरवरी, 1879 को



हुआ था। वह बचपन से ही बड़ी मेधावी थीं। उन्हें गणित में बहुत रुचि थी। लेकिन उनकी माताजी को कविता लिखने का शौक था। स्वभावतः

सरोजिनी को भी कविताओं में रुचि हुई। आरंभ में दोनों रुचियां साथ-साथ चलीं, पर बाद में उनमें खींचा-तानी होने लगी। पिताजी चाहते थे कि उनकी बेटी गणित का अध्ययन कर महान् गणितज्ञ बने। माताजी चाहती थीं कि वह कवयित्री बने। सरोजिनी का स्वयं का झुकाव भी कविताओं की ही ओर था। वह प्राकृतिक दृश्यों को देखतीं तो उनका कवि हृदय जैसे गुनगुनाने के लिए मचल उठता। जब वह ग्यारह वर्ष की हुई तो उन्होंने नियमित रूप से कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया। लेकिन पिताजी का प्रभाव भी उन्हें दूर नहीं रख सका। फलतः सरोजिनी शांत और गंभीर स्वभाव वाली बन गई। पिताजी से ही उन्होंने सहनशीलता और सबको समान-भाव से देखने का गुण प्राप्त किया था। वह पिता की ही तरह सांप्रदायिक एकता की पक्षपाती थीं।

सुभद्राकुमारी चौहान

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में



“बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी” कविता की धूम थी। इस कविता ने कवयित्री सुभद्राकुमारी चौहान को अमर बना

दिया। जब वह कवि सम्मेलनों में अपने मधुर कंठ से उसे सुनाती थीं तो लोगों में स्वतः ही राष्ट्र प्रेम और अंग्रेजों के प्रति विरोध की भावना जाग उठती थी। महिलाएं अधिकतर शृंगार प्रेम या भक्ति विषयक कविताएं ही लिखती हैं। परंतु सुभद्राजी ने अपनी इस कविता द्वारा लोगों को एक नई चेतना, नई प्रेरणा दी थी। इस सबके पीछे उनके परिवार की पृष्ठभूमि थी। सुभद्राजी का जन्म सन् 1904 ई. में इलाहाबाद के निहालपुर मुहल्ले में हुआ था। उनके पिता रामनाथ सिंह साहसी व्यक्ति थे। उनके दो लड़के और चार लड़कियां थीं। सुभद्राजी पर वीरता और राष्ट्रभक्ति का पूरा प्रभाव था। वह अपने शिक्षाकाल में ही कविताएं लिखने लगी थीं। ■

योजना - सही विकल्प

'योजना' के अगस्त-2020 अंक से हमने पाठकों के लिए, खास तौर से सिविल सर्विसेज़ तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले प्रतिभागियों के लिए बहुविकल्प प्रश्नों का स्तंभ 'योजना-सही विकल्प' शुरू किया है। इसमें 'योजना' के अंकों में प्रकाशित आलेखों/सामग्री से या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ज्ञान के आधार पर प्रश्नों एवं विकल्पों को तैयार किया गया है।

1. सर्वप्रथम 'स्तूप' शब्द कहां मिलता है?
 - क) ऋग्वेद
 - ख) जातक कथा
 - ग) अर्थशास्त्र
 - घ) अष्टाध्यायी
2. निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए?
 - 1) फाहान
 - 2) इत्सिंग
 - 3) मेगस्थनीज
 - 4) ह्वेनसांग
 - क) 3, 1, 2, 4
 - ख) 3, 1, 4, 2
 - ग) 1, 3, 2, 4
 - घ) 1, 3, 4, 2
3. अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी?
 - क) अकबर
 - ख) जहांगीर
 - ग) शाहजहां
 - घ) औरंगजेब
4. निम्नलिखित में से कौन-सी एक किताब 'मुगल शाही परिवार' की एक महिला ने लिखी है?
 - क) अकबरनामा
 - ख) बाबरनामा
 - ग) हुमायूनामा
 - घ) बादशाहनामा
5. निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटनाक्रमानुसार सही क्रम क्या है?
 1. भारत छोड़ो आंदोलन
 2. शिमला सम्मेलन
 3. पूना समझौता
 4. कैविनेट मिशन
 - क) 2, 4, 1, 3
 - ख) 3, 4, 2, 1
 - ग) 3, 1, 2, 4
 - घ) 4, 2, 3, 1
6. वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन-सा आंदोलन शुरू किया गया था?
 - क) सत्याग्रह
 - ख) असहयोग आंदोलन
 - ग) भारत छोड़ो आंदोलन
 - घ) स्वदेशी आंदोलन
7. 'स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा' नारा किसने दिया था?
 - क) महात्मा गांधी
 - ख) सुभाष चंद्र बोस
 - ग) बाल गंगाधर तिलक
 - घ) लाला लाजपत राय
8. निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
 1. जौनपुरी चित्रशैली के पोथी चित्र प्रमुख हैं, जिनकी विषय वस्तु साहित्यिक है।
 2. जौनपुरी चित्रशैली में हिन्दू-मुस्लिम शैलियों का मिश्रित रूप नहीं देखने को मिलता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

 - क) केवल 1
 - ख) केवल 2
 - ग) 1 और 2 दोनों
 - घ) न तो 1, न ही 2
9. मधुबनी चित्रकला के संदर्भ में विचार कीजिए
 1. इस शैली के विषय मुख्यतः धार्मिक थे।
 2. इनमें चटख रंगों का प्रयोग किया गया है। इनमें गहरा लाल, हरा, नीला और काले रंग का प्रयोग किया गया है।
 3. सीता देवी व चन्द्रकला देवी इस चित्रकला की प्रसिद्ध चित्रकार हैं।
 - क) केवल 2 और 3
 - ख) केवल 1 और 2
 - ग) 1, 2 और 3
 - घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं
10. मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है-
 - क) राष्ट्रपति के प्रति
 - ख) प्रधानमंत्री के प्रति
 - ग) लोकसभा के प्रति
 - घ) राज्यसभा के प्रति

प्रृष्ठ ३८८ : १. २. ३. ४. ५. ६. ७. ८. ९. १०.